Wednesday, 08 April, 1964

153
64

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit
21-5-97
Fumigated
On 14.12.98
Parliament Library

[खंड २९ में अंक ४१ से ५० तक है
Vol. XXIX contains Nos. 41—50]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of Speeches etc. in English/Hindi].

विषय-सूची

अंक ४५—बुधवार, ८ अप्रैल, १९६४/१९ चैत्र, १८८६ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३४३५—६१
*तारांकित		
प्रश्न संख्या		
९४४	दिल्ली में भूमि का आवंटन .	३४३५—३७
९४५	दिल्ली में दूसरा विश्वविद्यालय	३४३७—४०
९४६	अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की बैठक	३४४०—४३
९४७	सिन्दरी में नया एमोनिया कारखाना . .	३४४३—४५
९४८	उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विज्ञान का शिक्षण .	३४४६—४७
९४९	उर्वरक कारखाने	३४४८—४९
९५०	दिल्ली के समन्वित विकास के लिए प्राधिकार की स्थापना	३४४९—५१
९५१	राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार गोष्ठी	३४५१—५२
९५२	"इमेरिटस" वैज्ञानिक योजना .	३३५३—५४
९५३	उत्तर प्रदेश विधान सभा का संकल्प . . .	३४५४—५६
९५४	पदोन्नति में अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये रक्षण	३४५६—५८
अल्प सूचना		
प्रश्न संख्या		
१८	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल . . .	३४५८—६१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३४६१—८४
९५५	पाठ्य पुस्तकों में जालसाजी	२४६१—६२
९५६	रूरकेला से विदेशी राष्ट्रजनों का निकाला जाना . .	३४६२
९५७	अवशेष कार्यवाही समिति का संकल्प . . .	३४६२—६३
९५८	जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा भवन में बम विस्फोट	३४६३
९५९	कुम्भीग्राम हवाई अड्डे पर सुरक्षा कार्यवाहियां . .	३४६३—६४
९६०	दिल्ली में खाली प्लाटों का अर्जन . . .	३४६४
९६१	"एन्टीबायाटिक्स" दवाइयां . . .	३४६४
९६२	अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा . .	३४६५
९६३	हिन्द महासागर के लिये "तैरती" वेधशाला .	३४६५
९६४	पेट्रो केमिकल परियोजना .	३४६५—६६
९६५	हिंसात्मक घटनायें . . .	२४६६

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 45—Wednesday, April 8, 1964/Chatra 19, 1886 (Saka)

	SUBJECT	PAGE
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		3435--61
**Starred Questions Nos.*		
944	Allotment of Land in Delhi	3435—37
945	Second University in Delhi	3437—40
946	Inter-University Board Meeting	3440—43
947	New Ammonia Plant in Sindri	3443—45
948	Science Teaching at Higher Secondary Level	3446-47
949	Fertiliser Factories	3448-49
950	Setting up of Authority for Co-ordinated Development of Delhi	3449—51
951	National Seminar of Science Consultants	4351-52
952	Emeritus Scientists Scheme	3453-54
953	U.P. Assembly Resolution	3454—56
954	Reservation for S.C.s and S.T.s in Promotions	4456—58
Short Notice Question No.		
18	Heavy Electricals Ltd., Bhopal	3458—61
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		3461—84
Starred Questions Nos.		
955	Racket in Text-books	3461—62
956	Evacuation of Foreign Nationals from Rourkela	3462
957	Resolution of Relic Action Committee	3462-63
958	Bomb Explosion in J & K Assembly Building	3463
959	Security Measures at Kumbhigram Airfield	3463-64
960	Acquisition of Vacant Plot in Delhi	3464
961	Antibiotics	3464
962	All-India service of Scientists	3465
963	Floating Laboratory for Indian Ocean	3465
964	Petro-Chemial Project	2565-66
965	Incidents of Violence	3466

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

९९६ स्कूलों तथा कालिजों में रचनात्मक श्रम . ३४६७
९९७ राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था . ३४६७

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१९५२ नालन्दा संग्रहालय से मूर्तियों की चोरी ३४६७—६८
१९५३ जनसंख्या का अनुमान लगाना . ३४६८—६९
१९५४ पुलिस आवास योजना ३४६९
१९५५ उड़ीसा में अनिवार्य शिक्षा ३४६९
१९५६ शिक्षा सम्बन्धी समितियां . . ३४६९—७०
१९५७ बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालय . . ३४७०
१९५८ सिनेट तथा सिंडीकेटों में अध्यापकों का निर्वाचन . . ३४७०
१९५९ मद्रास में राष्ट्रीय महत्व के मन्दिर . . ३४७०—७१
१९६० आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व के मन्दिर . ३४७१
१९६१ मैसूर में राष्ट्रीय महत्व के मन्दिर ३४७१
१९६२ नागा विद्रोही ३४७२
१९६३ उत्तर प्रदेश के भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय असैनिक सेवा पदाधिकारी . ३४७२
१९६४ अरबी भाषा संस्था . . ३४७२
१९६५ शिशु-कल्याण सम्बन्धी गोष्ठी . . . ३४७३
१९६६ मंत्रियों और सरकारी पदाधिकारियों को मानदेय . ३४७३
१९६७ होम गार्ड ३४७३
१९६८ सेवा पदालियां . ३४७४
१९६९ अफ्रीकी देशों में शिक्षा पद . . ३४७४
१९७० अनधिसूचित आदिम जातियों का कल्याण ३४७४—७५
१९७१ राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत ३४७५
१९७२ कुठ की जड़ से तेल . ३४७५
१९७३ संघ लोक सेवा आयोग . ३४७५—७६
१९७४ संघ लोक सेवा आयोग में गबन . ३४७६
१९७५ बम्बई में 'पेट्रोकेमिकल कम्पलेक्स' . . ३४७६
१९७६ सेन्ट्रल जेल, नई दिल्ली का मुख्य हेड वार्डर . ३४७६—७७
१९७७ औद्योगिक प्रबन्धक पुंज . . ३४७७
१९७८ छावनियों में शिक्षा सुविधायें . ३४७७
१९७९ मनीपुर और त्रिपुरा का न्याय आयुक्त . ३४७७—७८
१९८० विज्ञान आयोजन आयोग . . ३४७८
१९८१ सेक्शन अफसरों की परीक्षा ३४७८

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Starred Questions Nos.		
966	Productive Labour in Schools and Colleges	3467
967	National Institute of Oceanography	3467

Unstarred Questions Nos.		
1952	Theft of Idols from Nalanda Museum	3467—68
1953	Projection of Population	3468—69
1954	Police Housing Scheme	3469
1955	Compulsory Education in Orissa	3469
1956	Committees on Education	3469—70
1957	Banaras and Aligarh Universities	3470
1958	Election of Teachers to Senates and Syndicates	3470
1959	Temples of National Importance in Madras .	3470—71
1960	Temples of National Importance in Andhra Pradesh	3471
1961	Temples of National Importance in Mysore .	3471
1962	Naga Hostile	3472
1963	I.A.S. and I.C S. Officers of U.P.	3472
1964	Institute of Arabic Language	3472
1965	Seminar on Child Welfare	3473
1966	Honorarium to Ministers and Government Officeials .	3473
1967	Home Guard	3473
1968	Service Cadres	3474
1969	Educational Posts in African Countries . . .	3474
1970	Welfare of Denotified Tribes	3474—75
1971	Consumption of Petroleum Products in Rajasthan . .	3475
1972	Oil from Kuth Roots	3475
1973	U.P.S.C.	3475—76
1974	Embezzlement of Funs in U.P.S.C.	3476
1975	Petro-Chemical Complex in Bombay	3476
1976	Chief Head Warder of Central Jail, New Delhi . .	3476—77
1977	Industrial Management Pool	3477
1978	Educational Facilities in Cantonments	3477
1979	Judicial Commissioner of Manipur and Tripura . .	3477—78
1980	Science Planning Commission	3478
1981	Section Officer's Examination	3478

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उतर---जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९८२	राष्ट्रीय खेल कूद संस्था, पटियाला	३४७८–७९
१९८३	केन्द्रीय आदिम जाति मंत्रणा परिषद्	३४७९
१९८४	यूनेस्को के साथ सहयोग के लिये भारतीय राष्ट्रीय आयोग	३४७९–८०
१९८५	शिक्षा का स्तर	३४८०
१९८६	सामाजिक प्रशासन संबंधी गोष्ठी	३४८०–८१
१९८७	दिल्ली की एक संस्था पर पुलिस का छापा	३४८१
१९८८	आदिम जाति विकास खण्ड	३४८१–८२
१९८९	उड़ीसा को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का अनुदान	३४८२–८३
१९९०	होशियारपुर जिले में पेट्रोलियम	३४८३
१९९१	भारतीय आर्थिक और सांख्यकीय संवायें	३४८३
१९९२	जांच आयोग अधिनियम, १९५२	३४८३–८४
सभा पटल पर रखा गया पत्र		३४८४
श्री प्रिय गुप्त की लोक-सभा की सदस्यता के बारे में वक्तव्य		३४८४–८५
श्री अ० कु० सेन		३४८४–८५
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--चालीसवां प्रतिवेदन		३४८५
लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति		
दूसरा प्रतिवेदन		३४८५
समितियों के लिये निर्वाचन		३४८६---८८
१. प्राक्कलन समिति		
२. लोक लेखा समिति ; तथा		
३. सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति		
लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति से राज्य सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव		३४८८–८९
अनुदानों की मांगें		३४८९---३५१९
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय		३४८९---९७
श्री सु० कु० डे		३४८९---९७

SUBJECT PAGE

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred
Questions Nos.

1982 National Institute of Sports, Patiala 3478–79

1983 Central Tribes Advisory Council . . 3479

1984 Indian National Commission for Co-operation with UNESCO 3479–80

1985 Quality of Education . 3480

1986 Seminar on Social Administration 3480–81

1987 Police Raid on a Delhi Institute . 3481

1988 Tribal Development Blocks . 3481–82

1989 Central Social Welfare Board Grant to Orissa 3482–83

1990 Petroleum in Hoshiarpur District . 3483

1991 Indian Economic and Statistical Services 3483

1992 Commissions of Inquiry Act, 1952 3483–84

Paper laid on the Table 3484

Statement Shri A.K. Sen re : Shri Priya Gupta's membership of Lok Sabha 3484–85

Committee on Private Members' Bills and Resolution

Fortieth Report . . . 3485

Joint Committee on Offices of Profit

Second Report . 3485

Election to Committees. . . . 3486—88

1. Estimates Committee ;
2. Public Accounts Committee ; and
3. Public Undertaking Committtee..

Motion re : Association of Members of Rajya Sabha with joint Committee on Offices of Profit . . 3488–89

Demands for Grants. . . . . 3489—3519

Ministry of Community Development and Co-operation 3489—97

Shri S.K. Dey . . . 3489—97

अनुदानों की मांगें—जारी

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय ३४९७—३५१९
श्री इन्द्रजीत गुप्त ३४९८—३५०१
श्री मुरारका . ३५०१—०६
श्री नी० श्रीकान्तन नायर . ३५०६—०७
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती ३५०८—०९
श्री टे० सुब्रह्मण्यम ३५०९—१०
श्री बड़े ३५११
श्री तिम्मय्या ३५१२—१४
श्री नाथ पाई ३५१४—१६
श्री कृ० चं० पंत . ३५१६—१८
श्री प्र० चं० सेठी ३५१८—१९

SUBJECT	PAGE
DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*	
Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering . .	3497—3519
Shri Indrajit Gupta	3498—3501
Shri Morarka	3501—06
Shri N. Sreekantan Nair	3506–07
Shri P. R. Chakraverti	3508–09
Shri T. Subramanyam .	3509–10
Shri Bade .	3511
Shri Thimmaiah . . .	3512—14
Shri Nath Pai .	3514—16
Shri K. C. Pant	3516—18
Shri P. C. Sethi .	3518–19

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, अप्रैल, १९६४/१९ चैत्र १८८६ (शक)

Wednesday, April 8, 1964/Chaitra 19, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में भूमि का आवंटन

+

*९४४. **श्री विश्राम प्रसाद :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न आय आवास योजना के अधीन सफदरजंग हस्पताल के पीछे की भूमि हाल ही में ३५ रुपये प्रति वर्ग गज पर पर्चियां निकाल कर नीलाम की गई थी; और

(ख) विकास व्यय सहित सरकार की इस भूमि की प्रति वर्ग गज लागत क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) नवम्बर, १९६१ में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सफदरजंग के इलाके में ७३ प्लाट ३५.२० रुपये से ३८ रुपये प्रति वर्ग गज के बीच अलाट किये गये थे।

(ख) ३९ रुपये प्रति वर्ग गज।

श्री विश्राम प्रसाद : २१ नवम्बर, १९६१ को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बताया गया था कि जमीन ५ रुपये प्रति वर्ग गज के मूल्य पर ली गई थी तथा ४० प्रतिशत क्षत्र मकानों के प्लाटों के लिये उपलब्ध था। इस तरह कुल अर्जन मूल्य १२.५ रुपये प्रति वर्ग गज बैठता है विकास का खर्चा ७ रु० प्रति वर्ग गज आता है। कुल मूल्य १९.५ रु० प्रति वर्ग गज होता है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने ३५ रु० प्रति वर्ग गज क्यों लिये और इतना लाभ क्यों कमाया ?

श्री ल० ना० मिश्र : जमीन की लागत ३९ रु० प्रति वर्ग गज बैठती है जबकि वह ३५ रुपये पर बेची गई; अतः, वे तो एक तरह से ४ रुपये प्रति वर्ग गज की राजसहायता दे रहे हैं।

श्री विश्राम प्रसाद : माननीय मंत्री कहते हैं कि सरकार निम्न आय वर्गों को कुछ राजसहायता देती है। जैसा कि मैंने बताया, जमीन की वास्तविक कीमत केवल १९.५ रुपये है। जब इतना फायदा उठाया जा रहा है तो सरकार कैसे कह सकती है कि सहायता दी जा रही है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : अर्जित भूमि की कीमत ५ या ७ रुपये हो सकती है। परन्तु वह सारी भूमि भवन निर्माण के लिए नहीं बेच दी जाती। सड़कों, पार्कों, स्कूलों आदि के लिए स्थान छोड़ा जाता है। इसलिए इनकी लागत भी मकानों के प्लाटों में लगा दी जाती है।

श्री विश्राम प्रसाद : कुल कितनी जमीन ली गई थी और उसमें से कितने प्रतिशत अन्य प्रयोजनों के लिए रखी गई है?

श्री हाथी : लगभग ४० प्रतिशत मकानों के लिये इस्तेमाल की जाती है। उस पर विकास व्यय पर करना पड़ता है।

Shri Yashpal Singh : Would the farmers from whom this land was acquired at the rate of Rs. 4 or 5 get some portion of this profit ?

Shri L.N. Mishra : They have been paid the price of that land. They will not get anything now.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार सभा को बता सकती है कि जो प्लाट उन्होंने ५ रु० पर लेकर ३५ रुपये पर बेचे हैं उनका आम बाजार भाव क्या होगा?

श्री ल० ना० मिश्र : यह बताना तो कठिन है परन्तु हमारी जानकारी यह है कि बाजार में मूल्य ५० रुपये से १५० रुपये प्रति वर्ग गज तक हैं।

श्री कपूर सिंह : तो क्या कारण है कि १५० रुपये वाली जमीन गरीब किसान से ५ रुपये में ले ली जाती है?

श्री ल० ना० मिश्र : जबरदस्ती नहीं ली जाती; यह जमीन बहुत पहले ली गई थी।

Shri Kachhavaiya : At what price has this land been sold and how many plots are lying without construction ?

Shri L.N. Mishra : This question is about allotment of land and not construction of houses. As I have already stated, in November 1961, 73 plots in Safdarjang area and 525 plots in Najafgarh have been sold by lot to low-income group people.

Shri Kashi Ram Gupta : Are the persons who have been allotted these plots in Government service or engaged in other occupation ? Would they be given any loan ?

Shri L.N. Mishra : It has covered those people whose annual income is below Rs. 6000.

Shri Kashi Ram Gupta : Are they Government employees or other people ?

Mr. Speaker : He has said that people with an annual income of less than Rs. 6000 have been covered by it.

Shri Kashi Ram Gupta : Are the persons who have been alloted plot in Government service or other occupations ?

Shri L.N. Mishra : They are both kinds—private as well as Government employees.

Shri Kashi Ram Gupta : Would they be given any loan for constructing houses ?

Mr. Speaker : That is a different question.

Shri Kashi Ram Gupta : Would private employees also be given some loan because Government employees who have got land generally get loan from the Government ?

Mr. Speaker : Order, order.

Shri Ram Sewak Yadav : Who are the persons from whom land has been acquired at the rate of Rs. 5 ? Are they farmers or others ?

Shri L.N. Mishra : It is difficult to say. The land was taken a long time ago and has been sold now. It is being given to those whose annual income is below Rs. 6000 and who want to construct their own house.

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, I had asked from whom this land has been acquired.

Mr. Speaker : He says it is difficult to say. The hon. Member may listen the complete reply.

दिल्ली में दूसरा विश्वविद्यालय

\+

*९४५. श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :
श्री केप्पन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कहने पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त समिति की इस सिफारिश को सरकार ने सिद्धान्त रूप में मान लिया है कि दिल्ली में यथासम्भव शीघ्र दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये।

(ख) ब्यौरा विचाराधीन है।

Shri B.P. Yadava : What would be the capacity of the Second University? Does Government consider that all those students who come up to the standards prescribed by the University and still do not get admission would be able to get admission in this University.

श्री मु० क० चागला : हम ने ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया है परन्तु स्थिति यह है। वर्तमान दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग २८,००० विद्यार्थी हैं और महसूस किया जाता है कि अब समय आ गया है जबकि एक नया विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिये। २८,००० वास्तव में बहुत ज्यादा हैं।

श्री रंगा : हम ने समझा था कि नये मंत्री काफी बचत करेंगे, विशेषत: जबकि उन्होंने बहुत सी समितियों को समाप्त कर दिया है। हम देखते हैं कि पिछले मंत्री जिस शिशु को छोड़ गये थे उसे उन्होंने ग्रहण कर लिया है। क्या यह सच नहीं है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय से कहीं अधिक विद्यार्थी हैं और फिर भी वहां एक ही विश्वविद्यालय है और यदि हां, तो क्या कारण है कि सरकार ने दूसरे विश्वविद्यालय के केवल एक प्रशासनिक यूनिट को स्वीकार कर लिया है ?

श्री मु० क० चागला : दिल्ली भारत की राजधानी है और शेष भारत के लिये यह आदर्श होनी चाहिये।

श्री रंगा : और इसलिये यहां अधिक विश्वविद्यालय होने चाहियें ?

श्री मु० क० चागला : यदि मेरे माननीय मित्र को कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति का पता होता तो वह ऐसा न कहते। मेरे विचार में किसी विश्वविद्यालय में १३०,००० विद्यार्थी होना ठीक नहीं है जैसा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने हमें जोरदार आवेदन भेजे थे।

श्री रंगा : इस तरह कलकत्ता में दो विश्वविद्यालय खोलने की बात हो सकती है। रुपये का अपव्यय है।

श्री मु० क० चागला : ठीक तरह विद्यार्थियों को शिक्षा देने से रुपया कभी व्यर्थ खर्च नहीं होता।

श्री रंगा : शहरी जीवन में स्थान तथा अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण क्या इसे दिल्ली शहर से बाहर बनाना संभव हो सकेगा ?

श्री मु० क० चागला : दिल्ली में ही हमें जगह दे दी गई है और दिल्ली की बढ़ती हुई मांग को हमें पूरा करना है। वर्तमान विश्वविद्यालय में बड़ा जमाव है। सभी बातों को देखते हुए हमने दूसरा विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया था।

श्री रंगा : क्यों ? इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता । **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे धीरज रखें । श्री बासप्पा ।

श्री बासप्पा : क्या नया विश्वविद्यलय बनाने के लिये कोई उचित कसौटी निर्धारित है और यदि हां, तो वह कसौटी क्या है ?

श्री मु० क० चागला: कसौटी है कार्य कुशलता, अच्छी शिक्षा, उच्च स्तर । यह एक कसौटी है ।

श्री दी० चं० शर्मा : दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में १० मील के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के कार्य-संचालन का उल्लेख है । क्या उस अधिनियम में संशोधन किया जायेगा और क्षेत्र को कम किया जायेगा या यह अधिनियम ऐसे क्षेत्र में प्रवर्तित होगा जो बाद में निश्चित किया जायेगा ?

श्री मु० क० चागला : इस नये विश्वविद्यालय के लिए अगले सत्र में विधान लाने की मुझ आशा है । इस समय ब्यौरा तैयार हो रहा है और हम यह फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस नये विश्वविद्यालय में संघटक निकाय कौन से होंगे । पूरा ब्यौरा अभी तैयार नहीं हुआ है ।

Shri Prakash Vir Shastri : The Government has been replying for the last three years that the question of a second university in Delhi is under consideration while thousands of Delhi students go to U.P. and Punjab for studies because here they do not have the necessary facilities. May I know why a final decision in this matter has not been taken so far ?

Shri M.C. Chagla : I may assure the hon. Member that we are taking definite steps for setting up this new university in Delhi. I will introduce the necessary legislation for that purpose in the next session. I cannot say anything more.

श्री श्रीनारायण दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह विश्वविद्यालय पूर्णत: रिहायशी विश्वविद्यालय होगा या किसी और तरह का होगा?

श्री मु० क० चागला : ब्यौरा अभी तैयार नहीं हुआ है; दिल्ली में रिहायशी विश्वविद्यालय बनाना कठिन है क्योंकि यहां इधर-उधर कई कालोनियां हैं परन्तु ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : अधिक विश्वविद्यालय बनाने का यह प्रश्न भारत में कई वर्षों से चल रहा है । अब इस तथ्य को देखते हुए कि अधिकतर विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाले निकाय हैं और केवल प्रशासनिक रूप में काम करते हैं, विश्वविद्यालय में और कालेज खोलने की बजाय एक विश्वविद्यालय क्यों जरूरी हो गया है ?

श्री मु० क० चागला : वर्तमान दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने हमें लिखा था कि विद्यार्थियों की संख्या २८,००० हो जाने से तथा इतने अधिक कालेज होने से प्रशासनिक समस्यायें ही बहुत जटिल हो गई हैं । हमें विश्वास था कि प्रशासनिक कार्य कुशलता के हित में भी एक नया विश्वविद्यालय जरूरी था ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री शिंकरे : किसने लिखा था ? वर्तमान उप-कुलपति ने या पिछले उप-कुलपति ने ?

अध्यक्ष महोदय : हम ने अगला प्रश्न ले लिया है ।

Inter-University Board Meeting

*946. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 684 on the 3rd April, 1963 and state :

(a) whether Government have examined the recommendations of the University Board which met in Bombay in February, 1963;

(b) if so, the decisions taken ; and

(c) the steps taken to implement those recommendations ?

The Minister of Eduction (Shri M.C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) Most of the recommendations of the Board are for the Universities to implement ; only some of them concern various Ministries of the Government of India. Information regarding the extent to which these have been implemented by the Ministries concerned, is being collected, and will be laid on the table of the House, in due course.

Shri Sidheshwar Prasad : As far as I know, one of the recommendations of the Board was that a uniform policy might be adopted for the entire country with regard to the medium of instruction. What decision has been taken by Government on it and in what way it is being implemented?

श्री मु० क० चागला : शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में बड़ी सिफारिश की गई है जिस पर कि अक्टूबर, १९६२ में उप-कुलपतियों के सम्मेलन में और १९६२ में राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् द्वारा जोर दिया गया था । सिफारिश यह थी कि अंग्रेजी भाषा के स्थान पर प्रादेशिक भाषायें धीरे धीरे प्रयोग में लाई जायें । अंग्रेजी की शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया था । यह भी कहा गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वदा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाये । अंग्रेजी और हिन्दी की शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाये और उन विश्वविद्यालयों में भी जिनमें माध्यम प्रादेशिक भाषायें हों एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी के उपयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । परीक्षा पत्रों का उत्तर देने के लिये प्रादेशिक भाषाओं के स्थान पर ऐच्छिक रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी के उपयोग के लिये अनुमति देने की व्यवस्था प्रत्येक विश्वविद्यालय में होनी ही चाहिये ।

Shri Sidheshwar Prasad : What are the recommendations which concern various Ministries of the Government of India ?

श्री मु० क० चागला : एक सिफारिश शिक्षा के माध्यम के बारे में थी जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है । दूसरी विश्वविद्यालय शिक्षा के अनुवर्ती सूची में सम्मिलित किये जाने के बारे में थी । तीसरी प्रत्येक विश्वविद्यालय में भारत के अन्य विश्वविद्यालयों

से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये कुछ स्थान आरक्षित करने के लिये थी। चौथी, डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में श्रेणियों का वर्गीकरण करने के लिये अंकों की एकरूपता रखने के लिये थी। शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित सिफारिशें ये हैं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या अंतर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को अनुचित रूप से दबाने के सम्बन्ध में अपनी भारी चिन्ता प्रगट की है और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी उपाय का सुझाव उन्होंने दिया है ?

श्री मु० क० चागला : मेरे विचार में यह प्रश्न बनारस में उप-कुलपतियों के सम्मेलन में उठाया गया था, अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड में नहीं। सम्मेलन में उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के महत्व पर जोर दिया था।

Dr. Govind Das : Has the question of producing literature in regional languages been considered by this Board ; and if so, what were the conclusions arrived at ?

Shri M. C. Chagla : There is no resolution regarding this. But it is the concern of Ministry to produce literature in regional languages and this work is being done.

Dr. Govind Das : My question was as to whether the Board had considered this question ?

Shri M. C. Chagla: As per information available with me, there is no such resolution of the Inter-University Board.

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has stated that one of the matters under consideration of the Government, on which they are to take decisons, is regarding the medium of instruction. While speaking in Central English Institute at Hyderabad recently, the hon. Minister stated that the supporters of English need not repent. May I take it that Government intend to continue English as medium of instruction ?

Shri M. C. Chagla : No, Sir. What I said in Hyderabad was in consonance with the resolution of three Committees. My statement did not differ from that. I did not say that English may continue for ever. What I said was that English should continue till such time as Hindi is fully developed.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि माननीय शिक्षा मंत्री अंग्रेजी के पक्ष में एक अविरत आन्दोलन चला रहे हैं; यदि हां . . .

एक माननीय सदस्य : जी, नहीं।

श्री हेम बरुआ : हमारी यही धारणा बन रही है।

श्री रंगा : किस प्रकार ?

श्री हेम बरुआ : समाचारपत्रों में वक्तव्य को पढ़िये तब आप यह बात जानेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह तो अपनी अपनी राय की बात है।

श्री हेम बरुआ : मैं यह अनुभव करता हूं कि यद्यपि इस सदन ने यह निर्णय किया है कि अन्तिम रूप से अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी लायी जानी चाहिये परन्तु इस पर भी माननीय शिक्षा मंत्री अंग्रेज़ी के पक्ष में एक अविरत आन्दोलन चला रहे हैं । यदि ऐसी बात है, तो क्या यह सच नहीं है कि इस सदन के सामूहिक मत के प्रति माननीय मंत्री अनिष्टपूर्ण कार्य कर रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : जी, नहीं, मैं हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों ही के पक्ष में अविरत प्रचार करता रहा हूं । मैं यह कहता रहा हूं कि दोनों ही भाषाओं के स्तरों का सुधार किया जाना चाहिये तथा उन्हें ऊंचा किया जाना चाहिये ।

श्री हेम बरुआ : अंग्रेज़ी के मामले में क्यों ?

श्री रंगा : क्यों नहीं ?

Shri Y. S. Choudhary : By when Government propose to implement the recommendation regarding regional languages made by Inter-University Board ?

Shri M. C. Chagla : Government has accepted the recommendation of Inter-University Board.

Shri Y. S. Chaudhary : By what time it will be implemented ?

Shri M. C. Chagla : It will be implemented by the Ministries as also by the Universities.

Shri Y.S. Chaudhary : By what time ?

Mr. Speaker : Shri Ajit Prasad Jain.

श्री अ० प्र० जैन : क्या विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बनाये रखने के लिये और गत समय में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को समाप्त करने के लिये किये गये कार्यों के प्रभाव को खतम करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

श्री मु० क० चागला : जी, नहीं । विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को रखने में मेरा बहुत विश्वास है । मैं यह समझता हूं कि यदि शिक्षा को पनपने देना है तो शैक्षणिक स्वातंत्र्य होना चाहिये । जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का आदर करेगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : विभिन्न विश्वविद्यालयों में अन्य राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों के लिये स्थान आरक्षित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और कितने विश्वविद्यालयों ने यह कार्य संपन्न कर दिया है ?

श्री मु० क० चागला : मैं ब्यौरे नहीं बता सकता । अंतर्विश्वविद्यालय बोर्ड का ऐसा एक संकल्प तो है जिसमें उसने इस बात पर जोर दिया है कि उन कुछ विषयों में जिनके लिये कि केन्द्र द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है अखिल भारतीय स्तर पर दाखिला दिया जाना चाहिये और दूसरे मामलों में कम से कम १० प्रतिशत विद्यार्थी उस राज्य विशेष से बाहर के राज्यों के दाखिल किये जाने चाहियें । इस सम्बन्ध में क्या किया गया है इसके लिये मुझे सूचना दी जाये ।

डा० सरोजिनी महिषी : शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मु० क० चागला : माननीय महिला सदस्य को यह ज्ञात है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में एक मद के रूप में सम्मिलित करने के लिये न केवल संविधान में संशोधन करना ही आवश्यक है अपितु अधिकांश राज्यों की सहमति भी आवश्यक है । मैं यह जानने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूं कि क्या यह आवश्यक सहमति मिल सकती है अथवा नहीं । मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह कोई सरल कार्य नहीं है ।

सिन्दरी में नया एमोनिया कारखाना

\+

*९४७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दे० जी० नायक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी उर्वरक कारखाने में नया एमोनिया संयंत्र संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह संयंत्र अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार काम करे इसके लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सिन्दरी उर्वरक कारखाने में नया एमोनिया संयंत्र तो संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है परन्तु उसका उत्पादन कम है । नये एमोनिया संयंत्र में एमोनिया का कम उत्पादन गैस परिष्करण संयंत्र से संश्लिष्ट गैस के कम सम्भरण के कारण हो रहा है । यह गैस परिष्करण संयंत्र प्रति दिन १ करोड़ क्यूबिक फीट कोक भट्टी गैस का परिष्करण करने के लिये बनाया गया है जिससे कि १८९ मीट्रिक टन अमोनिया प्रतिदिन अर्थात् ६३.३६८ मीट्रिक टन अमोनिया वर्ष तैयार की जा सकती है । पूरी १ करोड़ क्यूबिक फीट कोक भट्टी गैस को देने के लिये भट्टी को हलकी गैस से गरम करना होगा। इस समय हलकी गैस संयंत्र में अपेक्षित मात्रा में उत्पादन न होने के कारण, हलकी गैस की कुल आवश्यकता का केवल ७० प्रतिशत भाग उपलब्ध होता है । इसलिये अमोनिया संश्लिष्ठीकरण के लिये गैस परिष्करण संयंत्र में इसके अनुरूप ही कम मात्रा में

कोक भट्टी गैस उपलब्ध होती है । इसके अतिरिक्त, गैस परिष्करण और नये अमोनिया संयंत्र दोनों ही में फालतू उपकरण की व्यवस्था नहीं की गई है जिसका परिणाम यह होता है कि जब भी कभी कोई उपकरण संधारण के लिये निकाल लिया जाता है तो उनके उत्पादन में ५० प्रतिशत की कमी हो जाती है । इन कारणों से नये संयंत्र में अमोनिया का उत्पादन प्रतिवर्ष केवल ३८,००० मेट्रिक टन तक ही हो रहा है ।

२. जिस विशेषज्ञ समिति ने प्रसार संयंत्रों में अपेक्षित अतिरिक्त फालतू उपकरण के प्रश्न की जांच की थी उसने निम्नलिखित फालतू उपकरण के अधिष्ठापन की सिफारिश की है :—

(१) गैस परिष्करण संयंत्र में एक कोक भट्टी जमा क्रैक्ड गैस कम्प्रैसर और जल स्क्रबर के लिये एक पम्प टरबाइन सैट, और

(२) अमोनिया संयंत्र में फालतू गैस रिसरकुलेटर ।

कोक भट्टियों की गैस की आवश्यकताओं को पूरा करने में जो कमी है उसे दूर करने के लिये हलके गैस संयंत्र में दो और उत्पादक संयंत्र लगाने के लिये भी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । आवश्यक विदेशी मुद्रा दिये जाने के तुरन्त पश्चात् ही इन संयंत्रों के लिये क्रयादेश भेज दिये जायेंगे ।

श्री सुबोध हंसदा : क्योंकि यह बताया गया है कि अमोनिया का कम उत्पादन गैस संयंत्र से गैस के कम सम्भरण के कारण और संयंत्र में फालतू उपकरण की व्यवस्था न होने के कारण हो रहा है अतः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह ज्ञात नहीं था कि फालतू उपकरणों की कमी के कारण अमोनिया के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ?

श्री अलगेशन : हम इन दोनों ही दोषों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम दो हलकी गैस जनित्र यंत्र स्थापित करेंगे जिसके लिये हमने वित्त मंत्रालय से आवश्यक विदेशी मुद्रा देने की प्रार्थना की है । आवश्यक फालतू पुर्जों और उपकरण को भी खरीदने का हमारा विचार है जिससे कि अमोनिया का पूरा उत्पादन किया जा सके ।

श्री सुबोध हंसदा : विशेषज्ञ समिति ने कब इस प्रश्न की जांच की थी ?

श्री अलगेशन : कुछ समय पूर्व । मैं तिथि नहीं बता सकता ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या समिति की दोनों सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ? यदि हां, तो इन फालतू उपकरणों और पुर्जों के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

श्री अलगेशन : सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं । ३७ लाख ४९ हजार रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ।

श्री दे० जी० नायक : फालतू पुर्जों को मंगाने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

श्री अलगेशन : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं—३७ लाख ४९ हजार रुपये ।

श्री अ० प्र० जैन : ये दोष पहले पहल कब देखे गये थे और उनको कब दूर करने का विचार है ?

श्री अलगेशन : प्रारम्भ में ही हलकी गैस तैयार करने वाले संयंत्रों का कार्य संतोषजनक नहीं था ।

श्री अ० प्र० जैन : पहले पहल इसका कब पता लगा था ?

श्री अलगेशन : कुछ समय पूर्व । मैं तिथि नहीं जानता ।

श्री अ० प्र० जैन : अनुमानत : ।

श्री अलगेशन : मुझे खेद है मैं तिथि नहीं बता सकता । जिस फर्म ने संयंत्र का सम्भरण किया था उसके साथ यह प्रश्न उठाया गया था और उन पर दंड सम्बन्धी धारा लागू कर दी गई है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या प्रबन्धकों ने उत्पादन सम्बन्धी प्रोत्साहन देकर श्रमिकों के सहयोग को प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव हुआ है ?

श्री अलगेशन : यह एक अविराम प्रक्रिया है । हम श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस समय यह संतोषजनक है ।

श्री विश्राम प्रसाद : विवरण में यह कहा गया है :—

> "सिन्दरी उर्वरक कारखाने में नया एमोनिया संयंत्र संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है परन्तु उसका उत्पादन कम है ।"

वह केवल ३८,००० टन एमोनिया का उत्पादन कर रहा है जब कि उसकी निर्धारित क्षमता ६३,३६८ टन की है । क्या यह डिजाइन बनाने वाले की किसी गलती के कारण अथवा कारखाने के किसी दोष के कारण हो रहा है ?

श्री अलगेशन : हलकी गैस जनित्र संयंत्रों ने, जिनसे कि १ करोड़ क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन करने के हेतु कोक भट्टी को नीचे से गरम करने के लिये गैस का सम्भरण करने की आशा की जाती थी, अच्छा उत्पादन नहीं किया है । उनका उत्पादन केवल ७० प्रतिशत हुआ है । इस कारण से हम अमोनिया का पूरा उत्पादन नहीं कर सके हैं । इस दोष को दूर करने के सम्बन्ध में हमने जो कदम उठाये हैं वह मैं सदन को बता ही चुका हूं ।

श्री रंगा : इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री अलगेशन : मैं सदन को पहिले ही बता चुका हूं कि जिस कम्पनी ने इन हलकी गैस जनित्रों का सम्भरण किया था वह इसके लिये उत्तरदायी है । हमने यह मामला उठाया है और उन पर दंड सम्बन्धी धारा लागू कर दी गई है ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विज्ञान का शिक्षण

+

*९४८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय स्तर पर **विज्ञान के शिक्षण** की वर्तमान स्थिति का कोई विस्तृत अध्ययन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) उससे क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). जी, हां । १९६२–६३ में शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् द्वारा यह अध्ययन किया गया था ।

(ग) परिषद् ने इस अध्ययन को "भारतीय स्कूलों में विज्ञान के शिक्षण की स्थिति––तथ्यों पर आधारित प्रतिवेदन" नामक एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या विज्ञान के स्नातकों को प्रशिक्षण देने के लिये शिक्षा के प्रस्तावित प्रादेशिक कालेज स्थापित कर दिये गये हैं और यदि हां, तो कितने और कहां कहां ?

श्री मु० क० चागला : इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना दी जाये । वास्तव में यह प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं उठता । मूल प्रश्न विज्ञान के प्रशिक्षण की विद्यमान स्थिति से सम्बन्धित है । परन्तु मैं माननीय सदस्यों को यह बता दूं कि जहां तक तथ्यों पर आधारित जानकारी का प्रश्न है वह एकत्रित कर ली गई है तथा प्रकाशित भी कर दी गई है । जहां तक भविष्य की सिफारिशों का सम्बन्ध है, १९६२ में इस सम्बन्ध में स्थापित की गई समिति अभी तक इस मामले पर विचार कर रही है और हमें आशा है कि प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त हो जायेगा ।

श्री स० चं० सामन्त : महलोनोबीस समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के पश्चात् कितनी आलोचनायें तथा सुझाव प्राप्त हुए थे और कितने सुझावों की जांच कर ली गई है ?

श्री मु० क० चागला : हम को प्रतिवेदन का केवल तथ्यों पर आधारित भाग प्राप्त हुआ है । जब तक हमें अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त न हो जाये तब तक इसकी सिफारिशों पर विचार करना कठिन है ।

श्री बासप्पा : क्या विज्ञान के शिक्षण और विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकों के स्तर को पश्चिमी देशों के इनके स्तर के बराबर तक सुधारने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री मु० क० चागला : अपने माध्यमिक स्कूलों के लिये विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकों को तैयार करने की हमारी एक बड़ी भारी योजना है । पुस्तकें अंग्रेजी में तैयार की जा रही हैं । वे विभिन्न राज्यों को भेजी जा रही हैं जो कि प्रादेशिक भाषाओं में उनका अनुवाद करायेंगे और हमें आशा है कि माध्यमिक स्कलों में वे लागू कर दी जायेंगी । मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारी विज्ञान

की पाठ्य-पुस्तकें आधुनिकतम नहीं हैं। परन्तु उन्हें ऐसा बनाने के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सुबोध हंसदा : क्या सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान के शिक्षण के लिये इस समिति ने किसी समान पाठ्यक्रम का सुझाव दिया है ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मैंने बताया है, समिति की सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है; इसलिये मैं यह अनुमान नहीं लगा सकता कि समिति की सिफारिशें क्या होंगी।

Dr. Govind Das : The Minister has just stated that they have a big scheme of preparing text-books for our secondary schools. By what time these text-books are likely to be prepared in different regional languages ?

Shri M.C. Chagla : Text-books for many subjects have already been prepared, but not for all. It is expected that text-books for science will be prepared and introduced in all the secondary schools of the country within a year or two.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है कि देश में विज्ञान की पुस्तकें आधुनिकतम नहीं हैं केवल इतनी ही बात नहीं है अपितु देश में विज्ञान के शिक्षकों की भी भारी कमी है जिसके परिणामस्वरूप विज्ञान का स्तर गिरता जा रहा है। यदि ऐसी बात है तो इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस बात को जानता हूं। इस पर मुझे दुःख है कि देश में विज्ञान के शिक्षकों की भारी कमी है। जब तक हमारे देश में विज्ञान के और शिक्षक नहीं होंगे तब तक हम इस देश में विज्ञान के शिक्षण के स्तर में सुधार नहीं कर सकते। हम प्रादेशिक संस्थायें स्थापित कर रहे हैं और इस ध्येय से विभिन्न कार्य कर रहे हैं कि हमारे विज्ञान के स्कूलों के लिये पर्याप्त संख्या में विज्ञान के सक्षम अध्यापक उपलब्ध हों। यह दीर्घ-कालीन परियोजना है परन्तु हम अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या यह समिति, जिसके द्वारा देश में माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में शीघ्र ही प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की आशा की जाती है, सभी विषयों के शिक्षण के सम्बन्ध में पृथक पृथक अध्ययन कर रही है और क्या इसने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में भारत में माध्यमिक स्कूल स्तर पर विज्ञान के शिक्षण के सम्बन्ध में विशेष रूप से कोई बात कही है ?

श्री मु० क० चागला : महलोनोबीस समिति माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान के शिक्षण के प्रश्न पर विचार करेगी। यह एक विशेष उद्देश्य के लिये स्थापित की गई समिति है और हम उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

डा० रानेन सेन : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि नगरेतर क्षेत्रों में बहुत से स्कूलों में उपयुक्त उपकरण और सामान उपलब्ध नहीं होता है; यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

श्री मु० क० चागला : विज्ञान के शिक्षण में यह एक और दूसरी कठिनाई है। हमारे पास उपयुक्त उपकरण और उपयुक्त प्रयोगशालायें नहीं हैं। इस सारे मामले पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जा रही है। मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन देता हूं कि देश में विज्ञान के शिक्षण का स्तर सुधारने के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

उर्वरक कारखाने

\+

*९४९. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री ४ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १११८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को दिये गये ऐसे लाइसेंसो को रद्द करने के बारे में इस बीच क्या निर्णय किया गया है जिन्हें काफी समय से उपयोग में नहीं लाया गया है; और

(ख) क्या उद्यमियों से विलम्ब के कारण बताने के लिये कहा गया है और यदि हां, तो इसके लिये सामान्य रूप से क्या कारण बताये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) प्रत्येक मामले में नवीनतम स्थिति को देखते हुए लाइसेंसों को रद्द करने के प्रश्न पर अब भी विचार किया जा रहा है ।

(ख) जी हां, गैर-सरकारी क्षेत्र में इन प्रायोजनाओं की स्थापना में विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि जिन व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये हैं वे आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्राप्त नहीं कर सके और कुछ मामलों में वे मूल स्थान को बदलना चाहते थे ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या कुल आवश्यकता के अनुपात में सरकारी क्षेत्र में प्रत्याशित उत्पादन का कोई अनुमान लगाया गया है ?

श्री अलगेशन: तीसरी योजना के आखिर में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र का कुल उत्पादन ४ से ५ लाख टन नाइट्रोजन होगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : गैर-सरकारी क्षेत्र के कटु अनुभव को देखते हुए जो कि उसकी असफलता से स्पष्ट है, क्या सरकार सभी उर्वरक कारखाने स्थापित करने की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लेगी ?

श्री अलगेशन : एक मामले में, दुर्गापुर में जहां पश्चिम बंगाल सरकार एक उर्वरक कारखाना खोलना चाहती थी, उसने बताया है कि वह नहीं खोल सकती और उसने उर्वरक निगम को वह कारखाना खोलने के लिए कहा है । हम अब उस सवाल पर विचार कर रहे हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : उर्वरकों की काफी मांग और हमारी विदेशी मुद्रा के खर्च को ध्यान में रखते हुए क्या उत्पादन का कुछ भाग गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का सरकार का विचार है ?

श्री अलगेशन : यह प्रश्न गैर-सरकारी क्षेत्र से संबंधित है । जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया है उनमें से कई लोग विदेशी और तकनीकी सहयोग नहीं प्राप्त कर सके ।

श्री रामचन्द्र उलाका : उर्वरकों की वर्तमान आवश्यकता कितनी है और जो नये कारखाने खोले जा रहे हैं उनसे कितनी आवश्यकता पूरी होगी ?

श्री अलगेशन : इस समय, १९६३–६४ में हमारा उत्पादन २,६१,००० टन नाइट्रोजन है और आयात २,१७,००० टन । हम करीब करीब मांग पूरी कर पा रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री ने बताया है कि भारत का उर्वरक निगम दुर्गापुर में एक उर्वरक कारखाना खोलने के बारे में विचार कर रहा है । तो इसमें इतनी देर क्यों हो रही है और क्या यह कारखाना संभवत: चौथी योजना में खोला जाने वाला है ?

श्री अलगेशन : देर हमारी वजह से नहीं है । यह कारखाना पश्चिम बंगाल सरकार खोलना चाहती थी और उसने बहुत बाद में हमें बताया कि वह नहीं खोल सकती । अब वह दुर्गापुर में, बरौनी में या हल्दिया में खोला जाये या सिंदरी के कारखाने का विस्तार किया जाय, इन सब बातों पर विचार हो रहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : हमें पहले यह आश्वासन दिया गया था कि यह कारखाना दुर्गापुर में खोला जायगा । अब इस जवाब से मालूम होता है कि अभी जगह तय नहीं हुई है । क्या कम से कम दुर्गापुर में उसे खोलने का निश्चय किया गया है ?

श्री अलगेशन : सभी स्थानों के तुलनात्मक गुणदोषों की छानबीन उर्वरक निगम कर रहा है और हम शीघ्र ही निश्चय करेंगे ।

डा० रानेन सेन : हमें मालूम हुआ था कि दुर्गापुर में जमीन ले ली गयी है और माननीय मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने पिछले साल बताया था कि यह कारखाना दुर्गापुर में ही खोला जायेगा । क्या सरकार ने अपना पुराना निश्चय बदल दिया है या वह अब भी उसी पर दृढ़ है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर): किसी पुराने निश्चय से पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है । जैसा कि बताया जा चुका है, सारी कठिनाई इसलिए पैदा हुई कि पश्चिम बंगाल सरकार प्रायोजना को कार्यान्वित नहीं कर सकती थी । दुर्गापुर के साथ साथ हम ने हल्दिया के तुलनात्मक महत्व पर भी विचार किया । उर्वरक निगम का प्रारम्भिक सर्वेक्षण दुर्गापुर के पक्ष में है । लेकिन कोई अन्तिम निश्चय करने से पहले हमें सारी बातों का अवश्य ही अध्ययन करना होगा ।

दिल्ली के समन्वित विकास के लिये प्राधिकार की स्थापना

***९५०. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के पास पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में स्थित क्षेत्रों का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिये एक प्राधिकार स्थापित करने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) दिल्ली के लिये बनाई गई वृहद् योजना को चलाने में इस प्राधिकार से कहां तक सहायता मिलेगी और दिल्ली विकास प्राधिकार के साथ इसका क्या सम्बन्ध होगा ;

(ग) प्रस्तावित समन्वित प्राधिकार की रचना तथा कार्यपालक कृत्य क्या होंगे और

(घ) इस के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार पर पंजाब तथा उत्तर प्रदेश का किस प्रकार का नियंत्रण होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों के परामर्श से इस मामले की छानबीन हो रही है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या समन्वित विकास का वित्तीय खर्च मालूम कर लिया गया है और यदि हां, तो वह विभिन्न राज्यों में किस प्रकार बांटा जायगा ?

श्री हाथी : एक संविहित प्राधिकार बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । उस का निश्चय हो जाने के बाद दूसरे प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या उत्तर प्रदेश और पंजाब ने खुद ही उन क्षेत्रों को दिल्ली की वृहत् संगठन के अनुरूप बनाने की कोई योजना बनाई है ?

श्री हाथी : उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों ने इस योजना पर दिल्ली नगर आयोजन संगठन के सहयोग और सलाह से विचार किया है ।

Shri Kashiram Gupta : May I know whether Government of U.P. and Punjab are inclined to hand over their areas to this Authority?

Shri Hathi : Negotiations are to be made with them.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know how much land out of that which is under negotiation is owned by Punjab and Uttar Pradesh.

Shri Hathi : There is no question of transfer of land. Only plan is to be made, as to how transport, roads thoroughfare, sewage etc. are to be fitted in this plan. It is to be negotiated.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने इस मामले में पंजाब और उत्तर प्रदेश के संयुक्त नियंत्रण की राइयों की भली भांति छानबीन की है और यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों को पूरी तरह दिल्ली में मिला देने का उन का विचार है ?

श्री हाथी : किसी क्षेत्र को अन्य किसी क्षेत्र के साथ मिलाने का कोई प्रश्न नहीं है । प्रश्न केवल एक योजना तैयार करने का है ताकि दिल्ली के आसपास का इलाका बृहत् योजना में ठीक बैठ सकें ।

Shri Yashal Singh : Is Government aware of the fact that about four years back it had given an assurance for decentralisation? Will it be in consonance with that assurance that the three areas be merged and a single Authority be set up ?

श्री हाथी : यह किसी राज्य से क्षेत्राधिकार ले लेने या व्यावहारिक, दांडिक या विकास संबंधी मामलों में किसी प्रकार की शक्तियां देने का प्रश्न नहीं है । कल्पना यह है कि एक संविहित प्राधिकार कायम किया जाय जो बृहत् योजना के अनुसार दिल्ली के समन्वित विकास की ओर ध्यान दे । दूसरी

कल्पना यह है कि यह राष्ट्रीय राजधानी के प्रदेश में सभी क्षेत्र शामिल करेगा । इस में किसी राज्य से क्षेत्राधिकार ले लेने का कोई प्रश्न नहीं है ।

Shri Kachhvaiya : How much time would be taken for its completion and when it would be completed?

Shri Hathi : At present talks are going on about the setting up of statutory authority only. When both states would agree, it would be formed.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इन समस्याओं को निबटाने के लिए पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ गृहकार्य मंत्रालय की अभी तक कोई बैठक हुई है और यदि हां तो कब और नहीं तो वह कब होने जा रही है ?

श्री हाथी : मेरे पास यहां तारीख नहीं है लेकिन गृह मंत्री ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के साथ इस प्रश्न पर चर्चा की थी ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या दिल्ली के आसपास मद्यनिषिद्ध क्षेत्र बनाने के प्रश्न पर भी चर्चा की गई थी और यदि हां, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारों की क्या राय है ?

श्री हाथी : यह विषय इस प्रश्न के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता ।

राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार गोष्ठी

*९५१. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री ११ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सभी राज्य सरकारों ने प्रारम्भिक अवस्था में विज्ञान के शिक्षण सुधार के लिये राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार गोष्ठी के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन्) : (क) और (ख) यह रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों के पास भेज दी गई थी ताकि वे सिफारिशों पर विचार करें और उन्हें कार्यान्वित करें । उन के उत्तर दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी-२६६० ४]**

श्री रामचन्द्र उलाका : विवरण से दिखाई पड़ता है कि कुछ राज्यों ने धन की कमी के कारण यह योजना समाप्त कर दी है । इसलिए, राज्यों को यह योजना कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त धन देने के लिये सरकार क्या कदम उठाने वाली है ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : विज्ञान की शिक्षा सम्बन्धी योजनाएं कार्यान्वित करने और सामान्य शिक्षा की उन्नति के लिए भी हम अधिक धन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । लेकिन प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णत: राज्य का विषय है । हम राज्यों को इस ओर अधिक ध्यान देने के लिये मना रहे हैं ? विज्ञान की शिक्षा में सुधार करने के लिये प्रत्येक राज्य में एक अग्रिम खंड भी चालू

किया है और राज्य सरकारों से कहा है कि वे हर जिले में एक ऐसा खंड चालू करें और उसे अपने बजट में शामिल करें। हम इसके लिए और धन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या सरकार प्रारम्भिक दशा में विज्ञान की पढ़ाई को उन्नत करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो यह योजना संपूर्ण देश में कब लागू की जायेगी ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। लेकिन विज्ञान प्रारम्भिक स्तर पर भी पढ़ाना होता है। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती।

श्री घुलेश्वर मीना : विवरण से दिखाई पड़ता है कि यह योजना अब भी कुछ राज्यों में विचाराधीन है। उन राज्यों से अन्तिम उत्तर कब तक प्राप्त हो जायेंगे ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : हम शिक्षा मंत्रियों की बैठक शीघ्र ही करने जा रहे हैं और हम एक बार फिर उनके साथ इस पर चर्चा करेंगे। उन्हें इस पर न केवल विचार करना चाहिये बल्कि इसे कार्यान्वित भी करना चाहिये और हम उन्हें हर संभव मदद देने के लिये तैयार हैं।

Shri Sidheshwar Prasad : Has the Central Government made any efforts to ascertain how much money would be required to implement these recommendations and how it would be shared by the State Governments and the Centre ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : राज्य सरकारों ने हमें यह नहीं बताया है कि उसके लिए कितना धन आवश्यक होगा। शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हम उस पर विचार करेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात का क्या कारण है कि विज्ञान पढ़ने के लिए लड़के हायर सेकेन्डरी से सेकेन्डरी स्कूलों में भागते हैं ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है। सभी राज्यों में हायर सेकेन्डरी की शिक्षा का ढांचा नहीं है मुझे नहीं मालूम कि वह दिल्ली में हो रहा है या नहीं।

श्रीमती सावित्री निगम : विवरण में बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने कम खर्ची के उपाय के तौर पर विज्ञान परामर्शदाता का पद समाप्त कर दिया है। क्या केन्द्रीय सरकार ने इस अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य के लिए राज्यों को कोई सहायता दी है और क्या किन्हीं राज्यों ने अब तक कोई ऐसी मांग की है ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : राज्य साधारणतया शत प्रतिशत आधार पर अधिक सहायता चाहतेहैं जो कठिन है। एक ढांचे के मुताबिक ही उन्हें मदद दी जाती है। हम उस बारे में राजस्थान से पूछेंगे। लेकिन कुछ राज्य उन के पास उपलब्ध धन के अनुसार स्वतः ही निश्चय करते हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रायः सभी राज्य सरकारों ने धन की कमी के कारण यह योजना कार्यान्वित करने की अपनी असमर्थता व्यक्त की है। यदि ऐसा है तो क्या इससे विज्ञान की प्रगति रुकेगी नहीं ? यदि हां तो गोष्ठी की सिफारिशों को अच्छी तरह कार्यान्वित करने के लिये क्या सरकार का अपनी योजना से अतिरिक्त धन देने का विचार है ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : प्रारम्भिक और हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षा में सुधार के लिए हम अतिरिक्त धन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है कि उससे अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

Emeritus Scientists Scheme

*952. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the main features of the scheme of Emeritus Scientists ;

(b) the number of Emeritus Scientists so far appointed and the conditions of their appointment ; and

(c) whether they fulfil the condition of being active in the field of scientific research ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) The Scheme envisages appointment of retiring Directors of National Laboratories, Institutes, scientists in Universities and other research organisations who are active in research, as Emeritus Scientists, for a period of 5 years and on an honorarium of Rs. 1000 per month.

(b) Three Directors of National Laboratories have been offered appointments as Emeritus Scientists on the terms mentioned at (a) above. One of them has not accepted the offer ; of the other two, one joined on 10-12-1963 and the other is expected to join towards the end of April, 1964.

Action for appointment of 3 others from other scientific research institutions is in hand.

(c) Yes, Sir.

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister has stated that efforts were again made to obtain services of some scientists. May I know what those efforts were, and why there was no success and why the offer was not accepted ?

The Minister of Education (Shri M .C. Chagla) : I don't know the reasons. Three scientists were offered appointment and two of them have accepted the offer. One has joined and the other is also expected to join.

Shri Prakash Vir Shastri: In view of growing scientific progress and the emergency in the country may I know whether Government propose to enlarge this scheme and if so, the outline thereof ?

Shri M. C. Chagla : It is a very good scheme because retired scientists can work under it. This scheme would continue till good scientists are available.

Mr. Speaker : What are you doing for its expansion ?

श्री मु० क० चागला : यह इस बात पर निर्भर है कि आवश्यक वैज्ञानिक मिलते रहें । इस योजना में कोई संख्या निश्चित नहीं है ।

Shri Kashiram Gupta : The Deputy Minister is well versed in Hindi. Could he not find any synonym for Emeritus ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : It is a proper noun. It con't be translated.

Shri Onkar Lal Berwa : Were any negotiations made with other countries just as an appeal has been made to U.S.A. ?

Shri M .C. Chagla : No sir, it is our scheme, it has not been referred to America.

Shri Siddheshwar Prasad : May I know whether the scientists who are appointed under this scheme are selected on an All India level or State level or they are selected by the Education Ministry ?

Shri M. C. Chagla : There is a committee which selects them.

Shri Siddheshwar Prasad : What is the number of the members of that Committee ?

श्री मु० क० चागला : हम एक डायरेक्टर नियुक्त करते हैं और फिर उसे एपिरेंटस प्रोफेसर-शिप देना उपाध्यक्ष पर छोड़ दिया जाता है । जब ऐपिरेंटस प्रोफेसरशिप ऐसे आदमी को दी जाती है जो डायरेक्टर नहीं होता तब एक विशेषज्ञ समिति होती है । समिति के सदस्यों के नाम मैं पढ़ दूंगा ।

वे इस प्रकार हैं, उपाध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, डा० एस० आर० पारित, डा० सतीश धावन, डा० डी० ए० कोठारी, वैज्ञानिक परामर्शदाता, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, प्रोफेसर राम बिहारी, डा० वी० आर० खानोलकर, मेजर जनरल एस० एस० सोखी, डा० एम० एस० रंधावा और डा० बी० पी० पाल ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा का संकल्प

+

*९५३. **श्री हरि विष्णु कामत :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री कजरोलकर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों के नाम सम्मन जारी करने के उत्तर प्रदेश विधान सभा के संकल्प के बारे में २३ मार्च, १९६४ को दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महान्यायवादी ने सरकार द्वारा उन्हें भेजे गये निर्देश पर अपनी सलाह दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) महान्यायवादी ने सलाह दी कि संविधान के अनुच्छेद १४३ के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश करना राष्ट्रपति के लिये उपयुक्त होगा । उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भारत सरकार से प्रार्थना की कि इस प्रश्न को निबटाने के लिए भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद १४३ के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश करें । तदनुसार राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस बात को देखते हुए कि यह वाद अब उच्चतम न्यायालय के सामने हैं और वह मुख्यत: उत्तर प्रदेश विधान तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकारों में संघर्ष के संबंध में है, महान्यायवादी का उच्चतम न्यायालय में क्या काम होगा, वह किसका प्रतिनिधित्व करेगा ?

श्री हाथी : वह उच्चतम न्यायालय की सहायता करेगा । विभिन्न विधान मंडलों और हाई कोर्टों को नोटिसें जारी कर दी गयी हैं, वे सब अपने अपने दृष्टिकोण उच्चतम न्यायालय के सामने रखेंगे और इससे उच्चतम न्यायालय को मदद मिलेगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की लम्बी अनुपस्थिति के क्या कारण थे ?

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि उनका प्रश्न यह था कि इस प्रश्न पर कि अनुच्छेद १४३ के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश करना उपयुक्त होगा या नहीं, हमने राय मांगी या नहीं या क्या राय दी गयी थी ?

अध्यक्ष महोदय : वह समझते हैं कि यदि राज्यपाल उपस्थित होते तो यह संघर्ष निबट जाता । इसलिए वह जानना चाहते हैं ।

श्री हाथी : यह एक काल्पनिक प्रश्न है कि वे वहां होते तो क्या होता या न होता । मैं वह नहीं बता सकता ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह छुट्टी पर थे ? वे कहां थे ?

श्री हाथी : मैं समझता हूं कि वे उस दिन लखनऊ में नहीं थे ।

श्री हरि विष्णु कामत : उनकी लंबी अनुपस्थिति के क्या कारण हैं ? संविधान के अधीन हम उनके आचरण की चर्चा नहीं कर सकते । मेरा उससे कोई संबंध नहीं है । क्या वह लंबे समय के लिए अनुपस्थित थे और यदि हां तो कितनी देर के लिए ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह छुट्टी पर थे ?

श्री हाथी : मुझे उसके लिए सूचना चाहिये ।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether on the same day when there was constitutional crisis in U.P., the Chief Minister contracted the Union Home Minister and asked him to obtain the opinion of Attorney General so that the crisis may not be aggravated further ?

श्री हाथी : मुझे नहीं मालूम ।

श्री त्यागी : क्या इस विवाद को स्पष्ट करने और संविधान में ऐसे परिवर्तन करने का सरकार का इरादा है जिससे विधान मंडल और न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार स्पष्ट अलग अलग निर्धारित किये जा सकें ?

अध्यक्ष महोदय : निदेश किया गया है और राय की प्रतीक्षा है । राय प्राप्त होने के बाद ही सरकार कोई निश्चय कर सकती है क्योंकि वह उसी पर निर्भर होगा ।

श्री अ० प्र० जैन : संविधान में यह व्यवस्था है कि संसद् को उसकी शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां निर्धारित करने का अधिकार है । क्या इस विषय में कोई कानून बनाने का सरकार का इरादा है ?

श्री हाथी : हम इस निर्देश के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री तिरुमल राव : सरकार की ठीक-ठीक संवैधानिक स्थिति क्या है ? जब कभी न्यायपालिका और कार्यपालिका में इस प्रकार के संघर्ष उत्पन्न हों, तो क्या उन्हें राय और मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध नहीं होना चाहिये और यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल परामर्श के लिए उपलब्ध थे ?

श्री हाथी : मैं बता चुका हूं कि मुझे इस बात के लिए सूचना चाहिये कि वे छुट्टी पर थे या नहीं ।

श्री दाजी : केन्द्रीय सरकार को इस संकट का कब पता चला और वास्तव में उसका निर्देश कब किया गया ?

श्री हाथी : मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार को २१ मार्च को मालूम हुआ और हमने २६ मार्च को निर्देश किया ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या केन्द्रीय सरकार अपने आप ही न्यायपालिका और विधान मण्डल के बीच इस प्रकार के झगड़े रोकने की सलाह नहीं देगी जो लोकतंत्र के हित में है ?

अध्यक्ष महोदय : कोई सलाह नहीं दी जा सकती । अगला प्रश्न ।

Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in promotions

*954. **Shri Balmiki :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several Class I and Class II Scheduled Castes and Scheduled Tribes officers were reverted as a result of the withdrawal of reservation in promotion posts after the Supreme Court's judgment ;

(b) if so, the number of officers reverted ;

(c) whether it is also a fact that the Railways and other departments are also going to withdraw this concession ;

(d) whether the Home Ministry has issued any directions in this regard; and

(e) if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). The orders issued by the Home Ministry in this regard take effect from the date of issue and promotions and selections already made in accordance with the old orders are not to be disturbed. There is, therefore, no question of any officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes been reverted from a Class I or Class II post as a result of these orders.

(c) The Ministry of Railways have issued orders similar to those issued by the Ministry of Home Affairs The other Departments of the Government of India follow the orders issued by the Ministry of Home Affairs.

(d) and (e). A copy each of the Government of India Resolution and Office Memorandum dated 8th November, 1963 is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library.* See *No. LT—2661/64*]

Shri Balmiki : Is the hon. Minister aware that new difficulties have arisen in regard to those Scheduled Castes and Scheduled Tribes Officers who have been promoted after the Supreme Courts decision and if so, what efforts are being made to remove those difficulties ?

Shri L N Mishra : No new difficulty has arisen. Those who have been promoted, still hold their promotion posts. It has already been stated that reservation is there for Class III & Class IV posts but there is no reservation for promotion posts in Class I & Class II. So there is no question of any new difficulty.

Shri Balmiki: May I know whether these promotions in railways and other departments would be continued and whether the Home Ministry has issued orders, that these promotions be made on the basis as laid down in Supreme Court's decision ?

Shri L. N. Mishra : Yes Sir, in future promotions would not be made in that way but those which have already been made would continue.

Shri Dhuleshwar Meena : May I know whether Government employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes could not be promoted after these orders have been issued and whether any cadre would, therefore, be created or any training would be imparted to them so that they could seek promotion in class I and Class II grades ?

Shri L. N. Mishra : I have already stated that there is reservation of posts in all classes, from Class I to Class IV but as regards promotion, there is no reservation for Class I and Class II posts but it is there for Class III and class IV posts.

श्री बसुमतारी : उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद क्या भारत में यह प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के संबंध में पदोन्नति का प्रश्न नहीं होना चाहिये और यदि हां, तो यह प्रवत्ति दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह गलत है । स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि वर्ग ३ और ४ के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति संबंधी संरक्षण रहेगा लेकिन दूसरे मामलों में वह रहना चाहिये ।

श्री सोनावने : वर्ग १ और वर्ग २ के पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई संरक्षण न रखने के क्या कारण हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : कार्यकुशलता और अधिक अच्छे प्रशासन के लिए वर्ग १ और २ के पदों के संबंध में कोई संरक्षण नहीं रहना चाहिये ।

Shri Gulshan : May I know whether Government have received complaints from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates about non-reservation of Gazetted posts for the purpose of promotions and if so, the number of Such Complaints ?

Shri L. N. Mishra : Many Complaints are received but it is difficult to give their number. There has been no Complaint that a certain rule has been violated.

Shri Gushan : Government have received complaints ; but what has been done to remove them ?

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWE R

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८. { **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री राम सहाय पांडेय :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में सामान्य रूप से काम चालू करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने में कब तक पुन: काम शुरू हो जायेगा ; और

(ग) श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच असन्तोषजनक सम्बन्ध की जांच के लिए जो वचन दिया गया है वह कब तक प्रारम्भ होगा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हा। हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल, के प्रशिक्षण अनुभाग पुन: खोल दिये गये हैं । कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन विभाग संभवत: अब से फिर खुल जायेंगे ।

(ख) कारखाने के बाकी अनभागों की बन्दी हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के प्रबन्धकों और राज्य सरकार द्वारा भोपाल में मजदूरों की स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर उठा दी जायेगी ।

(ग) किसी जांच का वायदा नहीं किया गया ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस बात को देखते हुए कि उपद्रव की जड़ दो प्रतिस्पर्धी मजदूर संघों के बीच मान्यता संबंधी विवाद है, क्या सरकार ने सभी सरकारी प्रायोजनाओं और हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ऐसी कोई हिदायत दी है कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रस से सम्बद्ध मजदूर संघ को ही मान्यता दी जायगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं, ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की गयी है।

श्री हरि विष्णु कामत : पिछले हफ्ते यह बताया गया था कि गड़बड़ खत्म हो जाने पर मंत्री महोदय खुद इस मामले की जांच करेंगे। क्या वे इसे भूल गये हैं? क्या भिलाई में हाल में जारी किया गया उत्पादन बोनस हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में भी लागू किया जायगा?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं सोचता था कि भाग (ग) का संबंध मेरे किसी वायदे से है। मैंने जो कुछ संसद में कहा था उसे मैंने याद करने की कोशिश की। मैंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया है। जांच की जाय या न की जाय यह उस समय तय करना होगा जब भोपाल में सामान्य स्थिति कायम हो जायगी। वह बिलकुल अलग सवाल है। बोनस के बारे में भी विचार हो रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि लगभग ७४ कर्मचारी जेल में हैं औ उन्हें बुरी तरह पीटा भी गया था और यदि हां, तो क्या तालाबन्दी उठाये जाने से पहले माननीय मंत्री राज्य सरकार से इस मामले में चर्चा करेंगे और इस ओर ध्यान देंगे कि इन लोगों को रिहा कर दिया जाय और इस ओर किसी को परेशान न किया जाये ताकि कारखाने में सामान्य रूप से काम होने लगे?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ये लोग किसी जुर्म में गिरफ्तार किये गये थे। इसलिए उनके संबंध में कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जायगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन कर्मचारियों की सद्भावना और सहयोग प्राप्त करने के लिए माननीय मंत्री क्या ठोस कदम उठा रहे हैं, बनिस्पत इसके कि वे केवल स्थानीय प्रशासन उत्पीडन नीति पर ही निर्भर रहें?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उत्पीडन का कोई प्रश्न नहीं है। वास्तव में हिन्दुस्तान मजदूर संघ का सहयोग प्राप्त करने के लिए मैंने हर संभव प्रयत्न किया है। लेकिन वह अपने रवैये पर अड़ा हुआ है। यदि वह चाहता है कि उसे मान्यता दी जाये तो उसे विधि के अनुसार कुछ उचित कदम उठाने पड़ेंगे। उसके लिए वह तैयार नहीं है और वह चाहता है कि विधि की उपेक्षा करके उसे मान्यता दी जाय जो नहीं किया जा सकता।

श्री दाजी : क्या सरकार जानती है कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने भी इस तालाबन्दी को पूरी तरह से अवैध कहा है और वह इस बात के लिए कदम उठा रही है कि यह तालाबन्दी अवैध घोषित की जाये?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन चीजों में एक संघ को दूसरे संघ के साथ लोकप्रियता के लिए मुकाबला करना पड़ता है इन सब बातों में यही वास्तविक कठिनाई है। इसलिए यदि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने ऐसा कहा है तो उसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : भोपाल में हेवी इलेक्ट्रिकल्स में काम चालू करने के लिए वास्तव में क्या ठोस कदम उठाये गये थे? क्या किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया

था ; यदि हां, तो क्या उन पर अभियोग लगाया गया है और क्या उनकी गिरफ्तारी से हेवी इलेक्ट्रिकल्स में वास्तव में काम चालू हो गया है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जैसा कि एक माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न में कहा था, लगभग ७४ व्यक्तियों को विधि की विभिन्न धाराओं के अधीन, कुछ को भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किया गया है । उन पर अभियोग लगाया जायगा और न्यायालय उन के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे । इस बात के लिए हर कोशिश की जा रही है कि कारखाने का प्रत्येक सेक्शन खुले और मजदूरों को वहां जाने और शांति से काम करने के अवसर दिये जायें ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या उनकी गिरफ्तारी से वास्तव में हेवी इलेक्ट्रिकल्स का काम आरंभ होने में कुछ मदद मिली है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह निश्चय करना राज्य सरकार का काम है कि जुर्म करने के बाद किसी को गिरफ्तार किया जाय या नहीं । कारखाने के काम में सहूलियत हो या न हो, जब कोई जुर्म किया जाता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई अवश्य करनी होगी ?

श्रीमती मैमूना सुल्तान : इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए, क्या दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के लिए कुछ संसद सदस्यों को भोपाल भेजने की उपयुक्तता पर सरकार विचार करेगी ? क्या सरकार के सामने ऐसी कोई योजना है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : यह कारखाना बन्द हो जाने के कारण उसे अब तक कितनी रकम का नुकसान हुआ है और मजदूरों को प्रतिदिन कितना नुकसान हो रहा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मोटे तौर पर प्रति दिन लगभग ४ लाख रुपये के उत्पादन का नुकसान हो रहा है । मजदूरों की मजूरी के बारे में आंकड़े बताने में मैं असमर्थ हूं ।

श्री राघेलाल व्यास : क्या राज्य सरकार ने प्रतिस्पर्धी संघ या मान्यता प्राप्त संघ के अतिरिक्त अन्य किसी संघ को मान्यता सम्बन्धी अपनी मांग के समर्थन में कोई कागजात और साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया था और क्या प्रतिस्पर्धी संघ वैसे कागजात पेश नहीं कर सका ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं एक बार पहले इस सवाल का जवाब दे चुका हूं । संघ की मान्यता का मामला १९६२ में शुरू हुआ जब कि प्रत्येक संघ को छानबीन के प्रयोजन के लिए श्रम अधिकारी के सामने कागजात पेश करने के लिए कहा गया । हिन्दुस्तान मजदूर संघ ने अपने कागजात पेश नहीं किये । इसलिए भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को मान्यता दी गयी । इसके बाद श्रम न्यायालय में अपील की गयी । वहां वह संघ हार गया । फिर भी उसने अड़चनें पैदा करना जारी रखा । बाद में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप करके संघ को फिर एक बार जवाब देने के लिए कहा क्योंकि मध्य प्रदेश के अधिनियम की धारा १७ में वर्तमान मान्य संघ की मान्यता वापस ले लेने और दूसरे संघ को मान्यता देने की व्यवस्था है । एक आश्वासन दिया गया था कि सदस्यों की छानबीन करने के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली कायम की जायगी । हम आश्वासन के

बावजूद उसने धारा १७ के अधीन आवेदन नहीं किया लेकिन वह डरा धमका कर मान्यता प्राप्त करना चाहता है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न मजदूर संघ सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं जिसमें एक मांग यह है कि केन्द्रीय श्रम विधियां इस कारखाने में लागू की जायें ? क्या माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि स्थिति सामान्य हो जाने पर वह सभी प्रस्तावों की छानबीन करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे ? अब मंत्री महोदय ने वहां एक प्रशिक्षण स्कूल खोला है लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि कोई स्कूल नहीं जा रहा है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सभी प्रशिक्षार्थी वहां स्कूल में जा रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि एक दो लोग कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी स्कूल अच्छी तरह चल रहा है। निर्माण विभाग आज खोला जायगा और मुझे मालूम हुआ है कि उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री रंगा : त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन और उसके द्वारा नियुक्त कुछ उपसमितियों के निश्चयों को, आचरण संहिता को और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन प्रतिस्पर्धी संघों से सम्बद्ध कई राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि त्रिपक्षीय सम्मेलन में होते हैं। क्या सरकार ने सम्मेलन के किसी एक को या समुदाय को इस कारखाने में श्रम संबंध के प्रश्न का अध्ययन करने और सरकार को तथा श्रमिकों को सलाह देने के लिए कहने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हिन्दुस्तान मजदूर संघ ये सब कठिनाइयां पैदा कर रहा है। वह किसी अखिल भारतीय श्रमिक संघ से संबंधित नहीं है। कम्यूनिस्ट पार्टी और इस संघ के बीच कुछ संबंध मुझे दिखायी पड़ता है। जब कभी हम यह संहिता लागू करना चाहते हैं तो यह कहा जाता है कि वह एक स्वतंत्र संघ है। माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे इस ओर ध्यान दें कि ये लोग अनुशासन का पालन करें। मुझे खेद है कि इस मामले में कम्यूनिस्टों ने यथोचित ढंग से काम नहीं किया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पाठ्यपुस्तकों में जालसाजी

*९५५. **श्री जेधे :**
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री बसुमतारी :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में पाठ्य पुस्तकों में अन्तर्राज्यीय जालसाजी का पता लगाने के लिए दिल्ली में छापे मारे हैं; और

(ख) यदि हां, तो छापों का ब्योरा क्या है तथा नकली पाठ्य पुस्तकों के बारे में क्या सामग्री मिली है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं। उन्होंने प्रत्यर्पित्याधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ६३ के अधीन तथा आई० पी० सी० की धारा ४२० के अधीन एक अपराध की जांच करने में पूना सी० आई० डी० के एक अफसर को सहायता की थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रूरकेला से विदेशी राष्ट्रजनों का निकाला जाना

***९५६. श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में ब्रिटिश तथा अमरीकी राष्ट्रजनों को रूरकेला से अचानक निकाल लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या ब्रिटिश तथा अमरीकी राष्ट्रजनों के अतिरिक्त अन्य विदेशी राष्ट्रजनों को भी रूरकेला से निकाला गया था;

(घ) जिन देशों ने रूरकेला से अपने राष्ट्रजनों को निकाल लिया था क्या उन्होंने इस बारे में सरकार के साथ बातचीत की थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) संभवतया रूरकेला में गड़बड़ी होने के कारण।

(ग) जी नहीं।

(घ) बताया जाता है कि कलकत्ता में अमरीकी वाणिज्य दूत ने स्थानीय प्रतिरक्षा अधिकारियों से बातचीत की है।

(ङ) सरकार इनको निकालना आवश्यक नहीं समझती थी।

अवशेष कार्यवाही समिति का संकल्प

***९५७. श्री जसवन्त मेहता :**
श्री रा० बरुआ
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान काश्मीर में पुनः जनमत के बारे में अवशेष कार्यवाही समिति के हाल ही के संकल्प की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह भी आया है कि शेख अब्दुल्ला दल अभी तक काश्मीरियों के आत्म-निर्णय के अधिकार की अपनी पुरानी मांग पर आग्रह कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): (क) से (ग). मैंने इस सम्बन्ध में समाचार देखे हैं। जम्मू तथा काश्मीर में जनमत संग्रह के प्रश्न पर भारत सरकार के दृष्टिकोण कई बार बताये जा चुके हैं। भारत सरकार का यह मत है कि जम्मू तथा काश्मीर की जनता के थोड़े भाग की यह मांग है और जनता की भावना को स्पष्ट नहीं करती है।

(घ) विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए जम्मू तथा काश्मीर सरकार सभी आवश्यक कदम उठायेगी। भारत सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा भवन में बम विस्फोट

*९५८. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २४ मार्च, १९६४ को ११ म० प० जम्मू तथा काश्मीर राज्य के विधान सभा भवन में एक बम विस्फोट हुआ था; और

(ख) इस सम्बन्ध में की गई जांच के क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जम्मू के पुराने सचिवालय के दक्षिण भाग के विधान सभा भवन के पीछे के बरामदे में विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट हल्का था तथा इससे केवल यह हानि हुई कि खिड़की के शीशे टूट गये और दीवार में दरार पड़ गई तथा एस्वेस्टोस छत टूट गई है। राज्य सरकार द्वारा की गई जांच से पता लगता है कि मोहल्ला पक्की ढक्की के सामने वाले भवन की तीसरी मंजिल में कोई रात्रि के समय विस्फोटक पदार्थ रख दिया गया था। जांच अभी हो रही है।

Security measures at Kumbhigram airfield

*959. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two Muslim young men were arrested while taking photographs of Kumbhigram airfield near Silchar ;

(b) whether it is also a fact that they had no valid permit to enter the airfield which is a prohibited area ; and

(c) whether Government propose to adopt some strict measures to prevent recurrence of such incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b). Yes Sir. Two persons who were attempting to take photographs of the Kumbhigram Civil Airfield were arrested on the 18th March, 1964. No photograph was actually taken. A case has been registered against them under rule 8 of the Defence of India Rules and is under investigation.

(c) Adequate precautionary measures have already been taken to prevent recurrence of any such incidents.

दिल्ली में खाली प्लाटों का अर्जन

*९६०. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में स्वीकृत कालोनियों में उन सभी प्लाटों का अर्जन करने का निर्णय किया है जिन पर मकान नहीं बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन कालोनियों में ऐसे प्लाटों का अर्जन किया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार इनका अर्जन करने से पूर्व प्लाटों के मालिकों को मकान बनाने के लिए कुछ समय देगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन ने भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा ४ के अधीन दिल्ली की बृहद् योजना में बताई गई नगरीय सीमा के अन्तर्गत होने वाले सभी खाली प्लाटों के अर्जन की अधिसूचना २१ मार्च, १९६४ को समाचारपत्रों में निकाल दी थी। ऐसा दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन, विकास तथा निबटारे के अनुसार है जिसका ब्यौरा नियम १९७ के अधीन प्रस्तुत श्री पी० जी० देव के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में २३-३-१९६१ को सभा पटल पर रख दिया गया था। भारत सरकार के असाधारण दिल्ली गज़ट भाग ४ दिनांक २३ मार्च, १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है जिस में इस सम्बन्ध में जारी किये गये प्रेस नोट की अधिसूचना छपी है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी–२६६२/६४]**

'एन्टीबायोटिक्स दवाइयां'

***९६१. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह राय व्यक्त की है कि 'एन्टीबायटिक्स' दवाइयों के बारे में उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में 'एन्टीबायटिक्स' दवाइयों के निर्माण के लिये अपनी योजनाओं में परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) हमें कोई जानकारी नहीं है।

(ख) क्रियान्वित होने वाली चालू योजनाओं में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा

*९६२. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री ११ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा के गठन के बारे में वैज्ञानिक कर्मचारी समिति की सिफारिशें इस बीच मिल गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

हिन्द महासागर के लिये 'तैरती' वेधशाला

*९६३. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २० राष्ट्र "खोज" में भाग लेने के लिए हिन्द महासागर में "तैरती" वेधशाला भेजी जा रही है;

(ख) क्या महासागर के तल, समुद्र तथा उसके ऊपर की हवा का अध्ययन करने वाले दल में भारतीय वैज्ञानिकों को शामिल किया है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष के दौरान किये गये कार्यक्रम तथा इस खोज में क्या अन्तर है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मू० क० चागला) : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

पेट्रो-केमिकल परियोजना

*९६४. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात में एक पेट्रो-केमिकल परियोजना स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना की रूपरेखा तथा उत्पादन ढांचा बना लिया गया है; और

(ग) कौन से विशिष्ट रसायन (केमिकल्स) बनाये जायेंगे; और

(घ) परियोजना का अनुमानित व्यय क्या होगा और क्या इसके लिए विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) निम्नलिखित उत्पादों का उत्पादन होगा :—

बेन्जीन, टोलुईन, एक्साहलीन, पोरवीकलीन, पोलीस्ट्रारीन, पोलीबुटाडीन, डोडैसाइल बेन्जीन, पोलीप्रोपाइलीन, पोलीआइसोप्रीन, मैथानोल, साइक्लोहैक्साने, फ्थालिक एनहाइड्राइड और डिमेथाइलटेरेफकालेट (डी एम टी) ।

गुजरात काम्पलैक्स में कुछ अतिरिक्त उत्पाद बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(घ) अब तक स्वीकृत योजनाओं में अनुमानित पूंजी विनियोजन लगभग ७५ करोड़ रुपये है जिसमें लगभग ४५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है ।

हिंसात्मक घटनायें

*९६५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कजरोलकर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ मार्च, १९६४ को लोक-सभा में दिये गये अपने वक्तव्य के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला, जमशेदपुर तथा रायगढ़ में हुई हिंसात्मक घटनाओं में मारे गये अथवा घायल हुए व्यक्तियों, विशेषतया स्त्रियों तथा बच्चों की संख्या के नवीनतम आंकड़े क्या हैं तथा कितनी सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई/लूटी गई है;

(ख) इन क्षेत्रों में शांति तथा व्यवस्था की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) इस सिलसिले में पुलिस ने कितने व्यक्ति पकड़े हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ग). संबंधित राज्य सरकारें जानकारी इकट्ठा कर रही हैं परन्तु अब तक प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–२६६३/६४]**

(ख) स्थिति काबू में है, और इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में शांति तथा व्यवस्था पुनः स्थापित हो गई है ।

स्कूलों तथा कालिजों में रचनात्मक श्रम

*९६६. श्री जेधे :
श्री महादेव प्रसाद :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों तथा कालिजों में रचनात्मक श्रम लागू करने की विस्तृत योजना बनाने के लिये केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की क्या सिफारिशें हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन पेश नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था

*९६७. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री राम हरख यादव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कहां तथा कितनी लागत से; और

(ग) संस्था के मुख्य कार्य क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) परियोजना प्रतिवेदन बनाने के लिये तथा संस्था की योजना बनाने के लिये एक योजना समिति नियुक्त की गई है । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान की चौथी योजना के प्रस्तावों में इस संस्था के लिये २.७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ग) संस्था समुद्र विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अनुसंधान करेगी ।

Theft of Idols from Nalanda Museum

1952. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1079 on the 4th December, 1963 and state :

(a) whether enquiry into the theft of idols from Nalanda Museum has since been completed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) The police prosecuted the accused in a court of Law. The court, however, acquitted the accused for want of sufficient evidence, but ordered the return of the image to the Archaeological Survey of India. The image is now in the Nalanda Museum.

(c) Does not arise.

जनसंख्या का अनुमान लगाना

१९५३. **श्री चन्द्रभान सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के लिये भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिये क्या तरीके अपनाये;

(ख) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में वास्तविक और अनुमानित जनसंख्या के बीच रहे अन्तर की क्या प्रतिशतता है; और

(ग) यदि जनसंख्या-वृद्धि की वर्तमान दर बनी रहे, तो हम जनसंख्या कब ९२ करोड़ हो जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिये जो तरीका अपनाया गया उसमें भविष्य में संभावित जन्म और मरण के बारे में अनुमान लगाया जाता है ।

(ख) प्रथम योजना में वर्ष १९५१—६० के लिये दश-वार्षिक वृद्धि दर का १२.५ प्रतिशत अनुमान लगाया गया था । दूसरी योजना में वर्ष १९५१—६० के लिये वही वृद्धि दर मानी गयी और वर्ष १९६१—७० के लिये इसको १३ . ३ प्रतिशत माना गया और वर्ष १९७१—८० के लिये इसको १४ प्रतिशत माना गया । वर्ष १९५९ में जब जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के आसार स्पष्ट थे तो जनसंख्या प्राक्कलनों को पुनरीक्षित किया गया । वर्ष १९ १ के लिये जनसंख्या का अनुमान ४३.१ करोड़ लगाया गया । वर्ष १९६१ का यह अनुमान इस वर्ष की गयी जनगणना से १.७ प्रतिशत कम रहा अर्थात् जनसंख्या ४३.८६ करोड़ निकली । इसमें गोआ, दमन और दीव की जनसंख्या शामिल नहीं है और इसको अनुमान में भी शामिल नहीं किया गया था ।

तीसरी योजना १९५९ के लिये अनुमानों को फिर पुनरीक्षित किया गया, जो कि वर्ष १९६१ के ४३.८ करोड़ की जनसंख्या के आधार पर बनाये गये । इस आधार पर वर्ष १९६६, १९७१ और १९७६ की जनसंख्या का अनुमान क्रमशः ४९.२, ५५.५ और ६२.५ करोड़ लगाया गया है ।

अनुमानित और वास्तविक जनसंख्या के बीच अन्तर तो होना ही है क्योंकि अनुमान में तो भविष्य के बारे में कल्पना ही की जाती है जोकि सच हो भी सकती है और नहीं

भी हो सकती। भविष्य के बारे में ठीक अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है। अन्य देशों में सब से सही माने जाने वाले अनुमानों में भी वास्तविक से काफी अन्तर रहा है।

(ग) जैसा कि वर्ष १९५१—६१ की जनगणना से पता चलता है प्रतिवर्ष २.१५ प्रतिशत की वर्तमान वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए भारत की जनसंख्या वर्ष १९९६ तक ९२ करोड़ हो जायेगी।

पुलिस आवास योजना

१९५४. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ४ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को वर्ष १९६३–६४ में राज्य में पुलिस आवास योजना के अन्तर्गत ऋण के रूप में कोई रकम दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). वर्ष १९६३–६४ में उड़ीसा सरकार को १०,५०,००० रुपये की ऋण सहायता दी गयी।

उड़ीसा में अनिवार्य शिक्षा

१९५५. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य को वर्ष १९६३–६४ में राज्य में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के विस्तार के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ; और

(ग) वर्ष १९६४–६५ में इस राज्य को इस कार्य के लिये कितना धन दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार को वर्ष १९६३–६४ में प्राथमिक शिक्षा के लिये ३.८० लाख रुपये का सहाय्य-अनुदान इस शर्त पर मंजूर किया गया है कि राज्य सरकार भी इतना ही धन दे।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Committee on Education

1956. **Shri Sidheshwar Prasad** :
Shri Krishnapal Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the four committees constituted for primary, secondary, social and university education have submitted their reports;

(b) if so, the main recommendations made by them and the decision taken by Government in regard thereto ; and

(c) if the reports have not yet been submitted, the reasons for delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran) : (a) to (c). A statement giving the requisite information is attached [*Placed in Library. Sec. No. LT.* 2664/64].

Banaras and Aligarh Universities

1957. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 193 on the 20th November, 1963 and state :

(a) the decision taken in respect of removing the communal denominations from the nomenclature of Banaras Hindu University and Aligarh Muslim University ;

(b) the causes of delay in arriving at a decision ; and

(c) whether there has been some change in Government's stand ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). It has been decided not to change the names of the Banaras Hindu University and Aligarh Muslim University.

Election of Teachers to Senates and Syndicates

1958. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 671 on the 27th November, 1963 and state :

(a) the steps taken to implement the recommendations of Dewan Anand Kumar Committee for keeping away the Universities and educational institutions free from elections ; and

(b) when it would be possible to do away with the election system from all the educational institutions?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). The recommendations of Dewan Anand Kumar Committee have already been brought to the notice of all State Governments, Universities and Colleges for implementation. It is for them to take suitable steps in the matter now.

Temples of National Importance in Madras

1959. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any memorandum has been received requesting for the following temples in Madras State being declared as historic temples of national importance :

(i) Rameswaram,

(ii) Shri Nataraja at Chidambaram,

(iii) Mahakumbeshwara at Kumbakonam,

(iv) Ekambeswara and Varadaraja Perumal at Kanchipuram,
(v) Kapaliswara, Parthasarathi and Kandar Kattam in Madras,
(vi) Pattinathar at Thiruvethiyur,
(vii) Mayavaram, Vaitheswar and Srikali in Tanjore ; and

(b) if so, the decision of Government thereon ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Temples of National Importance in Andhra Pradesh

1960. Shri Prakash Vir Shastri: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any memorandum has been received requesting for the temples of Tirupathi, Srisailam, Ahobilam and Simhachalam in Andhra Pradesh being declared as historic temples of national importance; and

(b) if so, the decision of Government thereon ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Temples of National Importance in Mysore

1961. Shri Prakash Vir Shastri: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any memorandum has been received requesting for the following temples in Mysore State being declared as historic temples of national importance :

(i) temples at Belur and Halebid,
(ii) temples at Aihole and Pattadkal,
(iii) caves and Banashankar temple of Badami,
(iv) Yellamma's temple at Soudatt (Belgaum District),
(v) Marikamba temple in North Kanara District,
(vi) Gomateshwar in Karkala,
(vii) Basava's temple in Bidar District,
(viii) Chamundi temple in Mysore,
(ix) Shri Krishna temple in Udipi (South Kanara District), and
(x) Shankar Math at Shringeri, and

(b) if so, the decision of Government thereon ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir. The temples at Sl. No. (i), (ii), (iii), & (vi) are already protected monuments.

(b) Does not arise.

नागा विद्रोही

१९६२. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५-१६ जनवरी, १९६४ को अनेक नागा विद्रोहियों ने मशीन-गनों और हथगोलों से इम्फाल-दीमापुर राष्ट्रीय राजपथ पर माओ पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया;

(ख) यदि हां, तो इस आक्रमण में मारे गये और घायल हुए व्यक्तियों की क्या संख्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस आक्रमण में न कोई मारा गया और न घायल हुआ ।

(ग) इस क्षेत्र को सशस्त्र सेनायें (आसाम और मनीपुर) विशेष अधिकार (अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत आतंकित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और इस बारे में सुरक्षा बलों ने आवश्यक कार्यवाही की है ।

I. A. S. and I. C. S. Officers of U.P.

1963. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of I.A.S. and I.C.S. officers of Uttar Pradesh Government sent on deputation to the Central Government and who were working at the Centre in January, 1964 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): 90 officers of Uttar Pradesh cadre were working at or under the Centre on 1st January, 1964.

Institute of Arabic Language

1964. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a central institute of Arabic language at Banaras for the study of Arabic language ;

(b) if so, when ; and

(c) the expenditure likely to be incurred on this institute ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

शिशु कल्याण सम्बन्धी गोष्ठी

१९६५. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, १९६४ में हैदराबाद में भारतीय शिशु कल्याण परिषद् के तत्वावधान में आयोजित गोष्ठी में सुझाव दिया गया कि योजना आयोग और विश्वविद्यालय अध्यापक केन्द्रों की अनुसंधान कार्यक्रम समितियों को बच्चों के अध्ययन पर और बच्चों के विकास और कल्याण के सभी पहलुओं के बारे में अनुसंधान की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री(श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). भारत सरकार को अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

Honorarium to Ministers and Government Officials

1966. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number and names of Ministers and officials who are holding various posts under the Government of India on a nominal honorarium ; and

(b) the amount of honorarium being received by each of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). No Minister is holding any post under the Government of India on a nominal honorarium.

Information in regard to officials holding such appointments is being collected and will be laid on the Table of the House.

होम गार्ड

१९६७. श्री रिशांग किशिंग : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में होम गार्डों में आज तक कितने व्यक्ति हैं;

(ख) क्या होम गार्डों की संख्या बढ़ाने के मामले में देश के सामरिक महत्व के और गड़बड़ी वाले सीमान्त क्षेत्रों के बारे में कोई विशेष महत्व दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) ३,२६,७०१.

(ख) और (ग). ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड के लिये एक कम्पनी में औसत ११० होम गार्डों की संख्या पर सीमान्त क्षेत्रों में ऐसे खंडों में एक अतिरिक्त पलटन, ३५ स्ट्रांग, बनायी जायेगी। शहरी क्षेत्रों में होम गार्डों की संख्या प्रत्येक २५,००० जन संख्या के लिये ११० व्यक्तियों की एक कम्पनी के समान दर से बढ़ायी जायेगी।

सेवा पदालियां

१६६८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संघ राज्यक्षेत्रों के क्या नाम हैं जिन्होंने अभी राज्य सेवा पदालियां नहीं बनायी हैं; और

(ख) इनके बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) गृह-कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संघ राज्यक्षेत्रों में निम्नलिखित संघ राज्यक्षेत्रों में अभी तक असैनिक तथा पुलिस सेवा पदालियां नहीं बनायी गयी हैं:

१. अन्दमान, तथा निकोबार द्वीपसमूह

२. लक्कदीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह

३. मनीपुर

४. त्रिपुरा

(ख) मनीपुर सरकार ने मनीपुर असैनिक सेवा और मनीपुर पुलिस सेवा के निर्माण के लिये कुछ प्रस्ताव किये हैं। इन प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है।

दिल्ली और हिमाचल प्रदेश असैनिक और पुलिस सेवाओं को अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य-क्षेत्र पर लागू करने की संभावनाओं का परीक्षण किया जा रहा है।

अफ्रीकी देशों में शिक्षा पद

१६६६. **श्री वारियर** :
श्री वाजी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा केरल के राज्य सरकार जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा प्रकाशित किये जाने के लिये भेजी गयी अधिसूचना को, जिसमें अफ्रीकी देशों में लाभदायक शिक्षा पदों के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाने थे, कल तक नहीं प्रकाशित किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस गल्ती को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जावेगी।

अनधिसूचित आदिम जातियों का कल्याण

१६७०. **श्री बुलेश्वर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को वर्ष १९६३–६४ में अनधिसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये योजनायें आरम्भ करने के लिये कोई धनराशि मंजूर की गयी है; और

*Educational post

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

१. छात्रवृत्तियां	०.२५ लाख रुपये
२. होस्टल	१.०५ लाख रुपये
३. ऐच्छिक अभिकरणों को सहायता . .	०.७५ लाख रुपये
४. रेजिडेन्शल स्कूल	०.४५ लाख रुपये
५. पुनर्वास	२.१३ लाख रुपये
कुल	४.६३ लाख रुपये

राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

१९७१. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में वर्ष १९६३–६४ में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों की कुल कितनी खपत हुई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : यह अनुमान है कि वर्ष १९६३–६४ में राजस्थान में कुल २.०५ लाख टन पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत हुई ।

कुठ की जड़ से तेल

१९७२. **श्री हेम राज** : क्या **शिक्षा** मंत्री १८ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २११३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुठ की जड़ से तेल निकाले जाने के बारे में क्या प्रगति की गयी है; और

(ख) इसके विभिन्न प्रयोग क्या हैं और इसकी कितनी मांग है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना द्वारा निकाले गये तरीके से लाहौल के कुठ की जड़ से तेल निकालने के लिये परिस्थितियां बनायी जा रही हैं । मुख्य संयंत्र परीक्षण भी किये गये हैं ।

(ख) तेल का प्रमुखत: अगरबत्ती उद्योग में इस्तेमाल होता है । तेल की संभावित मांग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

संघ लोक सेवा आयोग

१९७३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विकेन्द्रीकरण के बाद संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय का पृथक अस्तित्व माना गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संघ लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों से यह नहीं पूछा गया है कि गृह मंत्रालय के साथ रहना चाहते हैं या एक पृथक यूनिट में; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). विभिन्न पदालियों में कर्मचारियों का आवंटन कई सामान्य सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर किया गया अर्थात अधिकृत स्थायी संख्या, अगले २–३ वर्षों में स्थायीकरण/पदोन्नति की संभावना आदि; और विकेन्द्रीकरण में कर्मचारियों से किसी मंत्रालय/कार्यालय में रहने के बारे में विकल्प नहीं पूछा गया । अतः संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के कर्मचारियों से यह विकल्प पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

संघ लोक सेवा आयोग में गबन

१६७४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग में धन का बड़ी मात्रा में गबन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कुल कितनी रकम है; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख). जून, १६५६ में यह आशंका थी कि आयोग के कार्यालय से १०,२७१ रुपये ६७ नये पैसे का गबन किया गया है ।

(ग) इस मामले के बारे में फौरन विशेष पुलिस संस्थान को रिपोर्ट की गयी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्यालय के तत्कालीन खजांची के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है । बीमा कम्पनी से खजांची की ओर से दी गयी गारंटी के विरुद्ध १०,००० रुपये वसूल किये जा चुके हैं ।

बम्बई में 'पेट्रो-कमिकल केम्पलेक्स'

१६७५. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इण्डिया पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड ने बृहत्तर बम्बई में 'पेट्रो-केमिकल कम्पलेक्स की स्थापना के लिये एक लाइसेंस के लिये आवेदन किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : जी नहीं। तथापि इस फर्म ने रबड़ बम्बई एक संश्लिष्ट रबड़ संयंत्र स्थापित करने के लिये एक लाइसेंस के लिये आवेदन किया है ।

सैंट्रल जेल, नई दिल्ली का मुख्य हैड वार्डर

१६७६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हाल में सेन्ट्रल जेल, नई दिल्ली के मुख्य हेड वार्डर को निलम्बित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Industrial Management Pool

1977. **Shri Bal Krishna Singh :**
Shri J. B. S. Bist :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the total number of persons selected by U.P.S.C. under the Industrial Management Pool Scheme to fill up the posts of high and medium class managers of industries in public sector ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : 212.

छावनियों में शिक्षा सुविधायें

१९७८. **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री पोट्टेक्काट्ट :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६४–६५ में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा सुविधायें देने के लिये विभिन्न छावनी क्षेत्रों में ३२ केन्द्रीय स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां ये स्थापित किये जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां, ऐसा प्रस्ताव है लेकिन स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित स्कूलों की संख्या लगभग २५ है ।

(ख) सत्रह स्थान निम्न प्रकार हैं, अन्य सुझावों पर विचार किया जा रहा है :

आगरा छावनी, अम्बाला, अवाडी, बंगलौर (दो स्कूल), बरेली, बीकानेर, देहू रोड छावनी, झांसी, जोधपुर, कानपुर, लैंड्सडाउन (संभावित), मनौरी (इलाहाबाद), पंचमढ़ी, रानीखेत (संभावित), रुड़की (दो स्कूल), सागर, ताम्बरम् ।

मनीपुर और त्रिपुरा का न्याय आयुक्त

१९७९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सच है कि मनीपुर और त्रिपुरा का एक न्याय आयुक्त है और उन्हें आधा महीना मनीपुर में बिताना पड़ता है और आधा महीना त्रिपुरा में बिताना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक न्याय आयुक्त दोनों राज्य-क्षेत्रों में काम करने में असमर्थ है ; और

(ग) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य-क्षेत्र में पृथक न्याय आयुक्त रखने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

विज्ञान आयोजन आयोग

१९८०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वैज्ञानिक कार्य की समीक्षा करने और उसका अनुमान लगाने के लिए एक विज्ञान आयोजन आयोग स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) योजना आयोग में एक अलग "संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रभाग" है और अलग से विज्ञान आयोजन आयोग बनाना जरूरी नहीं समझा जाता ।

Section Officers' Examination.

1981. **Shri Kachhavaiya** : Will the Minister of **House Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Section Officers' Examination, 1963 has been postponed thrice ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the number of candidates for the examination and the number of posts to be filled up?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). The examination was postponed only twice and *not* thrice. The first postponement, in July 1963, was because of the necessity of amending the rules of the examination to remove a legal lacuna. The second postponement, which was in January 1964, was on account of disturbances in Calcutta.

(c) 1091 candidates have taken the examination. The examination is intended for making additions to the Select List or Section Officer's Grade. The number of such additions would be finalised shortly.

राष्ट्रीय खेल-कूद संस्था पटियाला

१९८२. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खेलकूद संस्था, पटियाला में विदेशी शिक्षकों की जगह भारतीय शिक्षक रखने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां तो इस योजना की क्या आवश्यकता है ; और

(ग) यह परिवर्तन संभवतः कब से लागू होगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) से (ग). राष्ट्रीय खेलकूद संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने निश्चय किया है कि इस शाला में काम करने वाले विदेशी शिक्षकों की जगह भारतीय शिक्षक रखे जायें। तीन खेलों में भारतीय शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं। दूसरे खेलों में भारतीयों को विदेशी शिक्षकों के साथ लगा दिया गया है ताकि वे अनुभव और जानकारी प्राप्त करें और बाद में पूर्ण रूप से शिक्षक का कार्यभार अपने हाथ में ले लें। यह परिवर्तन धीरे धीरे किया जायगा और इसके लिये कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है।

केन्द्रीय आदिम जाति मंत्रणा परिषद्

१९८३. श्री सुबोध हंसदा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आदिम जाति मंत्रणा परिषद् ने नवम्बर, १९६३ में अपने सम्मेलन में क्या संकल्प पारित किये थे ;

(ख) क्या उन संकल्पों को देखते हुए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या ब्योरा है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) आदिम जाति कल्याण संबंधी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड द्वारा २३ नवम्बर, १९६३ की अपनी बैठक में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों की एक सूची अनुबन्ध में दी हुई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी-२६६५/६४]**

(ख) और (ग). राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों से प्रार्थना की गई है कि वे सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही करें।

अनुबन्ध के मद १ के सम्बन्ध में, भारत सरकार इस सुझाव पर पूरा विचार करेगी कि ५० प्रतिशत या उससे अधिक केन्द्रण के सभी क्षेत्र आखिर में आदिमजाति विकास खण्डों के अन्तर्गत आने चाहियें।

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

१९८४. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनेस्को के साथ सहयोग के लिये भारतीय राष्ट्रीय आयोग की अभी हाल की बैठक में क्या सुझाव रखे गये थे ; और

(ख) १९६४–६५ में भारत की यूनेस्को की सहायता की आगे क्या संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) भारत को अन्य सभी (सदस्यों राज्यों की तरह) यूनेस्को की सहायता का प्रश्न यूनेस्को के १९६५–६६ बजट और कार्यक्रम पर निर्भर होगा। इस पर अगले वर्ष होने वाले यूनेस्को के सर्वसाधारण सम्मेलन में विचार किया जायगा और स्वीकृति दी जायगी।

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय आयोग का छठा सम्मेलन नई दिल्ली में २१–२२ मार्च, १९६४ को हुआ था। सम्मेलन ने अपनी कार्य सूची के अनुसार कई सिफारिशें कीं जिनमें यूनेस्को के १९६५–६६ के बजट और कार्यक्रम के प्रारूप तथा आयोग के कामकाज के संबंध में सेक्रेटरी जनरल की १९६०–६३ की रिपोर्ट पर विचार तथा फरवरी १९६४ में बैंगकाक में आयोजित एशियाई राष्ट्रीय आयोगों के चौथे प्रादेशिक सम्मेलन की सिफारिशों और भारतीय राष्ट्रीय आयोग के भावी स्वरूप और कार्यक्रम संबंधी ज्ञापन शामिल था।

सम्मेलन में जो संकल्प स्वीकृत किये गये थे वे निम्न लिखित विषयों के संबंध में हैं :— निरक्षरता दूर करने के लिए यूनेस्को द्वारा एक बड़ी प्रायोजना की स्वीकृति ; शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में विकासशील देशों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए यूनेस्को द्वारा पर्याप्त धन की व्यवस्था, कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण के द्वारा तथा प्रशासनिक व्यय कम करके यूनेस्को के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना ; प्रशिक्षण सुविधाओं और साजसामान के लिये विकासशील देशों को विदेशी मुद्रा संबंधी अपनी आवश्यकतायें पूरी करने में मदद देने के लिए यूनेस्को द्वारा पर्याप्त धन एकत्र किया जाना, और जिन देशों में वैज्ञानिक कार्य और प्रयोगशालायें विद्यमान हैं वहां युनेस्को द्वारा एशियाई विज्ञान सहकारिता कार्यालय की स्थापना।

सम्मेलन ने एशिया राष्ट्रीय आयोगों की चौथी प्रादेशिक बैठक में स्वीकृत संकल्पों को अनुसमर्थित करने का भी संकल्प किया।

शिक्षा का स्तर

१९८५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिये केन्द्र समर्थित योजनाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और इस समय यह विषय किस दशा में है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). यह विषय विचाराधीन है।

सामाजिक प्रशासन सम्बन्धी गोष्ठी

१९८६. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली में आयोजित विकासशील देशों में सामाजिक प्रशासन" संबंधी गोष्ठी में सरकार ने किसी प्रकार भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से ;

(ग) क्या गोष्ठी की सिफारिशों और उसके निष्कर्षों वाली कोई रिपोर्ट सरकार को दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस के बारे में सरकार की क्या राय है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). समाज सेवाओं से संबंधित राज्यों के और केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर के निमंत्रित व्यक्तियों के रूप में इस गोष्ठी में उपस्थित थे। इसी सेन्टर ने इस गोष्ठी का आयोजन किया था।

(ग) और (घ). यह मान लिया गया है कि गोष्ठी की कार्यवाही की रिपोर्ट की प्रतियां सभी सम्मिलित व्यक्तियों को भेज दी जायेंगी। गृह-कार्य मंत्रालय को अभी हाल ही में अपनी प्रति प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट में मंत्रालयों से संबंधित कोई सिफारिश है या नहीं इसे देखने के लिए इस रिपोर्ट की छानबीन की जायगी ।

दिल्ली की एक संस्था पर पुलिस का छापा

१९८७. श्री डी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पुलिस ने दिल्ली की पुलिस की मदद से अभी हाल में करोलबाग, नई दिल्ली के वेस्टर्न एक्सटेंन्शन एरिया में एक इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट पर उस धोखाधड़ी की साक्ष्य की तलाश में छापा मारा था जो उस ने कलकत्ते में इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स के लिये इंस्टिट्यूट की शाला खोल कर और ऊंची फीस लेकर की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है ; और

(ग) ऐसी संस्थाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) इस इंस्टिट्यूट पर छापा मारा गया था और उसके मालिक के मकान की तलाशी ली गई थी। कलकत्ता पुलिस ने इस मामले से सम्बन्धित कुछ कागजात बरामद किये हैं अभी इस मामले की छानबीन हो रही है ।

(ग) इस संकेत के लिये कि देश में धोखेबाज संस्थायें बढ़ रही हैं, कोई जानकारी नहीं है जब भी कोई मामले पकड़े जाते हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है ।

Tribal Development Blocks

1988. Shri Ratan Lal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Tribal Development Blocks so far set up in the country and the number of such blocks proposed to be set up during the remaining period of the Third Plan along with the names of the places where they will be set up ; and

(b) the percentage of contribution expected from local people in the form of voluntary labour in the construction works under the Tribal Development Block Scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shrimati Chandrasekhar): (a) 43 Special Multipurpose Tribal Blocks were started during the Second Plan period. 165 more Tribal Development Blocks have

so far been started in the Third Plan. The number of Tribal Development Blocks yet to be started during the III Plan period is 285 out of which 265 have already been allotted to the various States/Union Territory Administrations, as in the statement annexed; the remaining 20 Blocks have yet to be allotted to various States/Union Territory Administrations.

STATEMENT

	Name of the State/Union Territory	Number of Tribal Development Blocks
1.	Andhra Pradesh	14
2.	Assam	24
3.	Bihar	32
4.	Gujarat	34
5.	Kerala	1
6.	Madhya Pradesh	67
7.	Madras	..
8.	Maharashtra	28
9.	Nagaland	11
10.	Orissa	38
11.	Punjab	1
12.	Rajasthan	8
13.	Himachal Pradesh	—
14.	Manipur	4
15.	Tripura	3
	TOTAL	265

(b) The information has been called for from the various State Governments/ Union Territory Administrations and will be laid on the Table of the House, when received.

उड़ीसा को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का अनुदान

१९८९. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में उड़ीसा की प्रत्येक समाज कल्याण संस्था को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने कितना सहायता-अनुदान दिया ; और

(ख) तीसरी योजना की अवधि में उड़ीसा में समाज कल्याण सेवाओं का विकास करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्) : (क) आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण में दी हुई है।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-२६६६/६४]

(ख) तीसरी योजना की अवधि में उड़ीसा में समाज कल्याण सेवाओं के विकास के लिए ३८.२८ लाख रुपये के खर्च का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

होशियारपुर जिले में पेट्रोलियम

१९९०. **श्री हेम राज** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कि :

(क) क्या पंजाब के जिला होशियारपुर के ढोलबाहा-जनौरी क्षेत्र में पेट्रोलियम है ; और

(ख) यदि हां तो क्या उस क्षेत्र में छिद्रण आरम्भ करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं।

(ख) अनुमान है कि जनौरी क्षेत्र में दूसरे गहरे कुएं की खुदाई जुलाई, १९६४ में आरम्भ हो जायेगी।

भारतीय आर्थिक और सांख्यिकीय सेवाएं

१९९१. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४५ और अतारांकित प्रश्न संख्या १९१६ तथा २५ मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५३५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आर्थिक तथा सांख्यिकीय सेवाओं के प्रारंभिक गठन के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रक्षित पदों पर नियुक्तियों के संबंध में क्या स्थिति है ; और

(ख) इस संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की १९६१-६२ की रिपोर्ट के पैरा १९.६ (पृष्ठ १३१) में दी गयी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख). दोनों सेवाओं संबंधी संविहित नियमों में प्रारंभिक गठन के समय पद रक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रारम्भिक गठन केवल उन्हीं विभागीय उम्मीदवारों तक सीमित था जो १-११-६१ को दोनों सेवाओं में सम्मिलित पदों पर काम कर रहे थे। दूसरे लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के होने पर भी नियुक्ति के अधिकारी नहीं थे। प्रारंभिक गठन के समय नियुक्तियां प्रत्यक्ष भरती के तौर पर नहीं थीं जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पद रक्षित रखे जाते।

जांच आयोग अधिनियम, १९५२

१९९२. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से जांच आयोग अधिनियम, १९५२ लागू हुआ है तब से उसके अधीन देश में कुल कितनी जांच की गयी ;

(ख) राज्यवार और संघीय क्षेत्रवार उसके आंकड़े क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक मामले में आयोग के कर्मचारी कौन थे;

(घ) प्रत्येक जांच का विषय क्या था ;

(ङ) कितनी जांच सार्वजनिक रूप से हुई और कितनी गुप्त रूप से ; और

(च) प्रत्येक मामले में जांच का नतीजा क्या निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (च). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

प्रशासनिक सतर्कता विभाग का प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रशासनिक सतर्कता विभाग के वर्ष १९६३ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखियें संख्या एल० टी० २६५९/६४]

श्री प्रिय गुप्त की लोक-सभा की सदस्यता के बारे में वक्तब्य

STATEMENT *RE*: SHRI PRIYA GUPTA'S MEMBERSHIP OF LOK SABHA

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : सभा को स्मरण होगा कि २० दिसम्बर, १९६३ को सभा में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या श्री प्रिय गुप्त, जो इस सभा के सदस्य हैं, कभी इस सभा के सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह (डिसक्वालीफाइड) हो गये थे क्यों कि वह भारत सरकार के अधीन लाभ पद पर, अर्थात्, पूर्वोत्तर रेलवे में "इलैक्ट्रिकल फोरमैन" के पद पर, रहे हैं। सभा ने निर्णय किया था कि सरकार को यह मामला संविधान के अनुच्छेद १०३ के अन्तर्गत निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिये। तदनुसार यह मामला राष्ट्रपति के पास भेजा गया। और राष्ट्रपति को इसके तथ्य तथा वे परिस्थितियां बतायी गईं थीं जिनमें सभा ने यह निर्णय किया था।

यही प्रश्न, बिहार के, पुर्णिया जिले में कदवा नामक स्थान के निवासी श्री अनादिलाल विश्वास के पुत्र श्री भोला नाथ विश्वास ने, राष्ट्रपति को भेजी गयी याचिका में पूछा था।

राष्ट्रपति ने संधिान के अनुच्छेद १०३ के अन्तर्गत इस मामले में निर्वाचन आयोग से मत मांगा था और उस मत के अनुसार राष्ट्रपति ने निर्णय किया है।

राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार श्री प्रिय गुप्त इस सभा के लिए निर्वाचित होने के बाद भारत सरकार के किसी लाभ पद पर काम करने के कारण कभी भी सदस्य बने रहने के लिये अनर्ह नहीं हुए।

निर्वाचन आयोग के मत की एक प्रति के साथ राष्ट्रपति के निर्णय की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिय संख्या एल० टी० २६५८/६४]**

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या यह सच नहीं है कि इस संबंध में राष्ट्रपति ने निर्णय २७ मार्च, १९६४ को किया था, किन्तु सभा को इसकी जानकारी आज ८ अप्रैल को दी गयी है ? क्या यह भी सच नहीं है कि माननीय सदस्य को इस बीच विशेषाधिकार संबंधी सुविधाओं से वंचित रखा गया ?

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति द्वारा आदेश कब जारी किये गये थे ?

श्री अ० कु० सेन : राष्ट्रपति ने आदेश पर २७ मार्च, १९६४ को हस्ताक्षर किये थे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : आपको आदेश कब मिले ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या यह निर्णय उनके पास देरी से पहुंचा अथवा उन्होंने इसे सभा-पटल पर रखने में विलम्ब किया।

श्री अ० कु० सेन : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यह आदेश विधि मंत्रालय में किस न पहुंचा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय मामले की जांच करें।

श्री अ० कु० सेन : मंत्रालय को राष्ट्रपति के निर्णय की सूचना मिलते ही माननीय सदस्य को इसके बारे में सूचित कर दिया गया था। इसलिए माननीय सदस्य को आशंका नहीं करनी चाहिए कि उन्हें विशेषाधिकार से वंचित रखा गया

श्री हेम बरुआ : उनके वेतन तथा अन्य भत्तों के संबंध में क्या किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : बाकी बातें बाद में देखी जायेंगी। पहले मैं यह देखना चाहता हूं कि विलम्ब क्यों हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

चालीसवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

दूसरा प्रतिवेदन

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : मैं लाभ पद संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समितियों के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEES

प्राक्कलन समिति

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम ३११ के उप-नियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से, १ मई, १९६४ से आरम्भ होने वाली तथा ३० अप्रैल, १९६५ को समाप्त हाने वाली अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से तीस सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम ३११ के उप-नियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से, १ मई, १९६४ से आरम्भ होने वाली तथा ३० अप्रैल, १९६५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से तीस सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

लोक लेखा समिति

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम ३०९ के उप-नियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से १ मई, १९६४ से आरम्भ होने वाली तथा ३० अप्रैल, १९६५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबन्धी नियमों के नियम ३०९ के उप-नियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से १ मई, १९६४ से आरम्भ होने वाली तथा ३० अप्रैल, १९६५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री त्यागी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह १ मई, १९६४ से आरम्भ होने वाली तथा ३० अप्रैल, १९६५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजत करने के लिये राज्य सभा के सात सदस्य मनोनीत करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह १ मई, १९६४ से आरम्भ होने वाली तथा ३० अप्रैल, १९६५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक-लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिये राज्य सभा के सात सदस्य मनोनीत करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा द्वारा २० नवम्बर, १९६३ को स्वीकार किये गये प्रस्ताव के पैराग्राफ १ द्वारा अपेक्षित रीति से, १ मई, १९६४ से वर्तमान लोक-सभा की समाप्ति तक सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से दस सदस्य चुनें ।"

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बारे में प्रस्ताव उद्योग मंत्री द्वारा क्यों प्रस्तुत किया गया जब कि अन्य दो समितियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव समितियों के सम्बन्धित सभापतियों द्वारा प्रस्तुत किये गये। मेरा विचार था कि यह प्रस्ताव संसद्-कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा क्योंकि यह विभागीय समिति नहीं है जिस पर मंत्रालय का नियंत्रण और देखरेख हो । प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति की तरह यह भी एक संसदीय समिति है और इस समिति को भी वही स्थान प्राप्त है जो अन्य दो संसदीय समितियों को प्राप्त है। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं ताकि यह आशंका न रह जाये कि इस समिति के बारे में अन्तिम निर्णय मंत्री महोदय के हाथ में है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत केवल दो संसदीय समितियां—लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति—हैं । यह अच्छी बात है कि एक और नई समिति बनाई गई है। किन्तु इस समिति के बारे में प्रस्ताव तीसरी लोक-सभा की शेष अवधि तक के लिए प्रस्तुत किया गया है जब कि अन्य समितियों के लिए यह अवधि केवल एक वर्ष की है ।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था पारित किये गये संकल्प में की गई है ।

इस समय समिति का कोई सभापति नहीं है अत: यह प्रस्ताव उन्हीं मंत्री महोदय को प्रस्तुत करना पड़ा जिन्होंने संकल्प को प्रायोजित किया था । भविष्य में इस समिति का सभापति नियुक्त किये जाने पर वही प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे । समिति के अन्तिम निर्णय के बारे में कोई आशंका की बात नहीं है । यह समिति मेरी देखरेख में कार्य करेगी ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह प्रस्ताव संसद्-कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बात नहीं है। यह उद्योग मंत्री का विभाग है इसलिए उन्होंने ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया।

प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा द्वारा २० नवम्बर, १९६३ को स्वीकार किये गये प्रस्ताव के पैराग्राफ १ द्वारा अपेक्षित रीति से, १ मई, १९६४ से वर्तमान लोक-सभा की समाप्ति तक सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से दस सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री कानूनगो : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह १ मई, १९६४ से वर्तमान लोक-सभा की समाप्ति तक इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समित के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के पांच सदस्यों को मनोनीत करे और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह १ मई, १९६४ से वर्तमान लोक सभा की समाप्ति तक इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के पांच सदस्यों को मनोनीत करे और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत किय गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति से राज्य-सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : ASSOCIATION OF MEMBERS OF RAJYA SABHA WITH JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री जी० राजगोपालन और श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह के राज्य सभा से सेवा-

निवृत्त होने के कारण लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में हुई रिक्तियों के लिये अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा राज्य-सभा के दो सदस्यों को चुने और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा, श्री जी० राजगोपालन और श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिन्हा के राज्य सभा से सेवा-निवृत्त होने के कारण लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में हुई रिक्तियों के लिए अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा राज्य-सभा के दो सदस्यों को चुने और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुदानों की मांगें—जारी
DEMANDS FOR GRANTS

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की मांगों पर आगे चर्चा करेगी। मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देना जारी रखें।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : यह बड़े गौरव की बात है कि सरकार ने इस मंत्रालय को देश की ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली ८० प्रतिशत जनता में जागृति पैदा करने तथा उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार करने का काम सौंपा है। मंत्रालय की प्राय: आलोचना करने वालों को मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करके यह बताना चाहता हूं कि भारत के देहात किस प्रकार प्रगति कर रहे हैं। इस समय देश में २० लाख से अधिक जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं। सहकारी समितियों में भी लगभग २५ लाख सदस्य हैं। देश में ५० हजार से अधिक ग्राम सेवक कार्य कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए भर्ती किया गया है जिन्हें दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कार्यकर्ता देहातों की जटिल समस्याओं को हल करने में लगे हुए हैं। अत: उन्हें इस सराहनीय कार्य के लिए जनता का समर्थन तथा साहनुभूति मिलनी चाहिये।

गत १२ वर्षों में मंत्रालय का कार्य अत्यन्त सराहनीय रहा है। इस समय देश के सारे भागों में बड़ी संख्या में विस्तार सेवाओं का कार्य हो रहा है और उनमें सरकार के योग्य प्रशासनिक और प्रवधिक अधिकारी कार्य कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इसमें और अधिक सुधार सम्बन्धी सुझाव दें तो मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं।

[श्री सु० कु० डे]

यह सिद्धान्त देश में सभी स्थानों में मान लिया गया है कि विकास के सभी पहलुओं पर एक साथ कार्यवाही की जानी चाहिये क्योंकि ये एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। यह बात भी स्वीकार कर ली गई है कि आवश्यकता पड़ने पर जनता की प्रतिनिधि संस्था द्वारा इस व्यवस्था को समर्थन देने के साथ साथ इस पर नियंत्रण भी रखा जाना चाहिये क्योंकि बिना नियंत्रण और समर्थन के कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकता है। इस समय दस राज्यों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया है। कुछ राज्यों में, उदाहरणार्थ महाराष्ट्र राज्य में, पंचायती राज का काम अत्यन्त सराहनीय रहा है। इन राज्यों ने पंचायतों द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में काफी प्रगति की है।

यह बहुत सराहनीय बात है कि सामुदायिक विकास तथा सहकार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालयों में आपस में बहुत गहरा समन्वय है। ये मंत्रालय एक साथ मिल कर ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति के लिए इस प्रकार कार्य करते हैं कि ऐसा जान पड़ता है कि यह एक ही मंत्रालय है, सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा इन मंत्रालयों के सहयोग से प्राथमिक, मिडिल तथा हाई स्कूल तक की शिक्षा विकास खंडों के अन्तर्गत रखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से अग्रिम परियोजना के अन्तर्गत इस समय ३,५०० से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्र खोले जा चुके हैं तथा और अधिक केन्द्र खोले जा रहे हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक कृषि उत्पादन बोर्ड की स्थापना की गई है। उत्पादन बढ़ाने में सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय भी काफी सहयोग दे रहा है। देश में इस समय चालू किये गये १५ पैकेज कार्यक्रम बहुत संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं इस कार्यक्रम से उत्पादन बढ़ाने में बहुत सहायता मिली है इन पैकेज कार्यक्रमों के अतिरिक्त मंत्रालय चावल, ज्वार तथा अन्य फसलों का सघन उत्पादन कार्यक्रम भी चालू कर रहा है।

इस समय विकास विभाग का काम यह देखना है कि पंचायती राज अन्य राज्यों में भी लागू किया जाये और पंचायती राज्य के साथ साथ युवक संगठन, महिला संगठन जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो जो पंचायतों और सहकारी समितियों को आर्थिक तथा सामाजिक कार्यों में सहयोग दें। यह मंत्रालय राष्ट्रीय विस्तार सेवा संस्था की प्रगति के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा की व्यवस्था करता है।

इसके अलावा मंत्रालय के सामुदायिक विकास का काम यह भी है कि वह उन कार्यक्रमों को देखे जो बहुप्रयोजनीय हैं और अन्य मंत्रालयों से भी सम्बन्धित हैं तथा जिन्हें सामुदायिक विकास मंत्रालय नये रूप में आरम्भ कर सकता है ताकि कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता एक बार स्थापित हो जाने पर यह कार्यक्रम अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा भी लागू किया जा सके। मंत्रालय यह भी देखता है कि अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन तथा असंगत कार्यों के लिए दंड दिया जाये। मंत्रालय योजना आयोग तथा अन्य संस्थाओं की ओर से कुछ क्षेत्रों में अग्रिम परियोजना भी चालू करता है।

अनुभव से सिद्ध हो गया है कि हम कृषि ऋण सम्बन्धी स्थिति तब तक नहीं सुधार सकते हैं जब तक कि ऋण सम्बन्धी सुविधायें विपणन आदि सम्बद्ध कार्यों के लिए उपलब्ध

न को जायें। मंत्रालय के पांच वर्षों के कार्य के अनुभव से यह बात सामने आई है कि हम निर्धन वर्ग को सहायता नहीं कर पाये हैं। हमें इस समूचे प्रश्न पर मूल रूप से विचार करना होगा।

सहकारी विधियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने का काम सभी राज्यों में आरम्भ हो चुका है। यह बात स्वीकार की गई है कि यदि सहकारी संस्थाओं के कार्यकरण में सरकारी हस्तक्षेप टालना है तो विकल्प रूप में (आल्टरनेटिव) यह उपाय है कि सहकारी संस्थाओं का एक संघ (फेडरेशन) बनाया जाय जिसमें स्व-नियंत्रण तथा स्वयं प्रगति करने की व्यवस्था हो।

सरकार ने विकास खंडों के लिए आवंटित राशि का अधिकतम भाग कृषि कार्यक्रमों जिसे अधिकतम प्राथमिकता दी गई है, में लगा कर सामुदायिक विकास के काम को यथित-युक्त बनाने का प्रयत्न किया गया है। केन्द्र में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जिलों के लिए साझे के कार्यक्रमों में काम करने के लिए सामुदायिक विकास तथा सहकार और कृषि मंत्रालय एक एकक के रूप में काम करेंगे।

सरकार ने विभिन्न अध्ययन दलों की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। न्याय पंचायत तथा ग्राम सभाओं सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों को प्रायः सभी राज्यों ने मान लिया है। पंचायती राज्य सम्बन्धी वित्तीय अध्ययन दल ने, जिसके अध्यक्ष श्री के० सन्थानम थे, सिफारिश की है कि पंचायतों के लिए अधिक वित्त की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है। यद्यपि इस समय इस कार्य के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना संभव नहीं है, फिर भी राज्य सरकारें वर्तमान वित्त का हो यथासंभव उचित प्रयोग करने का प्रयत्न कर रही हैं।

मंत्रालय ने, विश्व स्वास्थ्य संस्था 'यूनेसिफ' और खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता से, पोष्टिक आहार कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। इसके अन्तर्गत मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सब्जियां, फलों की खेती, स्कूलों तथा गांवों में दूध का उत्पादन आदि शामिल हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में २२२ खंड़ों में यह कार्यक्रम लागू किया जायेगा। जिनमें १५० खंड़ों में लागू किया जा चुका है।

इस समय देश के विभिन्न भागों में मत्स्य पालन के लिए ६०० खंड और मुर्गीपालन के लिए ३५० खंड कार्य कर रहे हैं। मुर्गीपालन का कार्य सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा चालू करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। सरकार अधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोल रही है। ग्राम सेवकों, ग्राम सेविकाओं तथा विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण पाने वाले प्रशिक्षणार्थियों तथा अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक परिचित बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि उन क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम अधिक सरलता से लागू किये जा सकें। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में काफी विकास कार्य हुआ है किन्तु निर्धनवर्ग को अधिक आर्थिक लाभ नहीं पहुंच पाया है। सरकार इस वर्ग की दशा सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है।

[श्री सु० कु० डे]

वर्ष १९६३–६४ में सभी राज्यों के आय व्ययक में काफी कटौती करने के बावजूद भी सहकारी क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई है । यह गौरव की बात है कि इस समय देश में चीनी के कुल उत्पादन का २१ प्रतिशत उत्पादन सहकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता है । आशा की जाती है कि इस दिशा में और अधिक प्रगति होगी।

सरकारी उपभोक्ता सहकारी समितियों की दिशा में प्रशंसनीय प्रगति हुई है, इस समय देश में २१८ थोक उपभोक्ता सहकारी स्टोर्स और ३,००० फुटकर उपभोक्ता सहकारी स्टोर्स कार्य कर रहे हैं। इन स्टोरों द्वारा वर्ष १९६४–६५ के अन्त तक एक अरब रुपये का लेन देन किये जाने की आशा है ।

राष्ट्रीय सहकारिता संघ द्वारा प्रशिक्षण के कार्य में काफी प्रगति की गई है। सभी राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। सहकारिता के क्षेत्र में भी कमजोर वर्ग को लाभ नहीं पहुंच पाया है जो एक बड़ी असफलता है । वर्ष १९६४–६५ में हम इस समस्या को हल करने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे।

आज देश के सभी भागों में जनता में जागृति पैदा हो रही है कि प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए पंचायती राज ही एक बुनियादी संस्था है । अतः सरकार ने सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय से सम्बद्ध एक परामर्शदाता परिषद् बनाने का निर्णय किया है यह परिषद् सरकार को यह सलाह देगी कि पंचायती राज का किस ढंग से विकास किया जाये और उसकी बराइयां कैसे दूर की जायें। इस परिषद् में राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे जिससे पंचायतों का राष्ट्रीय स्तर पर विकास हो सकेगा। सरकार ने श्री के० संथानम श्री अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया है जो निर्वाचन सम्बन्धी प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर, जिसमें स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भी शामिल है, विचार करेगा। अध्ययन में इस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा कि पंचायतों, खंड पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों द्वारा कमजोर वर्ग को किस तरह लाभ पहुंचाया जा सकता है ।

माननीय सदस्यों द्वारा पंचायती राज के लेखे तथा व्यय के बारे में प्रश्न उठाये गये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने पंचायतों में विद्यमान कदाचरण का उल्लेख किया है । इस सम्बन्ध में हमने महालेखा परीक्षक से बात की है । वह इस बात के लिए राजी हो गये हैं कि वह अपना एक वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनियुक्त करेंगे। जिसकी अध्यक्षता में भी एक अध्ययन दल विभिन्न राज्यों की लेखा संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन तथा जांच करेगा। दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अगली कार्यवाही की जायेगी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*.]

ग्राम स्वयंसेवक दल तथा डिफेंस लेबर बैंक को, जो गत वर्ष बनाये गये थे, एक इकाई बना दिया गया है । इन स्वयंसेवकों की सेवाओं का पूरा फायदा उठाने के लिये डिफेंस लेबर बैंक के कार्य को ग्राम निर्माण कार्यक्रम से सम्बद्ध करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य तथा कृषि संगठन तथा यूनीसेफ की सहायता से

मंत्रालय का आगामी वर्ष में व्यावहारिक पौष्टिक कार्यक्रम में और अधिक तेजी लाने का विचार है।

आदिवासी खण्डों में लोगों को प्रशिक्षण देने के लिये आगामी वर्ष में चार केन्द्र खोलने का विचार है। सामुदायिक विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तार किया जा रहा है और पंचायती राज कार्यकर्त्ताओं की प्रशिक्षण सुविधाओं में भी इजाफा किया जा रहा है। युवक तथा महिला कार्यक्रम को भी और अधिक तीव्र बनाया जा रहा है। उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के प्रबन्ध के बारे में प्रशिक्षण देने के लिये बम्बई में एक प्रशिक्षण संस्था खोली जा रही है। इन प्रशिक्षण परियोजनाओं के बारे में सरकार की सहायता करने के लिये विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्राप्त की जा रही हैं।

गत वर्ष सहकारी विपणन क्षेत्र में लगभग १८५ करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। आगामी वर्ष में प्रोसेसिंग तथा मार्केटिंग क्षेत्र में और अधिक प्रयत्न किये जायेंगे। उपभोक्ता क्षेत्र में भी प्रगति की जायेगी।

सहकारी आन्दोलन को स्वविनियमित (सेल्फ-रेगुलेट) करने के उद्देश्य से इस वर्ष राष्ट्रीय सहकारी संघ के अतिरिक्त, राष्ट्रीय मार्केटिंग फैड्रेशन, राष्ट्रीय चीनी सहकारी सिंडीकेट तथा राष्ट्रीय भूमि बन्धक बैंक फैड्रेशन बनाने की दिशा में गम्भीर प्रयत्न किये जायेंगे। राज्य फैड्रेशनों के आधार पर राष्ट्रीय डेरी फैड्रेशन, राष्ट्रीय उपभोक्ता फैड्रेशन और राष्ट्रीय सहकारी खेती फैड्रेशन भी बनाई जायेंगी। पिछले वर्ष लगभग एक हजार सहकारी खेत और स्थापित किये जा चुके हैं। सरकार ने प्रोफेसर डी० आर० गाडगिल के नेतृत्व में एक अध्ययन दल नियुक्त किया है जो सहकारी खेती के समूचे प्रश्न का अध्ययन करेगा और यह पता लगायेगा कि सहकारी खेती का काम वास्तव में भली प्रकार हो रहा है अथवा नहीं।

जहां तक निर्बल वर्गों का सम्बन्ध है, मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार निर्बल वर्गों को तत्काल सहायता देने के लिये केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा प्रारम्भिक सहकारी समितियों को विशेष विधियां दी गई। सहकारी खेती कार्यक्रम के माध्यम से समूचे देश में यह सहायता उपलब्ध की गई। छोटे कृषकों तथा भूमिहीन व्यक्तियों को श्रम सहकारी समितियों द्वारा ऋण दिये गये। देहातों में भूमिहीन व्यक्तियों को विशष सहायता देने की कोशिश की गई। इन संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीणों को कुछ सहायता पहुंचाई गई परन्तु लोगों की संख्या देखते हुए हमने इस समस्या को केवल छुआ ही है। अतः हम १९६४-६५ में समुदाय के निर्बल वर्गों के लिये सहकारी संस्थाओं का निर्माण करने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे।

गृह-कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को सहकारिता के क्षेत्र में विशेष सहायता देने के लिये आगामी दो वर्षों के लिये लगभग ८ करोड़ रुपये सहकारी विभाग को देने का निर्णय किया है। ग्रामदान ग्रामों में प्रयोग के लिये सर्व सेवा संघ को १ करोड़ रुपया दिया गया है। समुदाय के निर्बल वर्गों की सहायता करने के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की सहायता से विशेष कार्यक्रम हाथ में लिये जा रहे हैं। हम मुर्गी पालन तथा मछली पालन पर अधिक जोर इसलिये दे रहे हैं कि यह काम अधिकतर निर्बल वर्गों द्वारा किया जाता है। सरकार इस पर भी गम्भीरता से विचार कर

[श्री सु० कु० डे]

रही है कि ग्राम सेवक स्तर पर एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया जा सकता है या नहीं जैसे प्रत्येक दस गांवों में भूमिहीन तथा कम भूमि वाले कृषकों के लिये एक कृषि-उद्योग श्रम सहकारी समिति स्थापित करना। इन व्यक्तियों को विशेषकर मुर्गीपालन, मछली पालन और सब्जियों तथा फलों की खेती करने में सहायता दी जायेगी और पंचायतों द्वारा किये जाने वाले तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये संगठित रूप में अपना श्रम बेचने में भी सहायता दी जायेगी। इस वर्ष प्रयोगात्मक आधार पर यह कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा। इस कार्यक्रम के वास्तविक स्वरूप के बारे में इस समय विचार विमर्श हो रहा है।

सामुदायिक विकास के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा काफी बात कही गई थीं। श्री जसवन्त मेहता ने सुझाव दिया कि ग्राम सेवकों की अर्हतायें तथा वेतनक्रम बढ़ाये जायें और उन्हें पदोन्नति के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जायें। मंत्रालय इस विषय पर काफी समय से विचार करता आ रहा है। फोर्ड प्रतिष्ठान की सहायता से एक विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के खर्चे पर ग्राम संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा कृषि कालेजों में ग्राम सेवकों के लिये उच्च अर्हतायें प्राप्त करने के लिये पहले ही एक कार्यक्रम है। तीसरी योजना में ५०० ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। काफी ग्राम सेवकों को विस्तार अधिकारी और सामुदायिक विकास अधिकारी के रूप में पदोन्नति दे दी गई है। परन्तु सबके सब या अधिकांश ग्राम सेवकों को एकदम तरक्की देना संभव नहीं है।

श्री गजराज सिंह राव ने कहा हैं कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का अधिकार होना चाहिये कि इस मंत्रालय के कार्यक्रमों के लिये दी गई धनराशि राज्यों द्वारा उन्हीं प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल की जाये जिनके लिये वह दी गई है। राज्यों को ये हिदायत दी जाती हैं कि किसी सामुदायिक विकास खण्ड कृषि कार्यक्रमों के लिये दी गई धनराशि किसी अन्य कार्यक्रम पर खर्च नहीं की जानी चाहिये। जैसा कि श्रीमती अकम्मा देवी ने सुझाव दिया है विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत महिला मण्डलों को और अधिक सक्रिय बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक खण्ड के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत एक बड़े पैमाने के कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्र में तथा कुछ राज्यों में भी समाज कल्याण बोर्ड तथा सामुदायिक विकास खण्ड निकट सहयोग से काम कर रहे हैं। अनेक राज्यों में समाज कल्याण बोर्ड का सचिव महिला कल्याण अधिकारी ही है जो सामुदायिक विकास खण्डों में महिला कार्यक्रमों के लिये उत्तर-दायी है। अन्य राज्यों में भी यही व्यवस्था की जा रही है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने कहा कि हमें निर्वाचन के प्रश्न पर विचार करना चाहिये। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम इस बारे में क्या कर रहे हैं हम अखिल भारतीय आधार पर कोई निर्णय करने जा रहे हैं जिससे पंचायती राज का स्थ रूप से विकास हो सके। हम विशेषकर यह चाहते हैं कि पंचायतों के स्वतंत्र संसाधन होने चाहियें। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और मई मास में सामुदायिक विकास मंत्रियों की बैठक में इस बारे में अन्तिम निर्णय किया जा सकेगा। तीसरी योजना में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध

करना कठिन है परन्तु चौथी योजना में लगभग सभी राज्यों में पंचायतों के लिये कुछ धन उपलब्ध किया जायेगा ।

इस सभा में तथा बाहर यह प्रश्न उठाया जाता रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्पष्ट स्थान दिया जाना चाहिये और यह उल्लेख होना चाहिये कि राज्य तथा केन्द्रीय स्तर की उच्च संस्थाओं के साथ पंचायती राज संस्थाओं के क्या सम्बन्ध होंगे। परन्तु संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं है। जब तक ऐसा करने के लिये जनता द्वारा सरकार पर पर्याप्त जोर नहीं डाला जाता सरकार संविधान का संशोधन नहीं कर सकती ।

डा० मा० श्री० अणे : क्या पंचायती राज योजना को लागू करते समय लोकमत नहीं लिया गया था? अब इस मामले पर दोबारा लोकमत जानने की क्या आवश्यकता है?

श्री सु० कु० डे : माननीय सदस्य इस तथ्य को भूल रहे हैं कि संविधान में यह उल्लेख है कि पंचायतों का विकास किया जाये, परन्तु उसमें इस प्रश्न के बारे में विस्तार से नहीं दिया हुआ है । संविधान सभा द्वारा एकमत से यह निर्णय किया गया था कि संविधान में पंचायतों को स्थान दे दिया जाये, परन्तु इनके विकास का प्रश्न भविष्य के लिये छोड़ दिया गया था। मैं इस समय इस विषय पर अधिक चर्चा नहीं करना चाहता। माननीय सदस्य किसी समय इस विषय पर पूरे दिन की चर्चा उठा सकते हैं। मेरा अपना मत यह है कि लोकतंत्र को इस देश में उस समय तक सुरक्षित नहीं किया जा सकता जब तक कि संसद् से लेकर ग्राम स्तर तक समस्त लोक संस्थाओं में यह अपना स्थान न बना ले। सरकार इस मामले में तभी पहल कर सकती है जब उस पर यह संशोधन लाने के लिये पर्याप्त दबाव डाला जाये।

सहकारी ऋणों पर ब्याज की दर कम करने के बारे में सुझाव दिये गये हैं। रिजर्व बैंक २$^{1}/_{2}$ प्रतिशत पर ऋण देता है परन्तु रिजर्व बैंक समूची राशि की लगभग आधी राशि ही देता है, और शेष आधी राशि लोक संसाधनों से पूरी की जाती है जिस पर ब्याज की सामान्य दरें देनी पड़ती हैं। इन दोनों को मिलाने से ब्याज की दर लगभग ३$^{3}/_{4}$ बैठती हैं। और फिर बीच में अपैक्स बैंक, केन्द्रीय बैंक तथा प्राथमिक बैंक हैं। हम राज्यों को इस बात के लिये सहमत कराने की कोशिश कर रहे हैं कि यह दर घटा कर ७ अथवा ७$^{1}/_{2}$ प्रतिशत कर दी जाये। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल ही ऐसे राज्य हैं जहां ७$^{1}/_{2}$ प्रतिशत से अधिक दर विद्यमान है। ऐसे राज्यों में जहां निम्नतम स्तर पर सहकारी संस्थायें अधिक ब्याज के बिना सहकारी ऋण देने में असमर्थ हैं, वहां पर किसी मध्यवर्ती संस्था को समाप्त करने की वांछनीयता पर भी विचार किया जा रहा है।

श्री फिरोडिया ने मूल्य उतार-चढ़ाव कोष (प्राइस फ्लक्चुएशन फंड) का उल्लेख किया था। हम इस वर्ष ७५० समितियों में प्रयोगात्मक रूप से सीधी खरीद आरम्भ करने जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए लगभग ६० लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं। यदि यह प्रयोग सफल सिद्ध हुआ तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि सहकारी संस्थाओं का लेखा-परीक्षा स्वतंत्र होना चाहिये। अतः हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में एक अलग लेखापरीक्षा अभिकरण हो जो कि सरकार के अन्य अभिकरणों से पूर्णतया स्वतन्त्र हो।

[श्री सु० कु० डे]

वह अभिकरण एक संविहित निकाय के रूप में सीधे रजिस्ट्रार के प्रति उत्तरदायी होगा। यह एक मध्यम अवस्था होगी परन्तु इसे कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। अतः इस समय इससे अधिक सुधारवादी कदम उठाना और भी अधिक मुश्किल सिद्ध होगा।

श्री कपूर सिंह ने लोकतंत्र के तीन आधारस्तम्भों का उल्लेख किया। इन तीन आधार-स्तम्भों ने देश में जड़ें पकड़ ली हैं। उनके कार्य में बाधा डाली जा सकती है परन्तु उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। देश में सब प्रकार के लोग हैं। हो सकता है कि कहीं पर पंचायती राज संस्थाओं पर अयोग्य व्यक्ति अधिकार जमा लें परन्तु इसका एकमात्र इलाज यही है कि लोग ऐसे व्यक्तियों का जल्दी ही पता लगा लेंगे और अगले निर्वाचनों में उन्हें अस्वीकार कर देंगे। यह स्वाभाविक ही था कि जब पंचायती राज संस्थाओं को सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया गया तो सब प्रकार के लोगों ने इन संस्थाओं में प्रवेश किया और इन संस्थाओं को उखाड़ फैंकने की कोशिश की। इस मंत्रालय, राज्य सरकारों, आदि की निरन्तर सतर्कता से जो दोष ध्यान में आयेंगे उनको दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा।

यदि कहीं पर भी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य तथा कर्मचारी बेकार दिखाई पड़ते हैं तो उसका कारण यह है कि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं जिससे कि वे अपने को काम में लगा सकें। चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी हाल में परखा जायगा। अतः इस सभा को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताओं के निर्धारण में, ग्रामीण क्षेत्र को अपना हिस्सा मिले।

सामुदायिक विकास खण्डों, सहकारी संस्थाओं, आदि में काम की गति तेज करने के लिये काफी धन देना होगा। गांवों के विद्युतीकरण की ओर अधिक ध्यान देना होगा। सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय का चौथी योजना में १००,००० गांवों में बिजली लगाने का विचार है परन्तु पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजन के लिए संसाधन प्राप्त करने में काफी बाधायें उपस्थित होने का अन्देशा है। कृषि क्षेत्र में छोटी सिंचाई की व्यवस्था करने और उर्वरकों तथा कृषि औजारों का वितरण करने के लिये काफी धन की व्यवस्था करनी होगी। उपज के परिष्करण और विपणन की दिशा में सहकारी क्षेत्र के लिए विशेष कर अधिक धन की व्यवस्था करनी होगी। अतः उन विभिन्न क्षेत्रों के लिये, जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने में सहायक हैं, अधिक धन की व्यवस्था करनी होगी चाहे ऐसा करने के लिए हमें कुछ अन्य क्षेत्रो में कम धन की व्यवस्था करनी पड़े। सभा को इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये।

सभा द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों की क्रियान्विति की सफलता संसद् सदस्यों द्वारा सहयोग दिये जाने पर बहुत कुछ निर्भर करती है। यदि सामान्य नागरिक को प्रजातंत्रीय सिद्धान्त समझाने हैं तो प्रजातंत्र के अर्थ, कार्य तथा प्रभाव का निर्वचन सही ढंग से करने की जरूरत है। देश बहुत बड़ा है, अतः इतने कम समय में समूचे देश में यह कार्य नहीं फैलाया जा सकता। सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रो में प्रजातंत्र के सिद्धान्त लोगों को समझाना चाहिये। संसद् सदस्यो में पहले की तुलना में कृषकवर्ग के प्रतिनिधि अधिक आ रहे हैं। और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ी है। और सहकारी संस्थाओं से पुराना सम्बन्ध रखने वाले सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। ग्रामीण विकास में रुचि रखने वालों की संख्या भी

बढ़ी है। अतः मैं समझता हूं कि यहां के सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, समृद्धि और कल्याण में रुचि बढ़ रही है। यह प्रसन्नता की बात ।

यदि ग्राम सभा का संबंध लोक सभा से अधिक घनिष्ट बनाना है, तो लोक सभा की भावनाये ग्राम सभाओ तक पहुंचनी चाहिये। क्षेत्र में काम करने वाले असंख्य लोगों को बड़ी राहत मिलेगी कि जनता की उच्चतम संस्था के सदस्य, उन के काम की आलोचना तथा सराहना करते हैं और रचनात्मक सुझाव देते हैं। हम इस वर्ष की चर्चा इस मंत्रालय के कार्य के लिये वही लाभदायक सिद्ध होगी। अतः मैं माननीय सदस्यों, सत्तारूढ़ तथा विरोधी दोनों दलों से अपील करूंगा कि वे इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने से पूर्व सहयोग देने की कृपा करें। मैं सभा का बड़ा आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये पेश किये गये तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following demands in respect of ministry of Community development and cooperation were put and adopted:—

मांग संख्या	शीर्षक	मांग की राशि
		रुपये
१.	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	२६,४०,०००
२	सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सहकारिता . .	५,२२,६०,०००
११२	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	१२,८३,०००

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में वर्ष १९६४–६५ के लिये इस्पात, खान तथा इंजीनियरिंग मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
७९.	इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय	३७,७४,०००
८०.	भूतत्वीय सर्वेक्षण . .	३,२४,८४,०००
८१.	इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	३५,१३,४०,०००
१३६.	इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	१,२६,३७,९२,०००

श्री मुरारका (झुनझुनू) : यह मंत्रालय बहुत बड़ा है और कई विभाग इसके अन्तर्गत हैं। अतः इस मंत्रालय की चर्चा के लिए ८ घंटे दिये जाने चाहिये थे, ५ घंटे कम हैं। मंत्री, उपमंत्री भी बीच में हस्तक्षेप करेंगे अतः चर्चा का समय बढ़ाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की इच्छा अध्यक्ष महोदय को बता दी जायेगी। सरकार से भी पूछना होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : देश के बुनियादी औद्योगीकरण के संघर्ष में इस मंत्रालय को महत्वपूर्ण काम करना है। अतः इस की चर्चा के लिए अधिक समय चाहिये।

इस्पात के लिए संघर्ष देश को आगे बढ़ाने का संघर्ष है और इस में औद्योगीकरण की गति तेज़ होगी। हमें बोकारो के इलावा सरकारी क्षेत्र में दो कारखाने, इस्पात बनाने और एक मिश्रित इस्पात तथा पुर्जों और एक लौह मिश्रित इस्पात बनाने के लिए इस प्रकार चार इस्पात कारखाने स्थापित करने चाहियें।

यदि १७० लाख टन का लक्ष्य पूरा हो गया तो बड़ा लाभ होगा। क्या स्टीयरिंग ग्रुप की सिफारिशें अन्तिम हैं, क्या यह समस्त आयोजित अतिरिक्त क्षमता सरकारी क्षेत्र में होगी या नहीं, इसे स्पष्ट करना चाहिये। इसके बारे में कुछ आशंका उत्पन्न हो गई है वित्त मंत्री के वक्तव्य के द्वारा कि सभी नवीन इस्पात संयंत्र सरकारी क्षेत्र में होने चाहियें। क्या गैर-सरकारी विदेशी पूंजी की इन बुनियादी क्षेत्रों में अनुमति दी जायेगी। जब तक बोकारो में ईक्विटी पूंजी नहीं लगाई जायगी गैर-सरकारी क्षेत्र की, हमें किसी से सहायता नहीं मिल सकती। सरकार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। परन्तु घटनाओं ने उन को झुठला दिया है। एक बार दृढ़ निश्चय होने पर कि बोकारो सरकारी क्षेत्र में होगी, क्या विदेशी सहायता की पेशकश की कमी होगी? मंत्रालय के पास कई देशों की पेशकश आई हुई है। यदि उन लोगों को यह नीति स्पष्ट तौर पर मालूम हो कि सरकार अपने नियंत्रण में इस क्षेत्र का विकास करेगी, तो वे हमारी सहायता करने को तैयार हैं। इसी कारण मैं मा० मंत्री का आश्वासन चाहता हूं।

मैं इस निर्णय की सराहना करता हूं कि सर्वश्री दस्तूर एंड कम्पनी को परियोजना का प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य सौंपा गया है और देश के प्रवीण और प्रविधिज्ञ लोगों पर निर्भर होने के लिए कदम उठाये गये हैं।

आशा है बोकारो के सम्बन्ध में देश के संसाधनों को काम में लाया जायगा। समाचार-पत्रों में ये समाचार आये हैं कि बोकारो के इस्पात कारखाने में पानी के संभरण के लिए दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत तेनूघाट पर पांचवां बांध बनाया जा रहा है। इसके लिए इस्पात मंत्रालय और सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में तालमेल रखना चाहिये क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार में ये आशंकाएं प्रकट की जा रही है कि इस बांध के कारण नदी में जल प्रवाह कम हो जायगा और बंगाल तथा बिहार के खाद्य उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इस सम्बन्ध में दोनों मंत्रालयों के सहयोग और राज्यों के परामर्श से निर्णय करना चाहिये ताकि न तो राज्यों की सिंचाई क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और न ही बोकारो कारखाने के जल संभरण पर ही दुष्प्रभाव पड़े।

अनेक वर्षों के बाद इस्पात के नियंत्रण की नीति को बदला गया है। क्या ऐसा भारत सहायता संघ की बैठक से दस दिन पूर्व इस लिये किया गया है कि पश्चिम के देश हमारी नियंत्रण की नीति को पसंद नहीं करते ।

राज समिति ने नियंत्रण हटाने के लिए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि नियंत्रण का प्रभाव प्रारंभिक क्रम में ही प्रभावी होता है और उसके बाद व्यापारियों में इसके लेनदेन पर नियंत्रण सर्वथा विफल हुआ है और काला बाजार में इस्पात भारी मूल्यों पर बिकता है। किन्तु जिन वस्तुओं पर नियंत्रण बनाये रखना है उनके बारे में नियंत्रण कैसे लाभकारी होगा ?

अन्तिम संयुक्त समिति के बारे में भी मुझे चिन्ता है जो मूल्य निर्धारण और योजना के निमित्त बनाई है। इसमें स्वभावतः सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र मिल जायेंगे और यह मांग को जा रही है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड इस समिति के स्वतन्त्र प्रतिनिधि के रूप में हो। यदि इसे सरकार के वित्तीय नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया तो मुझे आशंका है कि यह समिति ऐसा अभिकरण बन जायगी जो अधिकाधिक मूल्य निर्धारित करेगी।

नियन्त्रण हटाने की अन्य आशंकाओं के उपचार के लिए सरकार क्या कर रही है। यदि इस से मूल्य और अस्थिर हो जाएं तो नियंत्रण हटाने का कोई लाभ नहीं। दूसरी आशंका छोटे खरीदारों में वितरण के बारे में है। उन्हें स्थिर तथा एक स्तर के मूल्यों पर इस्पात देने के लिए क्या किया गया है ? इससे वितरण की व्यवस्था में गड़बड़ हो जायगी।

जांच किये गये इस्पात में बिना जांच का इस्पात मिलाने की कुनीति से निर्यात व्यापार पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। आशा है इन आशंकाओं को यदि दूर नहीं किया जा सकता तो कम अवश्य किया जा सकता है।

मैं नियंत्रण हटाने के एक अन्य परिणाम की ओर संकेत करना चाहता हूं जिधर अन्य सदस्यों ने भी निर्देश किया है। लोहा और इस्पात नियंत्रक के दफ्तर के कर्मचारी बड़ी संख्या में फालतू हो गये हैं। प्रसन्नता की बात है कि मंत्रालय इस बात के लिए सहमत हो गया है कि उन कर्मचारियों को और रोजगार दिलाने के लिए वह गृह मंत्रालय से बातचीत करेगा। इसके अलावा कलकत्ता स्थित केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों से अनुरोध करना चाहिये कि वे रोजगार दफ्तर द्वारा नियुक्ति करने की बजाय इन अनुभवी कर्मचारियों को नियुक्त करें।

इंजीनियरिंग उद्योगों की ५० प्रतिशत क्षमता व्यर्थ पड़ी है क्योंकि सुमेलन इस्पात का आयात करना पड़ता है। देश में इसके निर्माण के लिए क्या किया जा रहा है। इस समय ५००विभिन्न आकार प्रकार के सुम्मेलन इस्पात की किस्में पंजीबद्ध हैं। उनका वैज्ञानीकरण करना चाहिये और उनकी २०० या १५० किस्में बना देनी चाहियें। भारतीय इंजीनियरिंग संस्था का यह सुझाव है और उसका संबंध कलकत्ता की बड़ी फर्म जैसप से है जिसमें सुम्मेलन इस्पात की कमी के कारण प्रायः उत्पादन बन्द करना पड़ता है। और दूसरे श्रम विवाद भी होते हैं।

हम जानना चाहते हैं कि क्या कोयले का अधिक उत्पादन हो रहा है जैसा कि श्री जालन और बंगाल कोल कम्पनी के ओगिलवी के कथन से पता लगता है। श्री जालन का कथन है कि सरकार ने उसे आश्वासन दिया है कि चौथी योजना में कोयले के उत्पादन के लक्ष्य में कमी की जायगी। हम चाहते हैं कि इस संबंध में प्रकाश डाला जाए।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मैं यह अनुभव करता हूं कि कोयला उत्पादन की बड़ी बड़ी फर्में सरकार से अधिकाधिक रियायतें प्राप्त करती रहती हैं। पिछले वर्ष उन्होंने कोयले के मूल्य में तीन बार वृद्धि करवाई है और फिर भी वे चिल्लाती रहती हैं कि उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता। उन्होंने सरकार पर दबाव डालने के लिये उत्पादन कम कर दिया है जिसके कारण कोयले से चलने वाले अनेक उद्योग तेल का प्रयोग करने लगे हैं मिट्टी का तेल बहुत मंहगा है और आयात करना पड़ता है। अतः हम जानना चाहते हैं कि क्या कोयले के उत्पादन लक्ष्य में कमी की जा रही है। भारतीय खान विभाग के पुनर्गठन के कारण १०० कर्मचारियों को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। आशा है इस की जांच की जाएगी।

१९५६ में एक समिति खानों के विलयकरण के लिए बनाई गई थी। उसका कथन था कि एक खान से प्रतिवर्ष ७२,००० टन उत्पादन होने पर वह लाभकारी खान हो सकती है। किन्तु इस कसौटी के आधार पर ८४८ खानों में से ५६९ खानें मुनाफा नहीं दे सकती। वे मशीनीकरण के लिए मिलने वाले विदेशी ऋण का भी उपयोग नहीं कर रही। कोयले के मूल्यांकन निक्षेप बेकार पड़े हैं। अतः मैं वर्तमान ढीली नीति के विरुद्ध हूं और निवेदन करता हूं कि छोटी खानों को बड़ी खानों में विलीन कर देना चाहिये भले ही उसके लिए राष्ट्रीयकरण का मार्ग अपनाना पड़े।

मैं, माननीय मंत्री और उनके दल के अनेक लोग सरकारी उद्योग क्षेत्र के पक्ष में हैं किन्तु कोई भी इस बात को स्पष्ट नहीं करता कि सरकारी उद्योग क्षेत्र में श्रमिक विवाद क्यों अधिक हैं। वहां गैर-सरकारी उद्योगों की सभी बुराइयां हैं और गैर-सरकारी उद्योगपति तो कभी कभी विनियमों का पालन करते हुए श्रमिकों को कुछ लाभ भी पहुंचाते हैं जो सरकारी उद्योगों में उपलब्ध नहीं। वहां नौकरशाही प्रवृत्ति का बोलबाला है।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के बारे में लिखा है कि अभी तक उन्होंने कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तों के नियम भी तैयार नहीं किये हैं। इस से लक्षित होता है कि वह कारपोरेशन संविधान के दायित्व का भी पालन नहीं करती। इसका एक कारण यह भी है कि अनेक मजदूर संघों में परस्पर प्रतिस्पर्धा है और हतिया का अग्निकाण्ड भी इसी का परिणाम है।

भिलाई के बंजर क्षेत्र में कितना विशाल कारखाना स्थापित किया गया है किन्तु वहां काम करने वालों के लिए विकास की व्यवस्था नहीं। खेद की बात है कि गैर-सरकारी उद्योगों में कारखाना बनाने से पहले कर्मचारियों के मकानों की व्यवस्था करनी पड़ती है, किन्तु यहां इस विनिमय का भी पालन नहीं किया गया।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में हाल ही एक आदेश निकाला गया है कि कोई भी मजदूर संघ का कार्यकर्ता कारखाने या क्वार्टरों में नहीं घुस सकता। इस प्रकार चोरी से मजदूर संघों के वैध कार्यों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में जिस मजदूर संघ ने सब पदों का चुनाव जीत लिया है उसे मान्यता नहीं दी गई जबकि दूसरे मजदूर संघ को मान्यता देकर कर्मचारियों पर थोप दिया गया है।

भिलाई के कारखाने में कुछ स्थायी आदेश प्रमाणित किये गये थे किन्तु खानों के प्रबंध में उन्हें लागू नहीं किया गया।

इसी पृष्ठ भूमि के आधार पर मैं चाहता हूं कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स के प्रश्न पर विचार किया जाए। अखिर वहां के मजदूरों ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। श्री ड्रेविड ने जो अभी तक मंत्री थे अपनी एक पुस्तिका इस कारखाते के प्रबंधकों के रवैये की घोर निन्दा की है। यह उद्योग देशकी अर्थ व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अत : मंत्री महोदय विवेकपूर्ण कदम उठायें और उन्हें हमारा पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

श्री मुरारका (झुंझनू) : इस मंत्रालय का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसके अधीन इस्पात कोयला खानें और भारी उद्योग के विभाग हैं।

किसी देश में इस्पात का उपभोग उसकी आर्थिक प्रगति और सभ्यता का द्योतक है। तीसरी योजना के अन्त में भारत का प्रति व्यक्ति उपभोग १८ या १९ किलोग्राम होने का अनुमान है जबकि लेटिन अमरीका में ४० और ७० किलोग्राम तथा जापान में १३० किलोग्राम है। शताब्दी के अन्त तक हम उपभोग को ११० किलोग्राम तक बढ़ा सकेंगे। इस लक्ष्य के बारे में सन्देह हो सकता है किन्तु जनसंख्या तो निश्चय ही ८४ करोड़ हो जायगी।

अब भी इस्पात की हमारी मांग पूरी नहीं हो रही क्योंकि मांग ५८ लाख टन की है जबकि संभरण ४४ लाख टन का होता है। इस्पात उद्योग में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अन्य आठ दस व्यक्तियों को रोजगार दिलाता है।

मंत्रालय ने कुछ पहलुओं में गत वर्ष बहुत अच्छा काम किया है। इस्पात के तीन कारखानों में पूरा उत्पादन तो आरम्भ हुआ किन्तु उन्होंने लक्ष्य को पार कर दिया है। मंत्रालय ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय यह किया है कि बोकारो का इस्पात कारखाना किसी अन्य देश पर निर्भर किये बिना भारतीय संसाधनों और तकनीशनों द्वारा स्थापित किया जायगा।

अध्ययन दल द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार चौथी योजना के अन्त में इस्पात की हमारी आवश्यकता १२५ से १४० लाख टन तैयार इस्पात और १८०–१९० इस्पात के डलों की होगी जबकि हम विस्तार कार्यक्रम की गणना करने पर भी ६८ लाख टन तैयार इस्पात का उत्पादन कर सकेंगे। इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव नहीं है। प्रत्युत पूर्व योजना से हम इस से भी अधिक इस्पात तैयार कर सकते हैं।

१० लाख टन इस्पात का उत्पादन करने के लिए ६० लाख टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अत : चौथी योजना के अन्त में इस्पात कारखानों के विकास के साथ साथ हमें प्रतिदिन ३ करोड़ टन कोयले और ३ करोड़ टन लौह अयस्क के यातायात का प्रबंध करना होगा। इन सब कार्यों में समय लगता है अत : अभी से प्रयत्न करने चाहिये।

इसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि १० लाख टन क्षमता का इस्पात कारखाना लाभदायक नहीं हो सकता। अमरीका में ५० लाख टन की क्षमता के ८ कारखाने हैं और रूस में तो ३५० लाख की क्षमता का कारखाना लगाने की योजना है। हमें भी इस पृष्टभूमि पर विचार करना चाहिये।

सरकार की यह धारणा गलत ह कि इस्पात संयंत्र उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किये जा सकते हैं जहां पर निकटवर्ती क्षेत्रों से सभी प्रकार के कच्चे माल प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिये जापान को जिसका इस्पात के उत्पादन में संसार भर में,

[श्री मुरारका]

चौथा स्थान है परन्तु जापान ९० प्रतिशत कोयले का आयात करता है। ४० प्रतिशत कोयले का आयात करता है इसी प्रकार जर्मनी फ्रांस आदि देशों से कोयले का आयात करता है। ब्रिटेन और अमरीका भी कच्चे लोहे आदि का आयात करते हैं। बहुत से देशों ने इस्पात संयंत्र तटवर्ती क्षेत्रों में लगाये हैं चूंकि एक तो आयात की आवश्यकता पड़ती है और दूसरे परिवहन लागत कम होती है।

आजकल केवल इस्पात का उत्पादन करना ही हितकर नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इसका उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक मल्यों पर किया जाय। परन्तु हमारे देश में इस्पात की, उत्पादन लागत संसार भर में सब से अधिक हो रही है। इसका एक कारण यह है कि हमारे देश में इस्पात की पूंजीगत लागत बहुत है। दूसरा कारण यह है कि यहां पर १० लाख टन के संयंत्र में २०,००० से ३१,००० श्रमिक काम करते हैं जबकि अमरीका में ४००० से ५००० श्रमिक ही काम करते हैं। तीसरा कारण यह है कि उत्पादन लागत यहां पर बहुत ज्यादा आती है, और जो प्राक्कलन विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये जाते हैं वह त्रुटिपूर्ण होते हैं। राउरकेला में, सी० आर० चादरों की अनुमानित लागत, ४०७ रुपये थी परन्तु वास्तव में लागत २२४० रुपये आती है; टिन प्लेट्स पर अनुमानित लागत ४९० रुपये थी परन्तु वास्तव में यह लागत ४४३३ रुपये आती है। इसी प्रकार भिलाई और दुर्गापुर की अनुमानित लागत बहुत सी वस्तुओं की जितनी है वास्तव में, वह लागत कहीं अधिक आती है। हमने अपने विशेष सलाहकारों को ३ और ४ करोड़ रुपये दिये, परन्तु उनके अनुमानों की यह दशा है कि दुर्गापुर में, अन्दमान के अनुसार, चूने का पत्थर १५.६ रुपये में उपलब्ध होना था जो कि वास्तव में ३२.६० रुपये में उपलब्ध हुआ। कच्चा लोहा १७.५० रुपये प्रति टन की दर से उपलब्ध होना था जो वास्तव में २९.८९ रुपये में उपलब्ध हुआ। इस प्रकार कच्चा माल अधिक मूल्यों पर उपलब्ध हुआ और वह था भी घटिया किस्म का। कच्चा लोहा, चूने का पत्थर और कोयला अपमिश्रित था। संयंत्र के लिये स्थान के चुनाव में भी गलती हुई। भिलाई में १५ प्रतिशत राउरकेला में ४० प्रतिशत और दुर्गापुर में २० प्रतिशत माल रद्द हो जाता है चूंकि ठीक माल उनको उपलब्ध नहीं किया जाता। विदेशी सलाहकारों ने सन्तोषजनक ढंग से काम नहीं किया परन्तु फिर भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्रमिक सम्बन्धों की दशा यह है कि राउरकेला में मन्द गति से काम करने पर, १·४६ करोड़ का घाटा हुआ। यही दशा सभी बड़े बड़े संयंत्रों की है।

दुर्गापुर संयंत्र के लिये जब बातचीत चल रही थी तो मशीनों का सम्भरण करने वालों ने २० प्रतिशत रुपये जमा करने की मांग की थी। परन्तु हमने १० प्रतिशत धन जमा कराया और १० प्रतिशत के लिये बैंक की गारंटी दी, जिसके कारण हमें ३० लाख रुपया अधिक देना पड़ा।

बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन होने में देरी इस कारण हुई चूंकि हम कुछ समय तक केवल अमरीका पर ही निर्भर करते रहे। एक अमरीकी विशेषज्ञों का दल यहां पर आया जिन्होंने हमारी आवश्यकताओं को स्वीकृति दी परन्तु बाद में यह कह दिया गया कि इतने बड़े संयंत्र के लिये वह सहायता नहीं दे सकते। मैं समझता हूं कि बोकारों के सिलसिले में हमें किसी एक देश पर निर्भर रह कर स्वयं ही इस के लिये योजना तैयार करनी चाहिए।

माननीय मंत्री ने स्वयं कहा था कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति बोकारो के लिये अमरीकी सहायता के विरुद्ध राय तैयार कर रहा है। उस व्यक्ति का नाम बताया जाना चाहिए।

इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७९	१	Shri Ram Sewak Yadav	Disparity in pay scale of labourers and officers	The amount be reduced to Re./1-
७९	२	श्री शिवमूर्ति स्वामी	तुंगभद्रा स्टील, प्रोडक्टस लिमिटेड, हास्पेट, के लिए अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	३	श्री शिवमूर्ति स्वामी	खनन उद्योग के लिये तकनीकी मंत्रणा उपलब्ध करने और संचार सुविधाओं में सुधार लाने की आवश्यकता	१०० ,,
७९	१०	श्री यशपाल सिंह	मुहानों पर बड़ी मात्रा में कोयले का जमा हो जाना	१०० ,,
७९	११	श्री यशपाल सिंह	छोटी कोयला खानों को स्वैच्छिक रूप से मिलाना	१०० ,,
७९	१२	श्री यशपाल सिंह	कच्चे लोहे की कमी	१०० ,,
७९	१४	श्री यशपाल सिंह	स्कूटरों के मूल्य कम करने की आवश्यकता	१०० ,,
७९	१५	श्री यशपाल सिंह	लोगों को कारें देने संबंधी प्रक्रिया	१०० ,,
७९	१६	श्री दाजी	सहकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों पर केन्द्रीय श्रम विधियां लागू करना	१०० ,,
७९	१७	श्री दाजी	हिन्दुस्तान एलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल में औद्योगिक संबंधों का बिगड़ना	१०० ,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव स०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७९	१८	श्री दाजी	हिन्दुस्तान एलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल में, सेवा निवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति	१०० रुपये
७९	१९	श्री दाजी	हिन्दुस्तान एलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल में संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की आवश्यकता	१०० ,,
७९	२०	श्री दाजी	हिन्दुस्तान एलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल, तथा अन्य इस्पात, संयंत्रों में नैमित्तिक श्रमिकों को काम पर न लगाये जाने संबंधी योजना का लाग करना	१०० ,,
७९	२१	श्री दाजी	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में अच्छे श्रम संबधों की आवश्यकता	१०० ,,
७९	२२	श्री दाजी	भारतीय खान कार्यालय, नागपुर में छंटनी	१०० ,,
७९	२३	श्री दाजी	लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की छंटनी	१०० ,,
७९	२४	श्री दाजी	सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में उत्पादन तथा निर्माण संबंधी निर्वाचित समितियों के गठन की आवश्यकता	१०० ,,
७९	२५	श्री दाजी	कच्चे लोहे की कमी	१०० ,,
७९	२६	श्री दाजी	विभिन्न राज्यों के लिये धातुओं जैसे कच्चे माल का आवंटन	१०० ,,
७९	२७	श्री दाजी	सरकारी क्षेत्र में सस्ती कारों के निर्माण की आवश्यकता	१०० ,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७९	२८	श्री दाजी	सरकारी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन कार्यक्रम	१०० रुपये
७९	२९	श्री दाजी	टाटा लोहा तथा इस्पात कम्पनी तथा भारतीय इस्पात कम्पनी को दिये गये ऋण को वसूल करने में असफलता	१०० रुपये
७९	३०	श्री दाजी	सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में अत्यधिक प्रशासन भार	१०० रुपये
७९	३१	श्री दाजी	स्कूटरों तथा तीन पहियों वाली गाड़ियों के मूल्यों में कमी करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७९	३२	श्री दाजी	कोयला उत्पादन कार्यक्रम	१०० रुपये
७९	३३	श्री दाजी	सरकारी क्षेत्र में विशेष मिश्रित इस्पात का निर्माण	१०० रुपये
७९	३४	श्री यशपाल सिंह	बाल-बेयरिंग उद्योगों में एकाधिकार को समाप्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७९	३५	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में श्रम संबंधों को सुधारने की आवश्यकता	१०० रुपये
७९	३६	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों की नियमित रूप लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८०	४७	डा० मा० श्री० अणे	दिसम्बर, १९६४ में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय भूतत्वीय कांग्रेस संबधी व्यय तथा अन्य मामले	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८१	४८	डा० मा० श्री० अणे	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कोयना, भांदरा में कोयला, खनिजों आदि की खोज की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३६	४९	डा० मा० श्री० अणे	मैंगनीज और (इंडिया) लिमिटेड का कार्य संचालन	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कटौती प्रस्ताव अब सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : सरकार तथा नियोजकों द्वारा सबसे बड़ी गलती यह हुई कि उन्होंने भारी इंजीनियरिंग के विशाल कार्य को एक ही प्रबन्ध के अधीन रखा । इतने बड़े क्षेत्र में रुपया पानी की तरह बहता है परन्तु उस पर उचित निरीक्षण रखना असम्भव है। इसीके परिणामस्वरूप देश को क्षति पहुंचती है। दूसरी त्रुटि यह है कि उत्पादन को अत्यधिक बढ़ाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति के कारण कोई काम ठीक तरह से नहीं हो पाता । विदेशी विशेषज्ञों को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता चूंकि इतने विशाल क्षेत्र के बारे में यह ठीक तरह से काम करने में असमर्थ हैं । यदि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के समय छोटे छोटे एकक बना कर कार्य आरम्भ किया जाता तो अवश्य सफलता मिलती । अब हम विदेशी विशेषज्ञों पर करोड़ों रुपया व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं।

श्रम सम्बन्धों के बारे में मैं यह समझता हूं कि पदाधिकारी श्रम विधियों से अनभिज्ञ हैं उनमें सहानुभूति एवं सहिष्णुता की भी कमी है । जो भी होटल और अतिथिगृह आदि की सुविधायें इस विभाग द्वारा उपलब्ध की गई हैं, वह वास्तव में बड़े बड़ अधिकारियों के लिए ही हैं। श्रमिकों को न्याय से वंचित रखा जाता है ।

भिलाई में वर्क चार्जड कर्मचारी स्थायी कर्मचारियों के समान काम करते हैं, उसके बावजूद उन को वर्क चार्जड आधार पर मजूरी देना न्यायसंगत नहीं है ।

इसके अतिरिक्त भारतीय विधियों का पालन भी नहीं किया जाता । मध्य प्रदेश अधिनियम के अनुसार केवल मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों के साथ ही समस्यायें निबटाई जा सकती हैं । इस कठिनाई को दूर किया जाना चाहिये । इस्पात मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि अन्तिम प्रतिवेदन कार्यान्वित हो गया है । परन्तु यह बात सच नहीं है । कोई भी समझदार व्यक्ति अपने संघ को मान्यता नहीं दिलायेगा चूंकि मान्यता प्राप्त होने से मजदूर की हालत खराब हो जाती है । इसलिये यदि मजदूर अपने संघ को मान्य नहीं कराना चाहते तो उन्हें इसके लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता । उदाहरणार्थ, एक मान्यता प्राप्त संघ से कहा जाय कि वह एक ऐसी बोनस योजना से सहमत हो जाय जो उत्पादन से सम्बन्धित मजूरों पर ही लागू हो । एक ओर तो जो मजदूर उत्पादन से सम्बन्धित नहीं हैं

उन्हें उस बोनस से बंचित रखा जाता है और दूसरी ओर योजना को सफल बनाने के लिये कम मजूरी निर्धारित की जाती है। इसके परिणामस्वरूप बोनस अधिक बनता है। अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सिद्धान्त के अनुसार भी औसत मजूरी और कम से कम मजूरी में अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये। इसलिए मजदूरों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

पदाधिकारियों को यह शक्ति मिली हुई है कि वह श्रमिकों की कान्फीडेंशयल रिपोर्ट लिखें, पन्रतु जिस मजदूर की रिपोर्ट खराब हो जाती है उस को पांच वर्ष बाद ही पता चलता है जबकि उस से कनिष्ट मजदूर को पदोन्नत कर दिया जाता है। और यदि एक व्यक्ति अन्धा हो ाजता है तो उसे चौथी श्रेणी के कर्मचारी के रूप में रख लिया जाता है। इस प्रकार की अनुचित और अमाननीय कार्यवाहियां की जाती हैं।

हैवी एलैक्ट्रीकल्स में काफी असन्तोष पाया जाता था परन्तु किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। जो मान्यता प्राप्त संघ है उनमें भी मजदूरों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। मंत्री महोदय को निदेश देना चाहिये कि त्रिदलीय निकायों और मजूरी बोर्डों की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाय और वर्तमान श्रम विधियों को लागू किया जाय। यह बात देखने में आई है कि श्रमिक न्यायालयों के निर्णयों को भी कार्यान्वित नहीं किया जाता। मध्य प्रदेश के विधान से जो कठिनाइयां पैदा हुई हैं उन्हें दूर करना चाहिये और मजदूरों को राहत पहुंचानी चाहिये। प्रबन्ध द्वारा निष्पक्षता का रुख अपनाना चाहिये। ऐसे कदम उठाने से ही सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में काम ठीक प्रकार से हो सकेगा।

कर्मचारी विभाग में जो अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं उन्हें छः मास तक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। वहां पर बिना प्रशिक्षण दिये सेना से आये हुए पदाधिकारियों को नियुक्त करने की प्रथा गलत है चूंकि उन को श्रमिकों की सस्मयाओं और उनसे सम्बन्धित विधियों का ज्ञान नहीं होता।

राज समिति की सिफारिशों को कार्याविन्त करने के फलस्वरूप कुछ कर्मचारी नौकरी से अलग कर दिये गये हैं। सरकार को चाहिये कि वह ऐसे लोगों के लिये नौकरी का प्रबन्ध करें। जो स्थिति वहां पर पैदा हुई है वह कर्मचारी उस के लिए उत्तरदायी नहीं हैं इसलिए उन्हें उस के कारण हानि नहीं पहुंचनी चाहिये।

माननीय मंत्री ने केरल में घोषणा की थी कि वहां पर एक इस्पात कारखाना स्थापित किया जायेगा, परन्तु बाद में इस बात का खंडन कर दिया गया। वहां पर इस्पात कारखाना स्थापित किया जाना चाहिये। केरल में इलमेनाईट काफी मात्रा में उपलब्ध है। अन्य राज्यों में जो भारी इंजीनियरिंग उद्योग हैं वहां पर केरल के लोगों को काम नहीं दिया जाता। उन उद्योगों में सम्बद्ध क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। यह बात न्यायोचित नहीं है। जब केन्द्र की ओर से, एक उद्योग चालू किया जाता है तो वहां पर सब लोगों को काम करने के अवसर मिलने चाहिये।

रांची में एक करोड़ रुपया व्यर्थ गया चूंकि वहां स्थान का चुनाव राजनीतिक दबाव के कारण हुआ था।

कोयले सम्बन्धी लक्ष्य हमें कम नहीं करने चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो व्यापारी कृत्रिम कमी पैदा करके मूल्य बढ़ा देंगे। इस मामले की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : बोकारो इस्पात परियोजना के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया गया है उसके लिए मंत्री बधाई के पात्र हैं, परन्तु सरकार को आश्वासन देना चाहिये कि जो लोग इस कारण बेकार हो जायेंगे उन्हें सब प्रकार की सम्भव सुविधायें दी जायेंगी।

जहां तक श्रमिक सम्बन्धों का सवाल है कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिस से कि श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेने का अवसर मिल सके।

श्री मुरारका की तरह मैं भी यही समझता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मजदूरों और कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है।

मेरा सुझाव है कि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

औद्योगिक क्षेत्र तथा उपभोक्ताओं की ओर से कहा जाता है कि कोयले के क्षेत्र में संकट की स्थिति है। कोयला उद्योग वालों की शिकायत है कि बढ़िया किस्म के कोयले के उत्पादकों को अधिक सुविधायें दी जाती हैं। मूल्य पुनरीक्षण समिति के माप दण्ड से एक वर्ष में तीन बार कोयले के मूल्यों में परिवर्तन किया गया। यदि मजूरी एक नया पैसा बढ़ती है तो कोयले का मूल्य बढ़ा दिया जाता है। इससे उन को उचित राहत मिल जाती है। परन्तु संकट की स्थिति का समाधान बढ़िया किस्म के कोयले के मूल्य को बढ़ाने से नहीं हो सकता। झरिया तथा आसनसोल में एक निर्धारण हुआ है। निर्धारण से स्पष्ट है कि बढ़िया किस्म के कोयले का स्टाक ८०,००० लाख टन का है। उतनी मात्रा में भी कोयले के निकाले जाने की सम्भावना नहीं है और अधिक कोयले के लिये गहरी खुदाई करनी होगी। जिसके कारण लागत बढ़ सकती है। अब प्रश्न यह है कि मूल्य कोयला निकालने के प्रयासों के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे अथवा कोयले की किस्म के आधार पर ?

[**डा० सरोजिनी महिषी** पीठासीन हुई
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

विशेषज्ञों के निर्धारण से प्रतीत होता है कि अन्य श्रेणियों के कोयले का प्रयोग हमें करना होगा, चूंकि देश में बढ़िया किस्म के कोयले के निक्षेपों को समाप्त करना उचित नहीं होगा। अब मुख्य प्रश्न यह है कि काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा दे कर हमें बढ़िया किस्म के कोयले का आयात करना है अथवा घटिया श्रेणी के कोयले का ही प्रयोग करना है।

आंकड़ों से पता लगता है कि बंगाल तथा बिहार राज्य में सिलेक्ट 'ए' ग्रेड तथा सिलेक्ट "बी" ग्रेड कोयले का उत्पादन प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है और ग्रेड १ कोयले का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि समस्त उत्पादन सुविधाओं के होते हुए भी सिलेक्ट "ए" तथा सिलेक्ट "बी" ग्रेड कोयले का उत्पादन कम होता जा रहा है और ग्रेड १ तथा २ और घटिया किस्म के कोयले का अधिक उत्पादन हो रहा है। इस बात के होते हुए, सरकार कोयला उद्योग के एक भाग को अधिक मूल्य देने की अपनी नीति को न्यायसंगत नहीं ठहरा सकती। यदि सरकार घटिया किस्म के कोयले की खपत बढ़ाना चाहती है तो वह सिलेक्ट "ए" ग्रेड तथा सिलेक्ट "बी" ग्रेड के कोयले का अधिक मूल्य निर्धारित करके नहीं बढ़ाई जा सकती है। मूल्य में अधिक अन्तर बना रहे परन्तु सिलेक्ट 'ए' तथा 'बी' ग्रेड को कोयला उत्पादकों

को जो सुविधायें दी जाती हैं वे अन्य किस्म के कोयला उत्पादकों को भी दी जानी चाहियें जो कि आगामी वर्षों में हमारी मांग पूरी कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

गांवों की ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए 'साफ्ट कोक' उत्पादकों को पर्याप्त सुविधायें दी जानी चाहियें ताकि गोबर आदि का खाद के रूप में प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार हम अन्न का उत्पादन बढ़ाने में सफल हो सकेंगे और हमें बाहर से अन्न मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी। घरेलू प्रयोग के लिये बिना धुएं का कोयला पैदा करने के लिये 'लो टेम्परेचर कारबोनाइजेशन' के बारे में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। समूचे देश में इसका उत्पादन करके घरेलू खपत के लिए यह सस्ते दामों पर उपलब्ध किया जाना चाहिये।

'केलोरिफिक' गुणप्रकार के आधार पर कोयले का स्तर तथा मूल्य निर्धारण करने सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

केन्द्रीय मजूरी बोर्ड इस प्रश्न की जांच कर रहा है कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के परिणामस्वरूप मजदूरों की मजूरी में हुई वृद्धि के कारण बढ़े हुए खर्चे को कोयला उद्योग बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। यह प्रतिवेदन प्राप्त होने तक सरकार को मूल्य में परिवर्तन नहीं करना चाहिये। सरकार सिलेक्ट 'ए' तथा 'बी' ग्रेड कोयले के मूल्य की वृद्धि को कोयला निकालने की लागत के आधार पर न्यायसंगत नहीं ठहरा सकती है। धातुशोधन कार्य के लिए उत्तम कोयले का स्टाक बनाया जाना चाहिये क्योंकि हम उसका आयात करने की स्थिति में नहीं हैं।

खानों पर जमा कोयले के स्टाक से खान मालिक चिन्तित हैं। उनका कहना है कि ऐसा आयोजन के अभाव के कारण हुआ है। निस्सन्देह कुछ कठिनाइयां हैं। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिये। परिवहन समस्या भी उनकी चिन्ता का एक कारण है। रेलवे की नई 'बाक्स रेक' प्रणाली खान मालिकों के लिये सुविधाजनक नहीं हैं क्योंकि वे निर्धारित समय में माल नहीं लाद सकते हैं। रेलवे को कोई और प्रणाली लागू करनी चाहिये ताकि 'बाक्स' प्रकार के माल डिब्बों में कोयला लादने में उन्हें अधिक सुविधा हो। रेलवे का आदेश है कि प्रत्येक कोयला खान को, जो १०,००० मीट्रिक टन से अधिक कोयला निकालती है, एक वे ब्रिज –(तुला सेतु या कांटा) लगाना चाहिये परन्तु खान मालिक ऐसा करने में असमर्थ हैं। इसके विपरीत खान मालिकों ने रेलवे से प्रत्येक प्रमुख सैक्शन के लिये एक वे ब्रिज लगाने के लिये प्रार्थना की है।

खानों पर जो कोयला जमा है वह एक महीने की खपत से अधिक नहीं है। परिवहन सुविधाओं के उपलब्ध किये जाने से वह कोयला खपाया जा सकता है। कोयले के बारे में एक समन्वित योजना होनी चाहिये विशेषकर जब कि देश में भारी उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं। उस समन्वित योजना को तैयार करते समय इन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाये।

श्री टे० सुब्रह्मण्यम (बेल्लारी) : गत वर्ष देश की इस्पात की मांग ५६ लाख टन थी जब कि ४४ लाख टन की मांग स्वदेशी उत्पादन से पूरी की गई और १० लाख टन की विदेशी इस्पात से पूरी की गई। तीसरी योजना के अन्तर्गत इस्पात का उत्पादन संतोषजनक ढंग से हो रहा है। तीनों सरकारी इस्पात कारखानों में निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन हो रहा है हालांकि

(श्री टें०सूबह्मण्यम)

उन में उत्पादन कुछ देर से आरम्भ हुआ है । बोकारो कारखाना स्वदेशी मशीनों से चालू किया जायेगा । यदि आवश्यकता हुई तो विदेशों से भी मशीनें मंगाई जायेंगी । मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड़ तैयार इस्पात का उपादन ३५,००० टन से बढ़ाकर ८५,००० टन करना चाहता है। परन्तु अन्तिम प्रस्ताव यह है कि यह कारखाना ७७,००० टन मिश्रित तथा विशेष इस्पात का उत्पादन करेगा । चौथी योजना में देश की मांग पूरी करने के लिये नेवेली-सलेम कारखाने के अतिरिक्त १५ लाख टन क्षमता के दो नये इस्पात कारखाने स्थापित करने होंगे ऐसा करना बहुत जरूरी है । दक्षिण भारत में इस्पात कारखाने स्थापित करना बहुत जरूरी है ताकि वहां की मांग को पूरा किया जा सके। परिवहन की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार एक इस्पात कारखाना गोआ–होसपेट क्षेत्र में और दूसरा बेलाडीला–विशाखापतनम क्षेत्र में लगाने के बारे में विचार कर रही है । दस्तूर समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है और वह उसका अध्ययन कर रही है । उन्होंने सुझाव दिये है कि गोआ और होसपेट दोनों ही स्थान इस्पात कारखाना स्थापित करने की दृष्टि से उपयुक्त हैं।

मेरा निवेदन है कि सरकार होसपेट में प्रस्तावित इस्पात कारखाना स्थापित करे। बेल्लारी-होसपेट क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में तथा उत्तम किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है । जिस में से ६८ से ७० प्रतिशत तक लोहा निकलता है । लगभग २५ प्रतिशत लौह अयस्क ऐसी है जो ऊपर ही पाई जाती है और उसके लिये वर्तमान गहरी खुदाई की आवश्यकता नहीं होगी इसलिये वह लौह अयस्क बहुत सस्ता पड़ेगा । चूने का पत्थर बीजापुर तथा अन्य पड़ौसी जिलों, जैसे अनन्तपुर, कुड्डापा तथा कर्नूल, में पाया जाता है । अतः होसपेट-बेल्लारी क्षेत्र में इस्पात कारखाने के लिये आवश्यक कच्चा माल आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है। मंत्रालय को प्रस्तावित इस्पात कारखाने के स्थान के बारे में निर्णय करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिये ।

इस कारखाने को चलाने के लिये कुछ विशेष प्रकार का कोयला बाहर से मंगाना पड़ेगा। उसको विभिन्न बन्दरगाहों से होसपेट आसानी से लाया जा सकता है क्योंकि गुंटाकल से होसपेट तक एक बड़ी लाइन बिछाई जा रही है जिससे समस्त बड़ी बन्दरगाहों से सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा। टोरनागल तथा होसपेट के बीच काफी जमीन पड़ी है जहां पर यह इस्पात कारखाना लगाया जा सकता है । वहां पर जल तथा बिजली भी उपलब्ध है । इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए बेल्लारी-होसपेट प्रदेश में वह कारखाना स्थापित किया जाना चाहिये ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं चाहता हूं कि हमारे अन्य सरकारी कारखाने भी उसी प्रकार प्रगति कर के दिखायें । यह बहुत ही सराहनीय बात है कि चैकोस्लोवाकिया की सरकार की सहायता से बंगलौर में केन्द्रीय मशीन टूल्स गवेषणा संस्था खोली जा रही है क्योंकि विभिन्न अवस्थाओं में मशीनी पुर्जों की लागत कम करना बहुत आवश्यक है ।

हम सब चाहते हैं कि औद्योगिक उत्पादन बढ़े । अतः हमें एक श्रम संहिता तैयार करनी चाहिये जिससे किसी भी राजनीतिक दल को श्रमिकों का शोषण करने का अधिकार नहीं होगा। मजदूरों को हड़ताल आदि करने के लिये उकसाना देश के हित में नहीं है । मुझे आशा है कि राजनीतिक दल इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहेंगे ।

Shri Bade (Khargone) : There is labour unrest in Heavy Electricals Limited at Bhopal. The management of that factory is responsible for this state of affairs. The Communists sponsored union is exploiting the situation there. Government should interfere in this matter and concede the demand of the workers. The workers have no sympathies for either the I.N.T.U.C. Union or the communists supported union. They want that they should be given the same wages as are paid to workers of Ranchi factory. The hon. Minister should pay immediate attention to this matter so that the workers are not forced to become tool in the hands of communists.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair* }

Large stocks of coal are lying at pitheads. In Madhya Pradesh alone coal worth Rs. 1 crore has accumulated at the colliery pitheads. This coal is largely of inferior quality which can be used for domestic consumption. The people in villages and cities require more coal but it is not supplied to them. This inferior quality coal should be supplied to rural and urban consumers who use cowdung as fuel so that cowdung can be conserved for being usd as manure for agricultural purposes.

In the Conference of coal miners held in Delhi recently this very thing was emphasised. Government should make more transport facilities to the coal miners and the socalled coal crisis can be solved if this fourth and fifth grade coal is supplied to ordinary consumers living in villages and cities. The hon. Minister says that the coal crisis has arisen because the demand has decreased. I have not been able to understand this. It would be better if the hon. Minister explains the Govt.'s policy in regard to coal in his reply tomorrow.

We have been hearing this talk for the last two years that an aluminium plant is going to be set up in Korba in Madhya Pradesh with Hungarian collaboration. But nothing has been done in this matter. From the report we find that one company may look after both Madhya Pradesh and Mysore project. I want to submit that the Mysore project should not be associated with Korba project. This project should be located at Korba without delay and independently of the Mysore project. There are plenty of minerals available in Madhya Pradesh and, therefore more and more industries should be set up there.

There is shortage of pig iron in the country. Government should implement the recommendations of the Raj Committee if it is serious about this problem. If some employees of the Iron and Steel Controller's Office, Calcutta are retrenched as a result of the Raj Committee's recommendations, they should be absorbed else where. The labourers being retrenched as a result of accumulation of large stocks at pitheads should also be provided work else where.

The imoprt of furnace oil from abroad should be stopped. The coal accumulated at pitheads should be supplied to washeries so that it can be used for that purpose.

The Geological Survey Department should carry out surveys in Madhya Pradesh because it is rich in minerals.

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : तृतीय पंच-वर्षीय योजना में कोयले का उत्पादन लक्ष्य ९७० लाख टन निर्धारित किया गया था । यह लक्ष्य वर्ष १९६३–६४ के लिए ६९०.४ लाख टन है । वर्ष के पहिले दस महीनों में अब तक ५४४ लाख टन कोयले का उत्पादन हो चुका है आशा है यह उत्पादन मार्च, १९६४ के अन्त तक ६७० टन हो जायेगा ।

कुछ माननीय सदस्यों का यह आरोप गलत है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए तथा चालू वर्ष के लिए कोयले का उत्पादन लक्ष्य उचित ढंग से निर्धारित नहीं किया गया है । हमने यह लक्ष्य महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं, राज्य सरकारों तथा संसद सदस्यों की सलाहकार समिति के परामर्श से निर्धारित किया है, । इस वर्ष कोयले का उत्पादन देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी होगा ।

कुछ आकस्मिक परिस्थितियां पैदा हो जाने से कोयले की मांग में मंदी आ गई है । कुछ परियोजनायें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वित नहीं हो पाई है और कुछ विद्यमान परियोजनाओं का जिनका विस्तार होना था, कुछ कठिनाइयां आ जाने से विस्तार नहीं हो पाया है । बोकारो इस्पात कारखाना और तापीय बिजली घर बनाने में अप्रायशित विलम्ब हो गया है । इसके अतिरिक्त इस्पात कारखानों, रेलवे, सूती कपड़ा उद्योग बिजली घरों और कागज बनाने के कारखानों ने अपनी कोयला सम्बंधी मांगों को में लगभग क्रमश: ४३.७ लाख टन, १३.४ लाख टन, १२.९ लाख टन, १८ लाख टन और ४.४ लाख टन की कमी करदी है । इस प्रकार कोयले की मांग में कुल १ करोड़ टन की कमी हो गई है ।

हमें ज्ञात है कि मांग में इस प्रकार की मंदी आना अस्थायी है अत: हम उत्पादन में कमी नहीं कर रहे हैं और पहिले की भांति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उत्पादन कर रहे हैं । यही कारण है कि कोयला खानों के पास कुछ महीने से कोयला एकत्रित होता जा रहा है । यदि हम इस वर्ष के कोयले के उत्पादन तथा कोयला खानों के पास एकत्रित कोयले के आंकड़ों का पिछले वर्ष के साथ तुलना करें तो मेरे विचार से स्थिति चिन्ताजनक नहीं है । फिर भी सरकार ने कोयला खानों ने पास एकत्रित कोयले को यथाशीघ्र कम करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं । यदि उप-भोक्ता चाहे तो सीधा कोयला नियंत्रक (कोल कंट्रोलर) से अतिरिक्त कोटा ले सकते हैं । हमने राज्य सरकारों से कहा है कि ईंटों के भट्टों के लिए लाइसेंस अधिक आसानी से दिये जायें । हम ईंट उद्योग के लिए वैगनों द्वारा कोयले की ढुलाई की व्यवस्था कर रहे हैं । कोयला नियंत्रक से कहा गया है कि वह उपभोक्ताओं को सीधा लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार करे । इस के अतिरिक्त कोयला नियंत्रक ने मध्य प्रदेश में पेंच और चन्दा कोयला खानों से नवम्बर, १९६३ से आवंटन में ८५० वैगन प्रति मास की वृद्धि करने के लिये कदम उठाये हैं । उसने महाराष्ट्र में प्रतिरक्षा सम्बंधी परियोजना अधिकारियों से भी अनुरोध किया है कि वे बिहार बंगाल कोयला क्षेत्रों के बजाय पेंच और चन्दा कोयला खानों से अपनी कोयला सम्बंधी आवश्यकतायें पूरी करें । कोयला नियंत्रक को रेलवे बोर्ड ने २०० वैगन कोयला पेंच और चन्दा कोयला क्षेत्रों से सम्भरण करने को कहा है ।

श्री इन्द्रेजीत गुप्त ने कहा है कि सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को अनावश्यक संरक्षण दिया है । और मूल्यों को बढ़ाने दिया है । यह सच है कि व १९६३ में कोयले के मूल्य में तीन बार, अर्थात् मार्च अप्रैल और जून के महीनों में क्रमश: लगभग ८० नये पैसे,

४९ नये पैसे और ६ नये पैसे प्रति टन के हिसाब से बृद्धि की गई है । यह वृद्धि कोयला उद्योग को प्रोत्साहन देने के अभिप्राय से की गई ताकि हम कोयला के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस कार्य के लिए मई १९६३ में एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया था । उसी की सिफारिशों के अनुसार मंत्री महोदय ने कोयले के मूल्य में वृद्धि करने के लिए हाल में एक वक्तव्य भी दिया है ।

वर्ष १९५५ में बलवन्तराय मेहता की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति ने सिफारिश की है कि कोयला उद्योग में अलाभप्रद एककों का अनिवार्य रूप से समामेलन (अमल्गामेशन) किये जाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए । कानून के बनाये जाने के समय तक एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो स्वेच्छा से समामेलन करने के काम में सहायता देगी। इस कार्य के लिए नियुक्त की गई समिति का कार्य काल अगस्त १९६४ तक बढ़ाया गया है। समिति ने अब तक ४५ समामेलन के मामलों को स्वीकृति दी है और जिन में से ३२ मामलों में वास्तविक रूप से समामेलन हो चुका है । कोयला नियंत्रक ने, जो समिति के अध्यक्ष हैं, लगभग ४५० कोयला खानों का सर्वेक्षण किया है । इन खानों को मिलाकर ११५ एकक बना दिए जायेंगे । आशा है इस प्रकार ५६९ अलाभप्रद कोयला खानें लाभप्रद एककों में बदल दी जायेंगी ।

जहां तक कोयले के वर्गीकरण का प्रश्न है, इस प्रयोजन के लिए वर्ष १९६२ में नियुक्त की गई समिति ने सिफारिश की है कि कोयले का वर्गीकरण "कैलोरिफिक," आधार पर किया जाना चाहिए। सरकार ने समिति की इस सिफारिश को मान लिया है । कैलोरिफिक मात्रा का पता लगाने के लिए सूत्र निर्धारित करने, मूल्य निर्धारित करने, बड़ी संख्या में मशीनों का आयात आदि प्रश्नों की जांच करने के लिए कोयला अनुसंधान संस्था के निदेशक, डा० लहरी, की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है । इस दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त का यह कथन कतई गलत है कि भारतीय खान विभाग (इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स) के कोयला अनुभाग से १,००० कर्मचारियों को अलग किया गया है । कोयला अनुभाग के किसी भी कर्मचारी को नौकरी से अलग नहीं किया गया है ।

भारतीय खान विभाग में हास्पेट-बघेरी क्षेत्र में खानों की खोज का काम आरम्भ कर दिया है । आशा है कि इस क्षेत्र में लगभग ६० लाख टन लौह अयस्क प्राप्त हो सकेगा । गोआ और हास्पेट में एक इस्पात का कारखाना स्थापित करने के विषय में मंत्रालय दस्तूर एण्ड कम्पनी की रिपोर्ट पर विचार करेगा ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोयले का उत्पादन लक्ष्य ३१० टन निर्धारित किया गया है । यह निश्चित समय से कुछ पहिले ही पूरा होने की संभावना है । इस निगम ने, गिरिडीह कोयला खान में हुई, ३५,८५,२७७ रुपये की हानि तथा मध्य प्रदेश को कोर्बा परियोजना के लिए १२,७५,२०० रुपये की शेयर के रूप में दी गई राशि, इन दोनों को घटाकर लगभग १,२५,५६,२९२ रुपये शुद्ध लाभ के रूप में अर्जित किए हैं ।

कोयला विकास निगम में मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं । कार्मिक संघों के साथ दो स्तरों पर बात-चीत की प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर रही है ।

श्री बड़े (खारगोन) : मैं एक पत्र, जो गांधी जी के चित्र के संबंध में है, सभा पटल पर रखना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं क्योंकि इसका चर्चा से कोई संबंध नहीं है ।

श्री नायपाई (राजापुर) यद्यपि देश के औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए इस्पात का मुख्य स्थान है किन्तु इस संबंध में मंत्रालय का काम ढीला रहा है । सभा में प्रतिवर्ष मंत्रालय के बारे में प्राक्कलन समिति की उपपत्तियों तथा अन्य तथ्यों के आधार पर विभिन्न उपकरणों में विद्यमान कमियों की आलोचना की जाती है किन्तु इन कमियों को दूर करने के लिए कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है ।

प्रारम्भ से ही यह देखा गया है कि सरकार को देश की इस्पात संबंधी आवश्यकताओं का बहुत कम पता है । पहली पंचवर्षीय योजना में केवल ५ लाख टन इस्पात उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई थी तथा उसका उत्पादन करने के लिए कोई कदम नही उठाया गया। यदि हम पहली पंचवर्षीय योजना में एक इस्पात का कारखाना स्थापित कर लेते तो आगे भी योजनाओं के लिए हमारी विदेशी मुद्रा संबंधी समस्या काफी सीमा तक हल हो जाती ।

प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति के अनुसार मूल कठिनाई यह है कि किसी को यह पता नहीं है कि क्या करना है । यद्यपि योजना के संबंध में बहुत बातें की जाती हैं किन्तु इस में हमेशा आयोजना तथा उसके उद्देश्यों का अभाव रहा है । हमारे लक्ष्य सदा हमारी आवश्यकताओं से कम निर्धारित किए गये हैं और उत्पादन संबंधी कार्य निर्धारित लक्ष्यों से भी कम हुआ है ।

१९५८–५९ से १९६२–६३ तक ५ वर्षों में विदेशों से इस्पात मंगाने पर लगभग ५०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई है । यदि यह राशि बोकारो इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये मशीनें आदि मंगाने पर व्यय की जाती तो हम देश में कुल १ करोड़ टन से अधिक उत्पादन कर सकते थे । यदि देश की औद्योगिक प्रगति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश में उपलब्ध संसाधनों, सस्ते श्रम तथा तकनीकी प्रतिभा का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता तो हम ४० या ५० लाख टन इस्पात का उत्पादन करने के बजाय कहीं अधिक उत्पादन कर सकते थे। किन्तु इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया गया है ।

हम देश में धुले हुए कोयले की आवश्यकता का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा सके हैं। वर्ष १९६० में केवल ४५ लाख टन धुले हुए कोयले का उत्पादन किया गया था जब कि आवश्यकता ९० लाख टन कोयले की थी । वर्ष १९६५–६६ तक हमारी आवश्यकता १८० लाख टन हो जायेगी । हमें इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन का सही अनुमान होना चाहिए।

हमारी योजना के प्रत्येक चरण में कुछ गलती रही है । परियोजनायें निर्धारित अवधि में पूरी नहीं होती हैं और उनकी वास्तविक लागत मूल्य प्राक्कलनों से सर्वथा अधिक होती है । प्राक्कलन तथा वास्तविक व्यय के बीच अन्तर के संबंध में गलती ७३ प्रतिशत तक रही है । योजना कार्यों में इस प्रकार की गलती के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय धन का अपव्यय होता है ।

यह दुख की बात है कि हमारे देश में जनता और संसद को धोखा दिया जा रहा है अर्थात उन में यह भ्रम पैदा किया जा रहा है कि संसद् देश के सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण रखती है जब कि इस प्रकर की कोई बात नहीं की जा रही है । वास्तविकता यह है कि इसके पीछे कुछ नौकरशाही लोग हैं, जो यद्यपि आधुनिक उद्योगों तथा प्रोद्योगिकी के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं, किन्तु फिर भी इन उपक्रमों पर मनमाने ढंग से नियंत्रण रखे हुए हैं। मंत्री महोदय को किसी योग्य तकनीकी जानकारी रखने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु साधारण प्रशासक द्वारा जो हर कार्य में विशेषज्ञ माना जाता है, सलाह दी जाती है जिस से इस दिशा में अब तक कोई सुधार नहीं हो पाया है । इस असफलता के लिए उत्तरदायी सलाह देने वाला सरकारी कर्मचारी नहीं अपितु वे हैं जो उसे यह बात जानते हुए भी नौकर रखते हैं कि उसकी औद्योगिक क्षेत्र में कोई रुचि नहीं है । यदि उसकी रुचि इस क्षेत्र में होती तो वह भारतीय असैनिक सेवाओं अथवा अखिल भारतीय सेवाओं का कर्मचारी नहीं बनता । हमें इन उपक्रमों के संबंध में अमेरिका आदि देशों का अनुसरण करना चाहिए। इन देशों में इंजीनियर तथा प्रौद्योगिकी की जानकारी रखने वाले व्यक्ति ही औद्योगिक क्षेत्र में सेवा को चलाते हैं।

संसद का उनके नियंत्रणाधीन विभाग पर कितना नियंत्रण है । सरकारी उपक्रमों को नौकरशाही वाला एकाधिकार बन कर नहीं रहन चाहिए। उसके ऊपर राष्ट्रीय, सामाजिक तथा संसदीय नियंत्रण होना अनिवार्य है ।

हिन्दुस्तान स्टील (प्राईवेट) की रिपोर्ट वर्ष समाप्ति के दो तीन दिन पहले आती है । लेखा समिति की रिपोर्ट कई वर्षों में आती है । अतः जरूरत इस बात की है कि प्रत्येक उपक्रम के लिये पृथक संसदीय स्थायी समिति होनी चाहिये। न तो उद्योग की स्वायतत्ता है और न ही संसद् के प्राधिकार । हम वित्तीय लेखा चालन को ही सब कुछ मान बैठे हैं। परन्तु हमें तकनीकी परीक्षण भी करने चाहिये और कुशलता की जांच भी करनी चाहिये।

इस कुचक्र जाल के कारण प्रगति रुकी रहती है और सब प्रकार की असफलताएं देखने में आती हैं । इस का हल किया जा सकता है । इस्पात उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, रूस और अमरीका की बात के अतिरिक्त चीन ने भी इस दिशा में उन्नति की है । हमें फैक्टरियों और खेतों में भी चीन का मुकाबला करना होगा । १० वर्षों में उनका इस्पात उत्पादन बारह गुना बढ़ गया है, परन्तु हम तिगना भी नहीं बढ़ा पाये। हमें गम्भीरता से इस पर विचार करके अपने काम को उत्तम बनाना होगा ।

प्रो० गालब्रैथ ने कहा है कि कोई संगठन बना कर उसे असैनिक सेवाओं, प्रक्रियाओं और कर्मकारी नियमों से मुक्त रखने की जरूरत होती है । श्री अशोक चन्द का कथन है कि जब अनौपचारिक रूप में उपक्रम के कार्यों में हस्तक्षेप होता है तो संसदीय नियंत्रण नहीं रहता । मंत्री महोदय, संसद को दिये गये किन्तु पूरे न किये गये वचन के प्रश्न पर गम्भीरता से विचारें। सरकारी उपक्रम समिति की स्थापना के संबंध में तकनीकी विलम्ब दूर किये जा सकते थे। यदि मंत्री चाहते हैं कि उपक्रमों पर वास्तविक नियंत्रण रहे, तो वे प्रत्येक उपक्रम के लिये स्थायी समिति बनाने के लिये प्रयत्न करें।

हमें सरकारी उपक्रमों में प्रबन्धकों तथा कार्यकर्ताओं के बीच उत्तम सम्बन्ध बनाने की ओर ध्यान देना चाहिये।

[श्री नाथ पाई]

श्री मुरारका ने कहा कि है कि दुर्गापुर यन्त्रों में कार्मिक संघों के पारस्परिक विवाद औद्योगिक सम्बन्ध खराब कर रहे हैं। परन्तु परस्पर विरोध के लिये उत्तरदायी कौन है? क्या हमने सभी राष्ट्रीय उपक्रमों के लिये समुचित नीति बना ली है, और क्या श्रम प्रबन्धक सम्बन्धों का आदर्श तैयार कर लिया है? परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

रूरकेला में कई कार्मिक संघ हैं। वहां हिन्द मजदूर संघ सबसे बड़ा है, परन्तु इन्टक को हर प्रकार की मनमानी करने दी जाती है। उनकी शक्ति कम होते हुए ही उसे शरारत करने दी जाती है और बातचीत के लिये बुलाया जाता है। अन्य संघ भी तुरन्त कार्रवाई करते हैं। वे गड़बड़ी करते हैं, उनको बातचीत के लिये बुलाया जाता है। बातचीत टूट जाती है और जब संघ की सदस्यता की मांग की जाती है तो निरीक्षण स्थगित कर दिया जाता है। इस प्रकार के गलत उपाय अपनाये जाते हैं।

हमें इस मामले पर दलगत भावना से ऊपर उठना, सोचना होगा और सरकारी क्षेत्रों के लिये समान श्रम नीति अपनानी होगी।

रूरकेला में श्रम सचिव हिन्द मजदूर संघ पर आचरण संहिता क्षेत्र का आरोप जान बूझ कर लगाता है और इण्टक इसका लाभ उठा कर मान्यता पा जाती है। अन्य संघों को बोलने नहीं दिया जाता। इस प्रकार का पक्षपात अनुचित है। यह देश के लिये घातक है। संकट काल के नाम पर श्रमिकों को दबाया नहीं जा सकता।

उनके प्रभार में राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उद्योग हैं। अतः उनको सफल बनाने के लिये ईमानदारी और साहस के साथ काम करने की जरूरत है।

श्री कृ० चं० पन्त (नैनीताल): इस महत्वपूर्ण मन्त्रालय के लिये चर्चा का समय बढ़ा दिया जाए।

इस्पात सन्यन्त्रों ने काफी प्रगति की है। क्षमता का भी पूर्ण उपयोग हुआ है। विशेष प्रकार का मिश्र धातु भी प्रतिरक्षा के लिये बनाया गया है। परन्तु तीसरी योजना के लक्ष्य पूरे होने की आशा नहीं। उन कामों को चौथी योजना में ले जायेगा। भिलाई संयन्त्र के काम में कुछ कमी रही है।

बहुत से नवीन इस्पात संयन्त्र लगे हैं, किन्तु बोकारो सरकार की इस्पात कार्यक्रम की क्षमता की कसौटी बन गया है। यह मामला अभी लटक रहा है। मा० मन्त्री को इस पर तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में इस्पात संयन्त्रों की क्रियान्विति को तेज करने और उस पर लगी पूंजी से होने वाली आय को बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने हमारी परियोजनाओं की तकनीकी तथा आर्थिक आयोजना को भी मजबूत करने की जरूरत बतलाई है। इन सबसे यह स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र में कई कमियां हैं। श्री मुरारका व श्री नाथपाई ने बताया है कि अनुमानों से अन्तिम आंकड़े सर्वथा भिन्न थे। दुर्गापुर में विलम्ब की घटनाएं देखिये। इस्पात संयन्त्रों में लागत बढ़ती जा रही है।

भारी इंजीनियरिंग परियोजना में १२७ करोड़ रुपये से बढ़ कर २०६ करोड़ हो गई है। ६४ प्रतिशत तक अनुदान बढ़े हैं। यही स्थिति सभी परियोजनाओं में होती जा रही है। तेल शोधक कार-

खानों आदि की हालत यही है। विलम्ब होता है। परियोजना के आकार में कई बार बदल की जाती है। अभी एक परियोजना में रहस्यमय ढंग से आग लगी। अतः माननीय मन्त्री को इन सब बातों के बारे में कुछ करना चाहिये।

तकनीकी मामलों में तकनीकी व्यक्ति को कीमत पर असैनिक कर्मचारी की राय को प्राथमिकता नहीं होनी चाहिये। परियोजना को लागू करने से पहले ५६ वर्ष की आयोजना होनी चाहिये। हमारे उद्योग की जड़ें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नहीं हमें इस अर्थ व्यवस्था को बदल कर व्यापक प्राद्योगिकीय आधार रखना होगा। हमें उद्योग शिक्षा तथा अनुसन्धान के बीच अधिक समन्वय और बेहतर सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। इन तीन तत्वों के पृथक्करण को समाप्त किया जाए।

सर राबर्ट रसिन ने व्यवसायी लोगों को विश्वविद्यालयों में अंशकालिक अध्ययन कार्य करना चाहिये। तकनीकी कालेजों के प्राध्यापकों को सरकारी समवायों के बोर्डों में लिया जाए। अनुसन्धान तथा उद्योग दोनों को परस्पर व्यावहारिक ज्ञान से लाभ उठाना चाहिये। उद्योगों में अनुसन्धान केन्द्र होने चाहियें। हमें आयात करने के मामले में एक बार मंगवाई गई चीज को दोबारा आयात नहीं करना चाहिये, बल्कि उसे अपने यहां बनाना चाहिये। हमें अपने तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोगों पर भरोसा रखना चाहिये और विदेशी विशेषज्ञों पर होने वाले खर्च को कम करने का प्रयत्न करना चाहिये।

साधारणतः हम किसी विदेशी तकनीकी परामर्शदाता से सलाह लेकर मशीनें आदि उपकरण मंगाने के लिए संसार भर के देशों से टेंडर मांगते हैं। विदेशी कम्पनियां अपनी जोखिम पूरी करने के लिए १०० प्रतिशत तक मूल्य बढ़ा देती हैं। निम्नतम टेंडर स्वीकार करने पर भी हमें बहुत अधिक कीमत देनी पड़ती है।

कभी कभी हम विदेशी फर्मों द्वारा भी मशीनें आदि खरीदते हैं। ये फर्म अपनी जोखिम पूरी करने के साथ साथ बिचौलिया लाभ भी ले लेती हैं। इन फर्मों द्वारा मशीनें आदि मंगाने से हमें पुर्जों के लिये विदेशों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इन पुर्जों के डिजाइन अथवा निर्माण सम्बन्धी जानकारी भारतीय प्रविधिज्ञों को नहीं है।

जहां तक सम्भव हो हमें भारतीय अथवा विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों को पूर्णकालिक आधार पर परामर्शदाताओं के रूप में नौकरी पर रखना चाहिए। उनकी सलाह पर हमें मशीनें सीधे निर्माताओं से निम्नतम मूल्यों पर खरीदनी चाहिएं। इससे हमारी परियोजनाओं की पूंजी लागत कम हो जायेगी।

इस्पात के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए संयुक्त संयन्त्र समिति में कुछ संसद्-सदस्यों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए जिससे उपभोक्ताओं के हितों की देख-रेख सम्भव हो सकेगी।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण की खोज के अनुसार अल्मोड़ा जिले में मेगनिजाइट में बहुत बड़े निक्षेप (डिपोजिट्स) पाये गये हैं। इस क्षेत्र में परिवहन सम्बन्धी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं। दो या तीन वर्ष पूर्व सरकार ने यहां पर खानें खोदने का निर्णय किया था किन्तु इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हो पाई। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन निक्षेपों में खनन का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाये। इससे उसके लोगों को, विशेषरूप से इस वर्ष जबकि वहां फसलें बहुत कम हुई हैं, रोजगार मिल सकेगा।

जहां तक मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच सम्बन्धों का प्रश्न है, इन्हें बिगाड़ने में प्रायः साम्यवादी दल का हाथ है। इसके लिए प्रबन्ध को ही अकेला दोषी ठहराना उचित नहीं है।

[श्री कृ० चं० पन्त]

अच्छी किस्म के कोयले क हमारे भण्डार कम होते जा रहे हैं और हम उन्हें बहुत तेजी से खत्म करते जा रहे हैं। सरकार को इस कोयले के रक्षण के लिए कुछ कदम उठाने चाहियें। कोयला खानों के स्वेच्छा से समामेलन (अमलगामेशन) के मामलों पर सरकार को शीघ्र विचार करना चाहिए। मंत्री महोदय को बताना चाहिए कि कोयले पर से नियन्त्रण हटाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है।

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : हो सकता है कि हमने गत वर्षों में कुछ गलतियां की होंगी क्योंकि आरम्भ में तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण गलतियां होना स्वाभाविक है। किन्तु इन गलतियों से हमें काफी अनुभव हुआ है जिससे हम भविष्य में प्रगति के मार्ग पर आसानी से आगे बढ़ सकेंगे।

यह सराहनीय बात है कि गत कुछ वर्षों में देश में मशीनी औजार रेलवे वैगन, बिजली की मोटर, ट्रांसफार्मर, मोटरगाड़ियों के सामान तथा अन्य कई वस्तुओं के निर्माण की दिशा में काफी प्रगति हुई है। इस समय देश में लगभग ३०० करोड़ रुपये की मशीनों का निर्माण किया जाता है। किन्तु फिर भी देश में निर्मित मशीनें देश की मशीनों सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी नहीं हैं और हमें ३०० करोड़ रुपये की मशीनें प्रतिवर्ष विदेशों से मंगानी पड़ती हैं। देश के औद्योगिक विकास के साथ साथ मशीनों की मांग में वृद्धि होती जा रही है। इस मांग को यथासम्भव पूरा करने के लिए गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में मशीनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। मशीनों के निर्माण के लिए लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति अधिक सरल की गई है तथा निर्माताओं को अनेक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स मशीनों के निर्माण में वृद्धि करने में, देश के विभिन्न भागों में अपने कारखाने खोल कर, काफी सीमा तक सहायक रहा है। इस समय इस उपक्रम द्वारा १० करोड़ रुपये की मशीनों का निर्माण किया जाता है। आशा है वर्ष १९७०–७१ तक उपक्रम ५० करोड़ रुपये की मशीनों का निर्माण करने लगेगा। निस्सन्देह हिन्दुस्तान मशीन टूल्स एक ऐसा स्थायी स्मारक है जिससे यह बात साबित होती है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें गैर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं से अधिक कुशलता से चल सकती हैं और उनसे अधिक लाभ हो सकता है।

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ रहा है किन्तु कुछ योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति से मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में स्थिति में शीघ्र सुधार हो सकेगा। इस कार्पोरेशन के अन्तर्गत दो परियोजनाओं में उत्पादन कार्य चालू हो चुका है। अन्य दो परियोजनाओं में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्पादन होने लगेगा।

भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल्स में वर्ष १९६० से उत्पादन होने लगा है। वर्ष १९६२–६३ में इसमें ३.३ करोड़ रुपये का उत्पादन किया गया। चालू वर्ष के लिए उत्पादन लक्ष्य ६ करोड़ रुपये रखा गया है किन्तु वहां हाल में हुए विवादों के कारण उत्पादन कार्य रोकना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप काफी हानि उठानी पड़ रही है। वर्ष १९७०–७१ तक भोपाल हैवी इलैक्ट्रिकल्स से लाभ की आशा नहीं की जा सकती है। किन्तु यह कोई असाधारण बात नहीं है। विदेशों में भी इस प्रकार के उपक्रमों द्वारा स्थापित किये जाने के बहुत समय बाद लाभ मिल पाया है। वर्ष १९७०–७१ तक देश हैवी इलैक्ट्रिकल्स के सामान सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्म निर्भर हो जायेगा।

मशीन निर्माण उद्योग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसलिए इसमें स्तरीकरण, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी तथा अन्य कई कठिनाइयां आती हैं। किन्तु फिर भी हमने इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है।

यह सच है कि हम मुद्रण सम्बन्धी मशीनों तथा अन्य कुछ मशीनों के निर्माण में अधिक प्रगति नहीं कर पाये हैं क्योंकि देश में इस सम्बन्ध में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की बहुत कमी है तथा विदेशों में भी बहुत कम लोग इस दिशा में जानकारी रखते हैं।

जहां तक मोटरगाड़ी उद्योग का सम्बन्ध है तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष ३०,००० कारों, ६०,००० (वाणिज्यिक) भारवाहक मोटर गाड़ियों, १०,००० जीपों और ६०,००० स्कूटरों, मोटर साइकिलों आदि के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष १९६२ में २३,३२६ कारों का निर्माण किया गया। किन्तु बाद के वर्षों में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण निर्माण इस प्रगति के अनुसार नहीं हो सका। सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि वाणिज्यिक मोटरगाड़ियों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है और २८,००० गाड़ियां प्रतिवर्ष बनाई जा रही हैं। यदि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति में सुधार हुआ तो हम इस दिशा में तेजी से काम कर सकेंगे।

जहां तक मूल्यों को कम करने का सम्बन्ध है, देशी पुर्जों के निर्माण लक्ष्य पूरा हो जाने से ही मूल्य कम नहीं हो सकते हैं। इसके लिए अन्य कई कारण उत्तरदायी हैं। निकट भविष्य में मूल्य कम होने की कोई सम्भावना नहीं है।

वर्ष १९६५–६६ तक देश में लगभग ४०,००० से ५०,००० तक छोटे (बेबी) ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी। इस समय चार कम्पनियों को ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिये गये हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता २७,००० बेबी ट्रैक्टर है। कुछ और अन्य योजनायें सिद्धान्त रूप में स्वीकार की गई हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता १४,०० ट्रैक्टर प्रतिवर्ष होगी। देश की ट्रैक्टर की मांग को पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जहां तक एल्मोनियम उद्योग का सम्बन्ध है, देश में तीन फैक्टरियां, कोर्बा, कोयाना (महाराष्ट्र) और शरबती (मैसूर) में स्थापित की जायेंगी। एल्मोनियम फैक्ट्री खोलने के सम्बन्ध में हंगरी से बातचीत चल रही है। आशा है बातचीत पूरी हो जाने पर मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में एक एल्युमीनियम परियोजना शीघ्र चालू की जायेगी।

वर्धा में कम्प्रेसर और पम्प परियोजना और हैवी स्ट्रक्चरल्स परियोजना चालू करने के बारे में रूस से बातचीत चल रही है। इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में रूसी विशेषज्ञों तथा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा जांच की जा चुकी है। इस पर कुल मिला कर १३.३ करोड़ रुपये लगने का अनुमान है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय उपमन्त्री कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, ९ अप्रैल, १९६४/२० चैत्र, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the 9th April, 1964/chaitra 20, 1886 (Saka).